खण्ड १—अंक ६

२६ मार्च, १९५७ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha *(XV Session)*

सत्यमेव जयते

(खण्ड १ में अंक १ से अंक ८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

1 LSD

विषय–सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७९, ८१, ८२, ८४ से ९६ . . ९१—११५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ११५—१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८० और ८३ . . . . ११६—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ४५ और ४५-क . . . ११७—२४

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर में शुद्धि . . १२४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १२५—२६

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

विषय-सूची

(खंड १—अंक १ से ८—१९ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १,२, ४, ५, ७, ८, ३, ६ और ९ . १-१२

प्रश्न का लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या १ . १२

दैनिक संक्षेपिका १३

अंक २—बुधवार, २० मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . .

तारांकित प्रश्न संख्या ११,१२, १३, १४, १६, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९ और १५ . . . १४–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८ और २५ . . . . २९–३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २, ३ और ४ . . . . ३०

दैनिक संक्षेपिका ३१

अंक ३—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० से ३२, ३४ से ३७, ३९ से ४५ और ३३ . ३२–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८ . . . . . ४७-४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५ से १३ . . . ४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में शुद्धि . ५१

दैनिक संक्षेपिका ५२

अंक ४—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६, ४७, ५० से ५२, ५४, ४९ और ५३ . . ५३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८ और ५३ . . . ६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४ से १७ . . . ६४–६५

दनिक संक्षेपिका . . . ६६

अंक ५--सोमवार, २५ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६, ५९, ६० और ६२ से ७२ . . ६७–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७ और ६१ ८२–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से २५ ८३–८८

तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में शुद्धि . . . ८९

दैनिक संक्षेपिका ९०

अंक ६--मंगलवार, २६ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७९, ८१, ८२, ८४ से ९६ . . ९१–११५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ११५–१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८० और ८३ . . . . ११६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ४५ और ४५-क . . ११७–२४

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर में शुद्धि . . . १२४

दैनिक संक्षेपिका १२५–२६

अंक ७--बुधवार, २७ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८, ९८-क, १०० से १०६, १०८ से ११०, १११, ११२, ११४ और ११५ . . . . . १२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०-क और ११३ . . . १४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ से ५२ . . . १४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि . . . १५०

दैनिक संक्षेपिका १५१

अंक ८--गुरुवार, २८ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६ से १२१, १२३ से १२५, १२७ से १२९, १३१ और १३२ . . . . १५२–६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . १६८–७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६ और १३० . . . १७०–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ५७ . . १७१–७३

दैनिक संक्षेपिका १७४

सारांश १७५

अनुक्रमणिका . . . . . (१–४८)

टिप्पणी: किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, २६ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नागा क्षेत्र

+

†*७३. श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९५७ में नागा क्षेत्रों में बदअमनी फैल गई थी ;

(ख) यदि हां, तो हताहतों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में सैनिक उपायों पर अधिक जोर दिया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जनवरी, १९५७ में नागा पहाड़ी जिला अथवा त्यूनसंग सीमान्त डिवीज़न में कोई विशेष बदअमनी तो नहीं फैली । शत्रु दलों से मुकाबला करते समय ४७ व्यक्ति मारे गये और ७१ घायल हुए । इस के अतिरिक्त शत्रु नागाओं द्वारा ६ नागरिक मारे गये ।

(ग) परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार उपाय किये जा रहे हैं ।

†श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या नागा पहाड़ियों के गांवों पर अब भी आक्रमण होते हैं, यदि हां, तो अन्तिम आक्रमण कब हुआ था ?

†श्री दातार : वे कभी कभी आक्रमण करते हैं ।

†श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या भारत सरकार का ध्यान इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो श्री फिरोज़ खां नून ने नागा उपद्रवों के बारे में दिया था । और यदि हां, तो क्या यह हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है ?

†श्री दातार : यह प्रश्न वैदेशिक काय मंत्रालय से पूछा जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

लोअर हुगली पर नया पत्तन

+

†*७४. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वित्त मंत्री १२ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की निचली ओर लोअर हुगली पर अयस्क और कोयले को यंत्रों द्वारा लादने और उतारने वाले एक पत्तन की स्थापना का अनुसन्धान करने का काम किसी विदेशी विशेषज्ञ समिति को सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां तो विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ग) समिति सर्वेक्षण कब आरम्भ करेगी ; और

(घ) सर्वेक्षण पूरा करने और प्रतिवेदन देने में इसे कितना समय लगेगा ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या विश्व बैंक मिशन ने, जो कलकत्ता आया था, इस पत्तन का उल्लेख किया था ; और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री म० च० शाह**: विश्व बैंक ने कहा है कि एक बड़े मिशन का सुझाव देने का उन का उद्देश्य यह था कि हर प्रकार से इस का अध्ययन किया जाये ताकि परिवहन क्षेत्र में धन का गलत विनियोजन न हो । अब उन का विचार है कि यह उद्देश्य एक बैंक परिवहन मिशन द्वारा, जैसे कि पहले विचार था, पूरा नहीं हो सकता । उन का विचार है कि सब से अच्छा तरीका यह होगा कि वे एक योग्य परामर्शदाता को भेजें जिन से परामर्श कर के भारतीय प्राधिकारी जल-परिवहन की सारी समस्या को हल करें । यह काम सौंपने के लिये उन्हों ने एक व्यक्ति का नाम भी बताया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या परिवहन मंत्रालय ने इस विषय में वित्त मंत्रालय को सूचित किया है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णामाचारी)** : इस विषय पर हमारी आपस में काफी बातचीत हुई है । वित्त मंत्रालय का इस से विशेष सम्बन्ध है । विश्व बैंक से जो भी बातचीत होती है वह वित्त मंत्रालय ही करता है ।

केरल उच्च न्यायालय

†*७५. **श्री अय्युण्णि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित जानकारी हो :

(क) केरल उच्च न्यायालय को त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने के बारे में किये गये सत्याग्रह के बारे में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ;

(ख) कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया, कितने मुकदमें वापस ले लिये गये और उन के क्या कारण थे ; और

(ग) कितने मामलों में अभियुक्तों ने हिंसात्मक कार्य किये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**

†**श्री वें० प० नायर**: क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम के डाक कर्मचारियों से कोई शिकायत मिली है कि पुलिस द्वारा मारपीट के कारण एक कर्मचारी हवालात से निकलते ही मर गया ; और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न केरल उच्चन्यायालय सम्बन्धी सत्याग्रह के बारे में है ।

†**श्री वें० प० नायर** : जी हां । केरल उच्चन्यायालय की एक बैंच त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने सम्बन्धी आन्दोलन के बारे में ही यह शिकायत है कि एक डाक कर्मचारी को थाने में ले जा कर मारा पीटा गया जिस के फलस्वरूप वह हवालात से निकलते ही मर गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या डाक कर्मचारी भी वकील था ?

†**श्री वें० प० नायर** : नहीं, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो इस का प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री वें० प० नायर** : प्रश्न यह है कि "सत्याग्रह के बारे में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उस ने भी सत्याग्रह किया था ?

†**श्री वें० प० नायर** : जी नहीं । उसे व्यर्थ ही थाने ले जाया गया; उसे भी सत्याग्रही समझा गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक अलग प्रश्न की सूचना दें ।

†**श्री केलप्पन** : क्या त्रिवेन्द्रम में उच्चन्यायालय की एक स्थायी बेंच स्थापित करने का कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**श्री दातार** : वह बिलकुल अलग प्रश्न है ।

†**श्री अय्युण्णि** : क्या दोषी सिद्ध हुए व्यक्तियों को दंड से मुक्त कर दिया गया है ; और यदि हां, तो कितनों को ?

†**श्री दातार** : यह विवरण से स्पष्ट है । सत्याग्रह समाप्त होने के बाद कुछ व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है ।

†**श्री वें० प० नायर** : प्रश्न के भाग (ग) के प्रश्न की ओर निर्देश करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई शिकायत मिली है कि पुलिस ने व्यर्थ हिंसा से काम लिया ; और यदि हां, तो कितने मामलों में ?

†**श्री दातार** : इस प्रकार का कोई आरोप लगाया गया है यह मैं नहीं जानता ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं वहां उपस्थित था, मैं जानता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

छावनियों की भूमि

†*७६. **डा० सत्यवादी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्डों के असैनिक क्षेत्रों में भूमि को पट्टे पर देने की पट्टेदारी प्रणाली में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री भक्त दर्शन: क्या मैं जान सकता हूं कि जो संशोधित नियम हैं, ये कब से लागू किये जा रहे हैं और इन को लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

†**सरदार मजीठिया** : इस नई नीति पर अभी अभी निर्णय हुआ है और पहला अवसर मिलने पर ही हम ने इसे सभा-पटल पर रख दिया है । इस के पश्चात् इन्हें सभा के समक्ष लाया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन: क्या मैं जान सकता हूं कि इन नियमों को लागू करने से पहले जिन छावनियों में इन को लागू किया जायेगा, वहां के प्रतिनिधियों की इस के बारे में दुबारा सम्मति ली जायेगी ?

†**सरदार मजीठिया** : नहीं, श्रीमान् ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल**: क्या यह सच है कि छावनी बोर्डों ने असैनिक क्षेत्रों में भूमि को पट्टे पर देने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं और सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

†**सरदार मजीठिया** : यदि माननीय सदस्य के सामने कोई विशेष उदाहरण हों और वे बताय तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

लौह अयस्क निक्षेप

†*७७. **डा० रामा राव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश (ओंगोल क्षेत्र) जिला गुन्तूर में लौह अयस्क निक्षेपों का अनुमान लगाने के लिये अनुसन्धांन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो नये क्षेत्रों में अयस्क किस प्रकार का है और उस की मात्रा का क्या अनुमान है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् । १९५४-५५ में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षकों ने गुन्तूर ज़िले के उन भागों में अनुसन्धान किया जहां लौह अयस्क पाया जाता है ।

(ख) एक विवरण, जिस में उपलब्ध जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या १६]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†डा० रामा राव : विवरण में बताया गया है कि इस क्षेत्र में लगभग ३००० लाख टन अयस्क का निक्षेप है जिस में ३३ से ३७ प्रतिशत लोहा है। इतनी अधिक मात्रा को प्रयोग में लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री के० दे० मालवीय : ३७ प्रतिशत लौह अयस्क की मात्रा पर्याप्त नहीं समझी जाती है क्योंकि इस का शोधन करना पड़ता है। दूसरे भागों में इस से बेहतर प्रकार का लौह अयस्क मिलता है अतः पहले हमें बेहतर किसम के लौह अयस्क की ओर ध्यान देना होगा।

†डा० रामा राव : क्या यह ठीक है कि जापान वह लौह अयस्क खरीद रहा है जिस में लोहे की धातु कम हो ? यदि हां, तो क्या इस लौह अयस्क को जापान को बेचने की सम्भावना की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†श्री के० दे० मालवीय : यह प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से पूछा जाय तो ठीक रहेगा।

†श्री रा० प्र० गर्ग : क्या पंजाब के मोहेन्द्रगढ़ जिले में लौह अयस्क के निक्षेप का अनुसन्धान किया गया है ?

†अध्यक्ष महोदय : वह अलग प्रश्न है।

†श्री वें० प० नायर : माननीय मंत्री ने कहा कि वह लौह अयस्क अच्छा नहीं है। इस बात को देखते हुए कि आंध्र में घटिया दर्जे का लौह अयस्क काफी मात्रा में पाया जाता है और इस के शोधन करने में काफ़ी लोगों को नौकरी मिल सकती है, क्या सरकार ने इसे प्रयोग में लाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

†श्री के० दे० मालवीय : अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है।

†श्री जोकीम आल्वा : मैंगनीज और लौह अयस्क के क्षेत्र साथ साथ बेलगाम-उत्तर कनारा और गोआ से आंध्र के बीच तक चले गये हैं। गोआ के अतिरिक्त, जोकि अब हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्या इस निकटवर्ती क्षेत्र में लौह अयस्क के लिये भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : हम ने इस क्षेत्र में लोहे के अनुसन्धान का योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया है और इस का कुछ भाग आरम्भ कर दिया गया है और शेष यथासमय आरम्भ किया जायेगा।

†श्री रामचन्द्र रेड्डी: क्या इस क्षेत्र में खनन के पट्टों के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : जो लोग चाहते हैं उन्हें खनन के पट्टे दिये जा रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इस क्षेत्र में खनन के पट्टों के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

†श्री के० दे० मालवीय : मुझे मालूम नहीं। इस के लिये पूर्व-सूचना की आवश्यकता है।

आसाम प्रतिकर भत्ता

†*७८. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के पश्चात् आसाम में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आसाम प्रतिकर भत्ता देने के बारे में और कोई निर्णय किया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: (क) और (ख), आसाम राज्य के कुछ भागों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता देने की एक योजना जुलाई, १९५६ में स्वीकृत हुई थी। आदेशों की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में है। इस विषय में श्री का० प्र० त्रिपाठी के तारांकित प्रश्न संख्या १२८०, जिस का उत्तर २२ अगस्त, १९५६ को दिया गया था, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्योंकि आसाम में वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में भत्ता कम है, क्या सरकार का इसे बढ़ाने का विचार है ?

†**श्री म० च० शाह** : अभी सरकार का इसे बढ़ाने का कोई विचार नहीं।

श्री त० ब० विट्ठल राव : इस बात को देखते हुए कि वहां रहन सहन का खर्च ज्यादा है, क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राज सहायता प्राप्त खाद्य पदार्थों का सम्भरण करेगी ?

श्री म० च० शाह : सरकार के समक्ष इस समय ऐसा कोई सुझाव नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार सभा-पटल पर उस प्रतिवेदन की एक प्रति रखना चाहती है जो इस सम्बन्ध में आसाम का दौरा करने वाले सरकारी विशेषज्ञों ने प्रस्तुत किया था ?

†**श्री म० च० शाह** : सरकार उस पर विचार करेगी।

†**श्री वें० प० नायर** : कब ?

†**श्री बोस** : क्या यह सच है कि कुछ महंगे क्षेत्रों में, जैसे कि कोयला क्षेत्र, सरकारी कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त भत्ते दिये जाते थे वे बन्द कर दिये गये हैं ?

†**श्री म०च० शाह** : यह प्रश्न आसाम में प्रतिकर भत्ते के बारे में है। जिस किसी ज़िले में जरूरी था वहां हम ने प्रतिकर भत्ता देना स्वीकार कर लिया है।

सामान्य निर्वाचन

†*७९. **श्री वोडयार** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय सामान्य निर्वाचनों में मतदान केन्द्र कर्मचारियों की गलती होने के कारण कहीं दोबारा मतदान किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या और स्थानों के नाम ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) ३९। एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

†**श्री वोडयार** : क्या १९५२ में हुए गत निर्वाचनों में भी इस प्रकार की गलतियां हुई थीं ?

†**श्री विश्वास** : गत निर्वाचन में भी ऐसी गलतियां हुई थीं परन्तु यह कहना कठिन होगा कि क्या हर हालत में गलतियां उसी प्रकार की थीं ?

---

† भूल अंग्रेजी में।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या यह सत्य है कि चुनाव अधिकारियों को एक उम्मीदवार ने यह एक्चुएली (वास्तव में) डिमौंस्ट्रेट (प्रदर्शन) कर के दिखाया कि सील किये हुए बैलेट बाक्सेज़ को खोला जा सकता है और उन को टैम्पर किया जा सकता है ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। क्या माननीय सदस्या, प्रश्न दुहरायेंगी ?

†**राजमाता कमलेन्दुमति शाह** : क्या सही है कि एक उम्मीदवार ने मत पेटी को खोला और यह दिखाया कि उस पर मुहर लगे रहने पर भी उन्हें खोला जा सकता है।

†**श्री पाटस्कर** : यह सम्भव नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मतदान केन्द्रों पर काम करने वाले पदाधिकारियों को काम संभालने से पूर्व कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, यदि हां, तो वह प्रशिक्षण किस प्रकार का है ?

†**श्री पाटस्कर** : मेरा विचार है कि उन्हें काफ़ी हिदायतें दी गई थीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या उन्हें कोई प्रशिक्षण दिया गया था ?

†**श्री पाटस्कर** : और प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : लिखित हिदायतें तो अवश्य दी गई होंगी। परन्तु मतदान केन्द्रों का कार्य संभालने से पूर्व उन्हें कोई प्रशिक्षण दिया गया था जिस से कि वे मतदान केन्द्रों में काम से पूरी तरह परिचित हो जाते ?

†**श्री पाटस्कर** : मालूम नहीं कि इसे क्या कहना चाहिये, उन्हें कुछ स्थानों पर बुलाकर सब सम्भव हिदायतें दी गई और उन के सामने प्रदर्शन कर के दिखाया गया कि यह काम किस प्रकार करना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ पोलिंग स्टेशनों में दुबारा पोलिंग सलिये किया गया कि वहां पर मतदाता सूचियां यानी वोटर्स लिस्ट्स नहीं पहुंच पायीं, जिस से उम्मीदवारों और गवर्नमेंट का दुबारा खर्चा हुआ, तो क्या वह खर्चा उन रिटर्निंग आफिसर्स या सम्बन्धित अधिकारियों से वसूल किया जायेगा ?

†**श्री पाटस्कर** : सरकार को अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई कि कुछ स्थानों पर असल मतदान आरम्भ होने से पूर्व मत पेटियों में मतदान पत्र पाये गये, और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री पाटस्कर** : सरकार को अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उस के अनुसार यह ठीक नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : प्रिज़ाइडिंग आफिसर्स या पोलिंग आफिसर्स के बारे में जो लिख कर शिकायतें दी गई हैं, क्या गवर्नमट द्वारा उन पर कोई ऐक्शन लेने का विचार किया जायेगा या उस को रद्दी की टोकरी में फैंक दिया जायेगा ?

†**श्री विश्वास** : यदि माननीय सदस्य इन मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये इतनी उत्सुक हैं तो मैं सभा पटल पर एक विवरण रख सकता हूं जिस में वे सब परिस्थितियां बताई

---

†मूल अंग्रेजी में।

गई हैं जिन में ये गलतियां हुई हैं। यह विवरण मेरे पास मौजूद है परन्तु यह बहुत लम्बा है। इसलिये मैं इसे पढ़ नहीं सका यदि माननीय सदस्य अधिक उत्सुक हों तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे अभी सभा पटल पर रख देता हूं।

†**श्री झुनझुनवाला** : सम्भव है कि इन के अतिरिक्त और भी गलतियां हुई हों ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभी माननीय सदस्यों को एक सुझाव देना चाहता हूं। समस्त भारत में निर्वाचन हुए हैं और सम्भव है कि कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। माननीय मंत्री से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह आप को तुरन्त उस का कारण आदि बता सकें।

माननीय मंत्री से कहा नहीं गया फिर भी वह गलतियों की एक सूची और उन के कारणों का विवरण सभा-पटल पर रखने को तैयार हैं। इस बात को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के बारे में उन्हें लिखें और आगामी सत्र में यदि उन्हें सन्तोषजनक उत्तर न मिले तो वे ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि सम्भव हुआ तो मैं इस विषय के लिये एक दिन नियत कर दूंगा।

तब तक उन्हें जो कुछ पता चला है उस के बारे में माननीय मंत्री को लिखें।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मेरा निवेदन है कि गलतियों की सूची सभी माननीय सदस्यों के पास भेज दी जाये।

†**श्री पाटस्कर** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : गलतियों को देख कर माननीय सदस्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।

†**श्री पाटस्कर** : बात यह है कि निर्वाचन हाल ही में समाप्त हुए हैं और सरकार के पास थोड़ी सी शिकायतें आई हैं और उसे कुछ गलतियों का पता चला है। यदि विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है तो उस में समय लगेगा और यह यथासमय किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के पास जो विवरण है यदि वह उसे सभा पटल पर रख दें तो इस से कोई हानि न होगी। वह विवरण रख सकते हैं।

†**श्री पाटस्कर** : जी हां : मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]**.

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा करने से माननीय सदस्यों को इस का अध्ययन करने का अवसर मिल जायेगा। जिन माननीय सदस्यों के सामने कोई कठिनाई हो अथवा जिन्हें किसी विशेष गलती के बारे में पता हो वे कृपया माननीय मंत्री को उस से सूचित कर दें।

†**श्री केलप्पन** : कुछ परिणामों की घोषणायें स्थगित कर दी गईं क्योंकि कुछ मत पेटियां टूटी हुई पाई गईं। इस की क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सारे भारत की जानकारी माननीय मंत्री के पास नहीं हो सकती। माननीय सदस्य उन्हें लिख कर भेजें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

वित्त विधेयक

†*८१. **श्री कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौदहवें सत्र के दौरान में लोक सभा में वित विधेयक संख्या २ और ३ पुरःस्थापित किये जाने से तुरन्त पूर्व टाटा आयरन और इंडियन आयरन के अंशों के जो सौदे हुए क्या उन की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९**]

†**श्री कामत** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण की कंडिका २ में लिखा है :

> "की गई जांच से पता चलता है कि यदि ३० नवम्बर को अधिक अंश बिके तो इस का कारण यह था कि उस दिन लगभग डेढ़ बजे श्रेष्ठि-चत्वर के संचालकों को यह समाचार मिलने से, कि सायंकाल को वित्त मंत्री एक वक्तव्य देने वाले हैं बड़ी उत्तेजना (एक्साइटमेंट) पैदा हो गई ।"

'उत्तेजना' शब्द का प्रयोग किया गया है . . . .

इस कंडिका का अर्थ अस्पष्ट है । समाचार से कुछ उत्तेजना फैली । इस कडिका में यही लिखा है । क्या इस उत्तेजना के ही कारण श्रेष्ठि चत्वरों के कुछ एक संचालकों ने उन अंशों में सौदे किये परन्तु सब ने नहीं ? क्या यह केवल उत्तेजना के कारण ही हुआ था कि किसी अन्य कारण से या इसलिये कि उन्हें कोई निश्चित जानकारी प्राप्त हो गई थी ? क्योंकि यह सौदे केवल उत्तेजना से नहीं हो सकते ? ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : "एक्साइटमेंट" (उत्तेजना) शब्द का अर्थ आप शब्द कोष में देख सकते हैं । उत्तेजना का कारण केवल एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता । सामान्यतः यह कई व्यक्तियों में एक साथ पैदा होती है और सम्भव है कि ऐसा ही हुआ हो परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि लोग बहुत उत्तेजित थे ।

उसी दिन मेरे साथी संसद कार्य मंत्री ने १२ बजे और १२-१५ बजे के बीच यह उद्घोषणा कर दी कि वित्त मंत्री एक वक्तव्य देंगे और टेलीफ़ोन टेलीप्रिंटर द्वारा यह समाचार भेज दिया गया । कुछ उत्तेजना पैदा हो गई परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि यह उत्तेजना थोड़े से लोगों में ही थी या कि अधिक में क्योंकि देश के विभिन्न भागों के श्रेष्ठि चत्वरों में जो हालत उस दिन थी उसे पुनः बयान नहीं किया जा सकता ।

†**श्री कामत** : विवरण की कंडिका ४ में कहा गया है कि कुछ दलालों द्वारा, जिन के नाम सभा के सदस्यों ने बताये है कराये गये सौदों की जांच की गई, उस में यह वाक्य है :

> "इन दलालों में से कुछ एक द्वारा बनाये गये सौदों की जांच की गई ।"

क्या दलालों को इन सब सार्थों अर्थात् बम्बई मैसर्ज़, शुभकरण, चोरवानी, मानेकलाल केशवलाल, देवकरण नान्जी ऐंड कम्पनी के वर्जीवन गांधी, आर० जे० मोहता, डी० जी० गोयनका और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कलकत्ता के मैसर्ज़ मोरारका एंड कम्पनी, सोहनलाल पचीसिया और राम कुमार कैंजरीवाल और लोहिया, सुल्तानिया सब के सौदों की जांच की गई या कि इन में से कुछ एक दलालों के सौदे की ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि क्योंकि आप ने उस प्रश्न की अनुमति नहीं दी थी अतः हम नाम नहीं बता सके, किन्तु हम ने अधिकांश सार्थों के सौदों की जांच की है और हमें पता लगा है कि यदि उन में से सब नहीं तो कुछ एक के सौदों में कोई असाधारण बात नहीं थी। सच तो यह है कि एक व्यक्ति के मामले में, 'डियन आयरन के अंशों के कुल सौदे में उसे लगभग ७३,००० रुपयों का लाभ हुआ था।

यह प्रश्न कोई लाखों का नहीं है। वास्तव में जिन नामों का उल्लेख किया गया था उन में से एक या दो का पता नहीं चला। यह बात सभा समझ सकती है कि हम ने जिन लोगों से जांच की है उन के नाम हम बता नहीं सकते हैं। सभा को मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि मामले की जांच कर ली गई है और इस बात का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी ने सिर्फ इसी विशेष स्थिति के कारण बहुत अधिक रुपये बना लिये क्यों उस दिन १ या १–३० बजे सट्टा-बाजार को यह बात मालूम हो गयी थी कि वित्त मंत्री एक वक्तव्य देने वाले हैं।

†**श्री कामत** : मैं तो केवल आपका सहयोग ही मांग सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दूंगा। हां, जहां तक इन नामों का सम्बन्ध है, मुझे याद है कि मैं ने इन नामों को अस्वीकृत कर दिया था। इसी कारण से वह प्रश्न अस्वीकृत कर दिया .....

†**श्री कामत** : प्रश्न समय न रहने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल समय की कमी के कारण ही अस्वीकृत नहीं किया गया था।

अब मैं भविष्य में सभा का पथ-प्रदर्शन करने के लिये यह सुझाव देता हूं। सभी मामलों में कुछ नामों का उल्लेख कर देना और सट्टा बाजार को येन केन प्रकारेण अपने नियंत्रण में रखने के प्रयासों के साथ उन का नाम जोड़ देना सरल है। इस से क्षति तो हो ही जाती है, भले ही आगे चल कर यह पता चले कि किसी विशेष सौदे के साथ इन फर्मों का कोई भी सम्बन्ध नहीं था। इसलिये, इन परिस्थितियों में यदि कोई सामान्य प्रश्न लोक-हित में हो तो मैं सभा में उस का उत्तर दिये जाने की स्वीकृति दे दूंगा। परन्तु जहां तक नामों का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्यों को कुछ नाम बताने हैं तो वे उन्हें मंत्री महोदय को बता सकते हैं। यदि नाम यहां के सचिवालय को दिये जाते हैं तो वह भी यह पता लगाने के लिये मंत्री महोदय के पास भेज दिये जायेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था।

यहां नामों की एक फेहरिस्त दी गयी है। यह मुझे पसन्द नहीं है। केवल ८ या ९ ही क्यों ८०० या ९०० नाम भी दिये जा सकते हैं और जांच करने पर यह पता चलना संभव है कि उन में से एक की भी उस में दिलचस्पी नहीं थी, या एक भी उस से सम्बन्धित नहीं था। संभव है कि एक या दो का उस से सम्बन्ध भी हो, परन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि अन्य व्यक्तियों को भी यहां लपेट लिया जाये। व्यापारी तथा अन्य व्यक्ति भी उतने ही भले हो सकते हैं जितने कि देश के अन्य लोग हैं।

ऐसी स्थिति म, योंही किसी का नाम लेना म वांछनीय नहीं समझता। वह सीधे अथवा इस सचिवालय के माफत मंत्री महोदय के पास भेज दिये जाने चाहियें।

†**श्री कामत** : एक औचित्य प्रश्न है ; पिछले सत्र के अंतिम सप्ताह में मैं ने और मेरे एक सहयोगी, श्री म० शि० गुरूपादस्वामी अथवा किसी अन्य ने, नामों सहित एक अल्पसूचना प्रश्न की सूचना दी.

---

†मूल अंग्रेजी में।

थी। हमेशा की तरह ही यह प्रश्न मंत्रालय को भेज दिया गया। बाद में, मेरा ख्याल है कि संभवतः समय की कमी के कारण उसे अस्वीकृत कर दिया गया। आपने हमें यह नहीं बताया था कि प्रश्न को इसलिये अस्वीकृत किया गया था क्योंकि उसमें नाम दिय गये थे। पहली बात तो यह है ।

जहां तक औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने अभी ही कहा है —और उन्होंने विवरण में कही गयी बातों की ही पुष्टि की है—कि केवल थोड़े ही दलालों द्वारा किये गये सौदों की जांच की गयी थी। मंत्री महोदय से इस आशय का स्पष्ट वक्तव्य दिलाने के लिये, कि जिन दलालों के नाम दिये गये थे उन सभी द्वारा किये गये सौदों की जांच की गयी अथवा नहीं, मैं आपका सहयोग चाहता हूं। वह नाम जानते हैं। क्या इन सभी दलालों द्वारा किये गये सौदों की जांच की गयी थी ? यदि नहीं, तो यह जांच क्यों नहीं की गयी ?

फिर, यह स्वीकार किया गया है कि कुछ दलालों ने ७३,००० रुपये, अथवा १,००,००० रुपये या २,००,००० रुपये मुनाफा कमाया। यह लाभ किसे हुआ ? जब नाम बताये गये थे तो अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये सौदों की जांच क्यों नहीं की गयी ? मुझे आशा है कि इस बात का उत्तर देने के लिये आप मंत्री महोदय को बाध्य करेंगे ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इससे पूर्व कि आप इस सम्बन्ध में अपनी राय बतायें, मेरा यह सुझाव है कि माननीय सदस्य इस विवरण को दुबारा पढ़ लें। वास्तव में हमने ९ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच की है। उन्होंने ९ नाम दिये थे। हमने देखा कि उनमें से एक का तो पता ही नहीं चला और काफी ऐसे थे जिन्होंने सौदे किये ही नहीं थे। सिर्फ इसीलिये मनमाने ढंग से कार्य-वाही करना हमारे लिये उचित नहीं है कि किसी ने माननीय सदस्य को कुछ नाम बताये और उन्होंने वे नाम हमें दे दिये थे। दलाली करने वाली फर्में अनेक कारणों से सौदे करती हैं और यदि किसी दिन उन्हें ७३,००० रुपयों का लाभ हो जाये तो इसे हम कोई असाधारण बात नहीं मानते हैं। दलाली करने वाली फर्में एक-एक दिन में ७३,००० अथवा १,००,००० रुपये कमा लेती हैं। परन्तु मेरा ख्याल है कि अदालती ज़ांच को छोड़कर, जिस का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाता है, अन्य मामलों में नामों का बताया जाना संभव नहीं है।

जैसा मैं ने कहा, एक व्यक्ति का पता नहीं चला। फिर, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कोई सौदा ही नहीं किया। एक व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐसा भी हो सकता है कि इस तथ्य के अलावा कि वित्त मंत्री एक वक्तव्य देने वाले ह, इस बात के अनेक कारण हो सकते हैं कि उसने सौदे किये। यह बात कुछ असाधारण नहीं लगी क्योंकि थोड़ी उत्तेजना तो थी ही। 'कैपिटल' में कहा यह गया था कि लाखों रुपये बनाय गये हैं। हमें इसका सबूत नहीं मिला। मैं केवल इतना ही बता सकता हूं। म कुछ अधिक इसलिये नहीं कह सकता क्योंकि सभा को ऐसी सूचना देना उचित नहीं है जिसके लिये मेरे पास कोई प्राधिकृत प्रमाण न हो।

†**श्री कामत** उठे—

†**श्री वें० प० नायर** : विवरण म यह कहा गया है कि गुप्परूप से जांच की गयी थी। क्या मंत्री महोदय सभा को यह बता सकते हैं कि जांच किस ढंग से की गयी और किसने की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ऐसे किसी प्रश्न को स्वीकार नहीं करूंगा। कोई भी माननीय सदस्य मंत्री महोदय से यह पूछ सकते ह कि क्या किसी बात की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया

† मल अंग्रेजी में ।

गया है या कि उन्होंने जांच की है। यह प्रश्न, कि किस को भेजा गया, वह क्लर्क था अथवा उप-सचिव, संयुक्त सचिव था या सचिव था, सरकारी प्रशासन से सम्बन्धित हैं। मैं ऐसे प्रश्नों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

जहां तक श्री कामत द्वारा उठायी गयी बात का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि वे जो बातें जानना चाहते थे वे वित्त मंत्री ने बाद में स्पष्ट कर दी हैं। स्पष्ट है कि वे यही स्पष्टीकरण चाहते थे। उन्होंने ९ नाम दिये थे। मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने कुछ नामों के विषय में पता लगाया था। इसलिये, श्री कामत ने यह समझा कि अन्य मामलों की बिल्कुल जांच ही नहीं की गयी।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हमने सभी के बारे में जांच की थी। हम एक का पता नहीं लगा सके। जहां तक अन्य लोगों का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ के सम्बन्ध में पता लगा कि उन्होंने कोई सौदा किया ही नहीं था।

†**अध्यक्ष महोदय** : अबतो श्री कामत संतुष्ट हो गये होंगे।

†**श्री कामत** : मझे संतोष नहीं हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट है कि वह यही नहीं जानना चाहते थे कि उन्होंने जो सूचना दी थी मंत्री महोदय को उसके सम्बन्ध में जांच करानी चाहिये थी। यदि यह काम किया गया है तब तो ठीक ही है।

जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, प्रश्न यह है कि जो भी छोटे अथवा बड़े मुनाफे हुए वे साधारण स्थिति में हुए अथवा आय-व्ययक में की गयी प्रस्थापनाओं की जानकारी जैसी बाहरी परिस्थितियों के कारण हुए ?

†**श्री कामत** : उस दिन जो सौदे हुए, जिन्हें असाधारण मान भी लिया गया है, उनको ध्यान में रखते हुए .....

†**अध्यक्ष महोदय** : उनको असाधारण नहीं माना गया है।

†**श्री कामत** : यह विवरण में कहा गया है——उत्तेजना, अंशों की बड़ी संख्या में बिक्री और इसी तरह की सभी बातें।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपनी राय अपने ही तक रख और प्रश्न पूछें।

‡

†**श्री कामत** : जो जांच की गयी थी वह क्या विशेष पुलिस विभाग ने की थी। जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा कि मामले की अदालती जांच कराने की कोई मनाही नहीं है, तो क्या इस मामले की अदालती जांच कराने का भी कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हमने जिस जरिये से जांच की उसे तो गुप्त रखना ही होगा।

†**श्री कामत** : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अदालती जांच का कोई प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा था कि अदालती जांच करायी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

Special Police Establishment.

केरल में लिग्नाइट

†*८२. **श्री मात्तन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १३ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में लिग्नाइट की खानों का पता लगाने और उनका उपयोग करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) वहां कितना लिग्नाइट निकलने का अनुमान है ?

‡

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत की भूतत्त्वीय सर्वेक्षण संस्था ने बर्मों की मदद से फरवरी, १९५७ से ब्योरेवार जांच का काम आरम्भ किया है। यह जांच पूरी होने के बाद ही उपयोग करने का प्रश्न उठाया जा सकता है।

(ख) जांच पूरी होने के बाद ही विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे।

†**श्री मात्तन** : वहां कितने बर्मों का प्रबन्ध किया गया है ? इस के अतिरिक्त और किन-किन उपकरणों का प्रबन्ध किया गया है ? क्या बर्मे अच्छी हालत में हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक मुझे पता है, वहां केवल एक बरमा काम कर रहा है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह जांच कुछ महीनों में पूरी हो जायेगी, अथवा इसमें वर्षों लगेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम इसे कुछ ही महीनों में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : बरमों से खुदाई के फलस्वरूप जो नमूने प्राप्त हुए हैं क्या उन्हें ईंधन गवेषणा संस्था में भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक जो विश्लेषण किया गया है उस से क्या लिग्नाइट में वैनेडियम आक्साइड होने का पता चला है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस संबंध में अभी मैं कुछ नहीं बता सकूंगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: प्रश्न यह था कि क्या इसे धनबाद की ईंधन गवेषणा संस्था में भेजा गया था ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने उसका उत्तर दे दिया है। मुझे यह नहीं मालूम कि माननीय सदस्य जिस विशेष विश्लेषण का जिक्र कर रहे थे उस के लिये इसे भेजा गया है या नहीं।

†**श्री वें० प० नायर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईंधन गवेषणा संस्था इस सम्बन्ध में बड़ा अच्छा विश्लेषण कर सकती है, क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि विभिन्न बरमों से—छिद्रों से—जैसे ही नमूने प्राप्त होंगे, उन्हें ईंधन गवेषणा संस्था में भेज दिया जायेगा।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं ने कहा था कि इसके परिमाण और गुणावगुण संबंधी अनुमान लगाने के लिये हमें कुछ और ठहरना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य से तब तक ठहरने का अनुरोध करूंगा जब तक कि पता लगाने का काम पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद हम उन्हें बता देंगे। मुझे आशा है कि मैं उन्हें शुभ समाचार दे सकूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

‡Geological Survey of India.

†**श्री मातनः** क्या मंत्री महोदय का यह ख्याल है कि वहां पर्याप्त उपकरण हैं ; यदि नहीं तो क्या वे अतिरिक्त उपकरणों, अर्थात् एक अच्छे किस्म के बरमे का प्रबन्ध करेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं यह स्वीकार कर लेता हूं कि वहां जिन उपकर ों से काम लिया जा रहा है, वे मेरे अनुमान से पर्याप्त नहीं हैं परन्तु मझे खेद है कि मैं वहां कुछ और उपकरण नहीं भेज सकता क्यों कि हमारे यहां बरमों की कमी है ।

जवार खानें

†*८४. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार जवार खानों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी नहीं ।

†**श्री बलवन्त सिंह मंहता** : जब सरकार की औद्योगिक नीति में लोहे तक खनिज-पदार्थों को सरकारी क्षेत्र में रखा गया है तब इसे क्यों अलग कर दिया गया ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का तात्पर्य यह नहीं है कि गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा चलायी जाने वाली सभी खानों का प्रबन्ध अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिये, वरन् यह है कि केवल नयी खानों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में होगा ।

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : केवल इन्हीं खनिज पदार्थों के राष्ट्रीयकरण की मनाही कर दी गयी है अथवा उद्योगों संबंधी सभी खोजों के राष्ट्रीयकरण की भी मनाही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मनाही तो किसी भी चीज की नहीं की गयी है ।

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : इन खानों में उत्पादन बढ़ाने और वहां इन उद्योगों की स्थापना में शीघ्रता की गारंटी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार जस्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्सुक है, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने संबंधित गैर सरकारी समवाय से अनेक बार चर्चा की और उसने जस्ते के अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने का वचन दिया है । परन्तु कुछ ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक हैं ; जैसे बिजली का संभरण और संचार साधन । हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और हमें आशा है कि इस मामले के तय होते ही अयस्क का उत्पादन बढ़ जायेगा ।

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या उत्पादन बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है और क्या गैर-सरकारी उपक्रमों ने अपने वचन पूरे किये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उत्पादन बढ़ाने के लिये हमने आपस में एक कार्यक्रम तय कर लिया है । परन्तु, दुर्भाग्यवश गैर-सरकारी क्षेत्र ने उस कार्यक्रम में साथ नहीं दिया है और इस से हम खुश नहीं हैं । मैं तो चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में तेजी लायी जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पालम हवाई अड्डा

†*८५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री २२ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असैनिक विमान यातायात को पालम हवाई अड्डे से पृथक कर देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे वहां से कब हटाया जायेगा ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) यह मामला इस समय भी प्रतिरक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है ?

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या असैनिक यातायात के लिये नये हवाई अड्डे का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है ?

†**श्री पाटस्कर** : जहां तक असैनिक यातायात का सम्बन्ध है, हम यही चाहते हैं कि वह पालम हवाई अड्डे से ही आये-जाये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : दिल्ली में एक असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण करने की जो योजना चार वर्ष पूर्व सरकार के विचाराधीन थी, उसके संबंध में इस समय क्या स्थिति है ? उसका क्या हुआ; क्या उसे रद् कर दिया गया है ?

†**श्री पाटस्कर** : उसे रद् नहीं किया गया है । इस समय भारतीय वायु सेना और असैनिक उड्डयन विभाग, दोनों द्वारा ही पालम हवाई अड्डे का प्रयोग किया जा रहा है और ऐसा उपयुक्त स्थान खोजना, जहां वे नये हवाई अड्डे का निर्माण कर सकें, प्रतिरक्षा विभाग तथा असैनिक उड्डयन विभाग, दोनों ही के लिये कठिन हो रहा है ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार ने इस संभावना पर विचार किया है कि एक पृथक हवाई अड्डे का निर्माण करने के स्थान पर विलिंगडन हवाई अड्डे को ही बढ़ाया जाये, जिससे वहां बड़े अथवा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात को स्थान दिया जा सके ?

†**श्री पाटस्कर** : आपका तात्पर्य सफदरजंग हवाई अड्डे से है । इसमें कठिनाई यह है कि वह बस्तियों के अत्यंत निकट है। हम बड़े आकार के नये विमान प्राप्त कर रहे हैं, और इसलिये यह स्थान उपयुक्त नहीं होगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : जिस समय पालम पर रूसी जेट विमान आये थे, उस समय रनवे के संबंध में कठिनाई पड़ी थी । अमरीकन बोइंग जेट विमानों के भी शीघ्र ही आने की आशा है और क्या मैं जान सकता हूं कि पालम हवाई अड्डे पर इन विमानों के उतरने के लिये क्या तात्कालिक प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री पाटस्कर** : बोइंग विमानों के यहां १९६० तक आने की आशा है और विभाग इस बात के लिये उत्सुक है कि उनके लिये यहां आने से पूर्व एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाना चाहिये जहां इतने बड़े विमानों को रखा जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दक्षिणी क्षेत्रीय उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था*

†*८६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब इस प्रश्न पर निर्णय कर लिया गया है कि दक्षिणी क्षेत्रीय उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था को किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौनसा स्थान चुना गया है ;

(ग) क्या कोई जमीन ले ली गयी है ; और

(घ) वर्ष १९५७–५८ में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि व्यय किये जाने की संभावना है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). यह मामला विचाराधीन है ।

(घ) १९५७–५८ के बजट में इस संस्था के लिये अभी कोई उपबंध नहीं किया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह संस्था किस स्थान पर खोली जाये इसके संबंध में अन्तिम निर्णय में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वर्तमान स्थिति यह है कि क्षेत्रीय समिति[1] ने यह सिफारिश की है कि यह संस्था मद्रास में खोली जाये और समन्वय समिति[2] ने भी इस सिफारिश का अनुमोदन किया है ; और मद्रास सरकार स्थान की तलाश कर रही है । इस के संबंध में अंतिम निर्णय होते ही सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या मद्रास के गिंडी स्थान पर स्थित इंजीनियरिंग कालेज का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने और उसी में इस दक्षिणी क्षेत्रीय प्रौद्योगिकीय संस्था को रखने का कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** शुरू में इस आशय का प्रस्ताव आया था परन्तु अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस संस्था के लिये भवनों का निर्माण कब से शुरू होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितने शीघ्र यह संभव हो सकेगा ।

†**डा० रामा राव :** मंत्री महोदय ने कहा है कि १९५७–५८ में इसके लिये कुछ भी राशि अलग नहीं की गयी है । जब वे स्थान की तलाश कर रहे हैं तब अस्थायी तौर पर भी इस संस्था के लिये कुछ राशि अलग न किये जाने का क्या कारण है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस संस्था के अलावा अन्य ३ संस्थाओं का विकास करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७.५ करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया गया है । अब, जैसे ही प्रबन्ध को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, वैसे ही सरकार इस संस्था के विकास के लिये आवश्यक उपबन्ध कर देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

* Southern Regional Higher Technological Institute. [1] Regional Committee.

[2] Co-ordinating Committee.

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या इस सम्बन्ध में प्रविधिक सलाह देने के विदेशी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, और यदि हां तो क्या प्रस्तावित दक्षिणी क्षेत्रीय संस्था के मामले में इनमें से किसी का उपयोग किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पश्चिमी जर्मनी के संघीय गणतंत्र ने एक प्रौद्योगिकीय संस्था की स्थापना में सहायता देने का प्रस्ताव किया है और सरकार निश्चय ही इस प्रस्ताव से लाभ उठायेगी ।

निर्वाचन दिवस

***८७. श्री वोडयार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुछ सरकारी सस्थाओं और कार्यालयों ने विभिन्न निर्वाचन तिथियों पर क्षेत्रीय छुट्टी की घोषणा नहीं की थी ?

गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : फरवरी के आरम्भ में ही यह हिदायतें जारी कर दी गयीं थीं कि विभिन्न राज्यों में विशेष क्षेत्र (क्षेत्रों) में मतदान की तारीख (तारीखों) पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय बन्द रखे जायें । लगभग उसी समय श्रम मंत्रालय ने भी यह हिदायतें जारी की थीं कि सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये सभी उचित सुविधायें प्रदान की जायें । सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें इन हिदायतों का पालन नहीं किया गया है ।

†**श्री वोडयार** : क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों से निर्वाचन के दिन के लिये छुट्टी की घोषणा करने का अनुरोध किया था ?

†**श्री दातार** : सरकार ने यही तो किया था । सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर सभी मालिकों से अपने श्रमिकों को इस सम्बन्ध में सुविधायें प्रदान करने का अनुरोध किया था ।

†**राजमाता कमलेन्दुमति शाह** : क्या यह सच है कि सरकार की हिदायतें इसके विपरीत होते हुए भी अध्यापकों और बच्चों ने चुनाव-आन्दोलन और प्रचार कार्य में भाग लिया ?

†**श्री दातार** : यह बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है ; इसका छट्टियों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या बंगलौर के बहुत सारे श्रमिक केवल इस कारण से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके कि इन हिदायतों के होते हुए भी मिलें बन्द नहीं की गयीं ?

†**श्री दातार** : सरकार को इसका पता नहीं है ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट जैसी सरकारी फैक्टरियों ने छुट्टी की घोषणा नहीं की थी जिसके फलस्वरूप वहां के मतदान-केन्द्रों में बहुत कम मत पड़े ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को निर्वाचन की तिथियों पर छुट्टियों की घोषणा कर देने की हिदायतें दे दी गयी थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पश्चिमी बंगाल में तेल

†*८८. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में तेल के कुएं खोदने का काम कब शुरू होगा ;

(ख) क्या इनके लिये कोई स्थान तय किया गया है ; और

(ग) तेल के कुएं खोदने का काम किसके अधीन है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) लगभग अप्रैल, १९५७ के मध्य तक ।

(ख) जी हां । जो स्थान चुना गया है वह बर्दवान से लगभग २ मील दूर है ।

(ग) स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सभी स्थानों में कुओं की खुदाई के लिये सरकार ने ऐसे स्थानों की कोई प्राथमिकता सूची तैयार की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : "खुदाई स्थानों" से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है, मैं समझ नहीं सका । ो वर्ष की कठिन खोज के पश्चात् केवल एक स्थान चुना जा सका है जहां खुदाई करने से और आगे कुछ गुंजायश निकल सकती है । वहां एक से अधिक स्थान नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि वहां किसी अन्य स्थान पर तेल मिलने की संभावना नहीं है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं ने यह तो नहीं कहा ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या उत्तर प्रदेश में हिमालय की तराई के क्षेत्रों में तेल के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कि पानी के साथ तेल मिला पाया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का संबंध तो पश्चिम बंगाल से है ।

श्री भागवत झा आजाद : १९५७ के मध्य में जिस क्षेत्र में तेल के कुओं की खुदाई की जाने वाली है उसमें खोज संबंधी प्रतिवेदनों के अनुसार कितने परिमाण में तेल पाये जाने की संभावना है ?

श्री के० दे० मालवीय : इस क्षेत्र में हमने भूतत्वीय और भूभौतिकीय खोज अभी ही पूरी की है और पहला छिद्र ही खोदा जा रहा है और उस से उस क्षेत्र के प्रारम्भिक बनावट के बारे में आगे की कुछ बातें ज्ञात हो सकती हैं । उस तेल के, जो वहां पहले छिद्र के खोदे जाने के बाद प्राप्त भी हो सकता है और नहीं भी प्राप्त हो सकता है, परिमाण और गुणावगुण के संबंध में इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : समाचारपत्रों में प्रकाशित इस खबर को ध्यान में रखते हुए कि आसाम आयल कम्पनी रुपया समवाय बनाने संबंधी करार को पूरा करने से पीछे हट रही है, क्या मैं जान सकती कि पूर्वी क्षेत्र में तेल के कुओं की खुदाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह प्रश्न आसाम आयल कम्पनी से संबंधित है । आसाम आयल कम्पनी के प्रश्न पर हम बाद में विचार कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

निर्वाचन सम्बन्धी अपराध

†*८९. **श्री कामत** : क्या विधि मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) द्वितीय आम चुनावों में प्रत्येक राज्य से प्राप्त होने वाले निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के भाग ७, परिच्छेद ३ में उल्लिखित वर्गों में से प्रत्येक के अंतर्गत अलग-अलग आंकड़े; और

(ग) प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) से (ग) जो जानकारी मांगी गई है वह अभी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों से ब्यौरा एकत्रित कर लेने के पश्चात् निर्वाचन आयोग से विवरण प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है किन्तु इस कार्य में कुछ समय लगेगा।

†**श्री कामत** : क्या राज्यों से ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जिनमें उम्मीदवारों अथवा चुनाव एजेंटों द्वारा इस आशय की शिकायत करने पर कि मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में ले जाने के लिये सवारी का प्रयोग किया गया था या मतदान केन्द्रों के आसपास प्रचार किया गया था, मौके पर उपस्थित पुलिस ने कार्यवाही करने से मना कर दिया जबकि उपरोक्त दोनों कार्य अब गैर-कानूनी कार्य या हस्तक्षेप्य अपराध माने गये हैं?

†**श्री विश्वास** : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि यह विस्तृत है। निर्वाचन आयोग के पास इस समय उपलब्ध जानकारी पूरी नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। अतः हम इन ब्यौरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हवाई अड्डा डबोक

†*९०. **श्री बलवन्त सिंह महता**: क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में डबोक हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अभी तक खर्च की गई राशि;

(ग) इसे कब से काम में लेने की आशा है; और

(घ) किन-किन विमान मार्गों से इसका सम्पर्क स्थापित किया जायेगा?

†**विधि-कार्य असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जी, हां, कुछ साधारण बातों को छोड़कर।

(ख) २८ फरवरी, १९५७ तक ७,०७,८५९ रुपये।

(ग) और (घ) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन उदयपुर (डबोक हवाई अड्डे) को दिल्ली-राजकोट हेलेन सर्विस से मिलाने पर विचार कर रहा है परन्तु अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : राजस्थान की विशालता और संचार की दुर्बोधिता को ध्यान में रखते हुए और पाकिस्तान से इसके सामीप्य पर विचार करते हुए क्या असैनिक उड्डयन मंत्री ने राजस्थान में सुरक्षित एवं विश्वस्त हवाई अड्डे के बारे में कोई कार्यक्रम निर्धारित किया है?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर** : असैनिक उड्डयन विभाग इन सब विषयों पर विचार कर रहा है जिनमें राजस्थान भी सम्मिलित है। किन्तु आसाम सरीखे अन्य क्षेत्र भी हैं जहां ऐसी ही कठिनाइयां हैं और इन सब पर विचार किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

†***९१. डा० रामा राव**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में २८ फरवरी, १९५७ तक पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों में छात्रवृत्ति के रूप में दी गई राशि;

(ख) उक्त वर्गों में १९५५–५६ में दी गई राशि;

(ग) १९५६–५७ में २८ फरवरी, १९५७ तक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में दी गई राशि; और

(घ) १९५६–५७ में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिय कुल कितनी स्वीकृत की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (घ). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २०**]

†**डा० रामा राव**: क्या इन छात्रवृत्तियों के लिये नियत रकम में वृद्धि करने के लिये सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: पिछले वर्ष यह रकम बढ़ा दी गई थी और यदि आवश्यकता उत्पन्न हुई तो सरकार निस्संदेह इस पर विचार करेगी।

†**डा० रामा राव**: क्या सरकार का ध्यान विशेष रूप से अन्य पिछड़े वर्गों की ओर आकर्षित किया गया है जिनके लिये छात्रवृत्ति की रकम सर्वथा अपर्याप्त है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अन्य पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत सभी वर्गों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करना सम्भव नहीं है किन्तु अत्यधिक बुद्धि सम्पन्न विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलता है।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या यह सच नहीं है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा छात्रवृत्ति कम मिलती है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि माननीय सदस्य के पास कोई उदाहरण हों तो वह मुझे बतायें और मैं इस मामले की जाँच करूंगा।

†**श्री केलप्पन**: क्या १९५५–५६ और १९५६–५७ स्वीकृत सम्पूर्ण राशि दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या मैं उसके कारण जान सकता हूँ ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विवरण में इन दोनों विषयों के बारे में जानकारी दी गई है और यदि माननीय सदस्य इसे देखें तो उन्हें यह मालूम हो जायेगा।

†**श्री अच्युतन** : अन्य पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने में क्या मापदण्ड अपनाया गया था ? क्या एक राज्य और दूसरे राज्य में भेदभाव किया गया था ? अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने में किस नीति का अनुसरण किया गया है ? क्या इसमें प्रतिवर्ष कमी हो रही है जैसा कि विवरण से प्रतीत होता है क्योंकि १९५५–५६ में यह

---

†मूल अंग्रेजी में ।

राशि लगभग ७३,५३,००० रुपये थी जबकि १९५६–५७ में यह लगभग ७३,१८,००० रुपये रह गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में मैट्रिक अथवा इण्टरमीजिएट परीक्षा में ६० प्रतिशत अथवा इससे अधिक नम्बर से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अथवा डिग्री परीक्षा में ५० प्रतिशत या इससे अधिक नम्बर प्राप्त करने वाले पुरुष उम्मीदवारों को तथा उपरोक्त प्रत्येक अवस्था में पांच प्रतिशत कम नम्बर पाने वाले महिला उम्मीदवारों को पिछले वर्ष छात्र-वृत्तियां प्रदान की गई थीं। यही आधार था।

†**श्री केशव अय्यंगार** : छात्रवृत्तियों की मंजूरी में इतनी देर लगने के क्या कारण हैं जिनसे विद्यार्थियों को पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कुछ मामलों को छोड़कर और देर नहीं हुई है। इसका कारण यह था कि निर्धारित की गई रकम समाप्त हो गई थी और हमें वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त राशि के लिये प्रार्थना करनी पड़ी। सरकार इस बात के लिये उत्सुक थी कि सभी विद्यार्थियों को जो इसके पात्र हैं छात्रवृत्तियां दी जायें। विद्यार्थियों को सहायता करने की दृष्टि से भले ही कुछ देर हो गई हो।

†**श्री जांगड़े** : क्या यह सच नहीं है कि संसद् के अनेक सदस्यों की प्रार्थनाओं के बावजूद भी वृत्तिका माहवारी किस्तों में नहीं दी जाती है और विद्यार्थियों को अप्रैल के महीने में भी वृत्तिका नहीं मिलती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह सही नहीं है। अप्रैल और मई १९५६ में २३ लाख रुपये की तदर्थ रकम १४०० संस्थाओं के पास रख दी गई थी ताकि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उपयुक्त उम्मीदवारों में इसे बांट दें। इस रकम का समायोजन बाद में कर दिया जाता। अतः जिन मामलों का मैंने पहले उल्लेख कर दिया है उनको छोड़कर कोई देर नहीं हुई है।

†**श्री ब० स० मूर्ति**: अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग विद्यार्थियों को दी जाने वाली रकम के मामले में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो वृद्धि हुई है मैं उसे जानना चाहता हूँ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि माननीय सदस्य विवरण पढ़ें तो उन्हें इस विषय का मोटा रूप मिल जायेगा।

रात्रि विमान सेवा

†***९२. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार १९५७ में रात्रि विमान सेवा और बढ़ाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)**: (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पन्ना की हीरे की खानों का राष्ट्रीयकरण

†***९३. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या प्राकृतिक संसाधन और **वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १७ अप्रैल १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११२६ के उत्तर क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि क्या पन्ना की ही की खानों का उसके बाद राष्ट्रीय करण कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी, नहीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : कुछ समय पूर्व यह समाचार था कि सरकार पन्ना की हीरे की खानों को अपने हाथ में लेने का विचार रखती है । क्या उसके पश्चात् इस निर्णय को बदल दिया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं । निर्णय वहीं है किन्तु प्रतिकर की रकम के सिलसिले में वार्ता चल रही है ।

मतदान स्थगन

†*९४. **श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कुछ भागों में मतदान स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम तथा वह तिथि या तिथियां जब इन में से प्रत्येक क्षेत्र में मतदान होगा; और

(ग) मतदान स्थगन करने के क्या कारण हैं ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) जी, हां ; हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बर्फीले प्रदेशों में ।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१**]

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमशः १६ और २० फरवरी, १९५७ को जारी किये गये दो प्रेसनोट में मतदान स्थगित करने के कारण दिये गये हैं । ये नोट लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २१]**

†**श्री कामत** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है कि चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जून--३१ मई--तक के लिये मतदान स्थगित कर दिया गया है और विवरण में यह भी बताया गया है कुलू विधान सभा के लिये चुनाव ६ जुलाई, १९५७ तक और कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये १५ जुलाई, १९५७ तक चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं । इसकी विधिसम्मत और यथार्थ स्थिति क्या है ? क्या इस स्थिति में यह कहना सही होगा कि जब तक इन संघ क्षेत्रों, संसदीय अथवा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान नहीं होता तब तक आम चुनाव की समाप्ति नहीं समझी जायेगी ?

†**श्री विश्वास** : सच तो यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इस प्रकार के मामलों के लिये उपबंध है । इन चुनावों के स्थगन करने का यह अभिप्राय नहीं है कि चुनाव के परिणाम अवैध हो जायेंगे ।

†**श्री कामत** : मैं वैधता को चुनौती नहीं दे रहा हूँ । उन्हें भ्रम हो गया है । मेरा प्रश्न यह था कि इन विधान सभाई एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान न होने पर भी क्या आम चनाव पूर्ण अथवा समाप्त मान लिये जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इन निर्वाचनों के समाप्त होने के पहले संसद् की बैठक हो सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वास** : इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। उक्त चुनाव कभी भी हों उनका अन्य चुनावों पर प्रभाव नहीं होगा।

†**श्री कामत** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न के काफी उत्तर दिये जा चुके हैं।

†**श्री कामत** : मैं इसे स्पष्ट कर दूं। क्या सम्पूर्ण देश में, समूचे भारत में आम चुनाव समाप्त होने पर ही नई संसद् की रचना होगी ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : यदि किन्हीं बाह्य कारणों से उदाहरणार्थ चुनाव की असम्भाव्यता आदि यदि कुछ स्थानों पर चुनाव नहीं हुए तो कोई कानूनी कठिनाई पैदा नहीं होगी।

†**श्री विश्वास** : अधिनियम का एक विशिष्ट भाग इसी विषय से सम्बन्धित है।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ स्थानों में निर्वाचन स्थगित करने से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर असर पड़ेगा। और यदि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर समान मत रहे तो क्या होगा ?

†**श्री पाटस्कर** : ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित सीटें

*९५. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने रक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या के आंकड़े १९३१ की जन-गणना से लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ;

(ग) क्या सभी राज्यों में रक्षित सीटों की संख्या एक ही आधार पर निर्धारित की गई है या कुछ राज्यों में भिन्न प्रकार से; और

(घ) क्या ये आंकड़े राज्य सरकारों ने भेजे थे या सीधे जन गणना आयुक्त के कार्यालय से मिले थे ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या निर्धारित करने के लिये परिसीमन आयोग ने १९५१ की जनगणना के आंकड़े स्वीकार किये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) रक्षित स्थानों की संख्या निर्धारित करने का आधार सब राज्यों में समान था।

(घ) आयोग द्वारा स्वीकृत आकड़े वही थे जो पिछली जनगणना में सुनिश्चित करने के पश्चात् संगत जनसंख्या आंकड़ों के रूप में जनगणना अधिकारियों द्वारा प्रकाशित किय गये थे।

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या मैं १९५१ में इन आंकड़ों का आधार जान सकता हूँ जब कि इस प्रकार की जनगणना नहीं थी ?

मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वास** : हम जनगणना प्रतिवेदन से यह ले रहे हैं।

†**श्री बलवन्त सिंह महता**: क्या यह सच है कि पिछले चुनावों से इस चुनाव तक की अवधि में ये जातियां और आदिम जातियां एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान में एकत्रित हो गई हैं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्वाचन-क्षेत्रों, राज्यों आदि के नाम के बारे में क्या किया गया है ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : यदि अलग प्रश्न पूछा जाये तो संभवतः यह जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

†**श्री जांगड़े** : क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ जातियों और आदिम जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में से निकालने पर भी उक्त जाति की जनसंख्या में कोई कमी नहीं हुई है और इस प्रकार जनगणना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की चुनाव आयोग द्वारा पुष्टि नहीं की गई है और क्या यह भी मालूम हुआ है कि कुछ राज्यों में किन्हीं स्थानों की कमी हुई है।

†**श्री पाटस्कर** : इस प्रश्न से यह बात उत्पन्न नहीं होती है। १९५१ की पिछली जनगणना में कदाचित् राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रगणित अनुसूचित जातियों में कुछ सम्मिलित कर दिये गये थे। किन्तु जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, पृथक् आदेश जारी कर इसका समनुवर्ती समायोजन कर दिया गया था।

उस्मानिया विश्वविद्यालय

†* ९६. **डा० रामा राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा उस्मानिया विश्वविद्यालय लेने के प्रस्ताव क विरुद्ध आंध्र सरकार की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) उक्त प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**डा० रामा राव** : क्या सरकार आंध्र प्रदेश की उस प्रबल जन भावना से अवगत है जो वहां के इने गिने विश्वविद्यालयों में से केन्द्र द्वारा किसी एक विश्वविद्यालय को भी लेने के विरुद्ध वहां व्याप्त है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सरकार इन सब बातों पर विचार करेगी।

†**डा० रामा राव** : सरकार इस डेमोकल्स की तलवार को कब तक लटकाये रखेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: तलवार लटकने का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार आंध्र सरकार से वार्ता करेगी। राज्य के सम्पूर्ण हित और राष्ट्रीय हित पर विचार किया जायेगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : इस सम्बन्ध में अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श नहीं किया गया है। जैसा मैंने कहा था, भारत सरकार इस विषय पर आंध्र सरकार से बातचीत करेगी।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण बताये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** आंध्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार न किये जाने का अभी कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ है। राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह मामला हैदराबाद सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच था। इसके बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय आंध्र सरकार के अन्तर्गत चला गया है। अब केन्द्रीय सरकार इस विषय पर आंध्र सरकार से बात करेगी।

†**डा० रामा राव :** यदि केन्द्रीय सरकार दक्षिण में किसी हिन्दी संस्था को लेने के लिये उत्सुक है, तो आंध्र सरकार से इस सुव्यवस्थित विश्वविद्यालय को लेने के स्थान पर एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना ही क्यों न कर दी जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** १९५१ में ही सरकार ने उस्मानिया विश्वविद्यालय को एक ऐसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय कर लिया था जिसमें हिन्दी शिक्षा का प्रमुख माध्यम रहे। हम इसी विचार पूर्ति की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और इस विषय में अन्तिम निर्णय करने के पूर्व निस्संदेह ही आंध्र सरकार से परामर्श करेंगे।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या यह सच नहीं है कि आंध्र सरकार ने यह संस्था भारत सरकार को सौंपने से मना कर दिया था और हैदराबाद में हिन्दी में शिक्षा प्रदान करने के लिये अधिक रुपयों की मांग की थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जब तक भारत सरकार इस विषय पर वार्ता कर रही है, तब तक किसी राज्य द्वारा इसके न माने जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

इस्पात के कारखाने

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १. श्री कामत :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री २१ मार्च, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर में सेवायुक्त टेक्निकल तथा अन्य कर्मचारियों में भारतीयों के साथ कितने विदेशी हैं; और

(ख) तीनों परियोजनाओं में प्रत्येक की कितनी-कितनी संख्या है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री : (श्री ति०त० कृष्णमाचारी) :** (क) तथा (ख). इस समय भिलाई में ५० रूसी और ११४४ भारतीय, रूरकेला में १ यूगोस्लावी और १२४७ भारतीय और दुर्गापुर में ३०९ भारतीय सेवायुक्त हैं। इनके अतिरिक्त भारत में रूस के लोहा और इस्पात मंत्रालय के २७ प्रतिनीधि, ब्रिटिश परामर्शदाता इंजीनियरों के तीन प्रतिनिधि और जर्मन परामर्श-दाताओं के १३ प्रतिनिधि हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : परियोजनाएं प्रारम्भ होने से पश्चात् अथवा इस परियोजना पर कार्य आरम्भ होने के पश्चात विदेशी टेकनीशियनों की संख्या अथवा उनका अनुपात स्थिर है, अथवा गत कुछ महीनों या वर्षों में कम हुआ है अथवा बढ़ा है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी देना तो कठिन है; किन्तु माननीय सदस्य को मैं इतना बता सकता हूं कि जब तक इन तीनों कारखानों में उत्पादन आरम्भ नहीं होगा, तब तक विदेशियों की संख्या इन तीनों स्थानों में बढ़ती ही रहेगी।

श्री कामत : क्या विभिन्न विदेशी सरकारों से इस प्रकार का समझौता किया गया है कि उनके टेकनीशियन और इंजीनियर यथा समय भारतीयों को उन स्थानों के लिये प्रशिक्षित कर देंगे जिन पर अभी वे स्वयं काम कर रहे हैं ताकि विदेशियों की संख्या कम हो जाय ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह ठीक है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि रूरकेला और कदाचित् भिलाई में से वायुक्त कुछ व्यक्तियों के पास काम नहीं है ? यदि यह सच है तो कितने व्यक्तियों के पास काम नहीं है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : किनके पास काम नहीं है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कर्मचारियों के पास।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का अभिप्राय है कि कुछ कर्मचारी बेकार हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने इन कारखानों में सेवा-युक्त व्यक्तियों को नहीं देखा है। किन्तु मैं अपने जनरल मैनेजरों की रिपोर्ट पर विश्वास कर के कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है। बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अत्यधिक व्यस्त है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा उठीं—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने काफी पूछने की अनुमति दे दी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केरल के देवीकुलम तालुक में बसने वाले व्यक्ति

†*८०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के देवीकुलम तालुक में बसने वाले कितने व्यक्तियों को पिछले कुछ महीनों में अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया है;

(ख) सामुदायिक परियोजनाओं के प्रयोजनार्थ वहां बसने वाले कितने व्यक्तियों के अहातों का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ग) क्या उक्त व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक भूमि का प्रबन्ध किया गया है ?

†**गृह कार्य-मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) वहां बसने वाले व्यक्तियों को पिछले कुछ महीनों में बेदखल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आदिम जाति कल्याण पदाधिकारी

†*८३. **श्री देवगम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री लोक सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करें जिसमें यह बताया गया हो :

(क) आदिम जातियों से सम्बद्ध आदिम जाति कल्याण पदाधिकारियों की राज्यवार वर्तमान संख्या;

(ख) इन पदाधिकारियों का वेतन क्रम;

(ग) क्या आदिम जाति कल्याण कार्य के लिये उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया गया है; और

(घ) क्या उन्हें स्थानीय आदिम जाति भाषाओं का पूर्ण ज्ञान है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). राज्य सरकारों से जानकारी मंगाई गई है और प्राप्त होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन हेडक्वार्टर्स

†२६. **श्री कामत :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का हेडक्वार्टर नागपुर में स्थापित करना चाहती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) और (ख). इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का हेडक्वार्टर नागपुर में रखने का कोई विचार नहीं है। कारपोरेशन का हेडक्वार्टर विमान मार्ग के किसी महत्वपूर्ण केन्द्र पर स्थित होना चाहिये और नागपुर इस प्रकार का केन्द्र नहीं है। प्राक्कलन समिति के ४३वें प्रतिवेदन के आधार पर हेडक्वार्टर की स्थापना का विचार किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से सम्बन्धित है।

नोट के कागज का कारखाना

†२७. **श्री कामत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोट के कागज का कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर और आगे विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). नोट का कागज बनाने के कारखाने की स्थापना सरकार ने सिद्धान्त रूप में मान ली है। विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

जैट बम वर्षक

†२८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन से जैट बम वर्षक खरीदने के लिये कोई आर्डर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बम वर्षक संभारित कर दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, हां।

(ख) वे संभरित किये जा रहे हैं।

हैदराबाद का राज्य बैंक

†२९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हैदराबाद राज्य बैंक का भारत के राज्य बैंक में विलय करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). हैदराबाद राज्य बैंक अधिनियम से सम्बन्ध रखने वाली लोक-सभा की कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह बताया गया है कि हैदराबाद राज्य बैंक अभी कुछ समय के लिये एक पृथक् इकाई के रूप में क्यों रखा जा रहा है। अभी ऐसा कोई अवसर नहीं उत्पन्न हुआ है कि सरकार हैदराबाद राज्य बैंक को भारत के राज्य बैंक में विलीन कर देने के प्रश्न पर पुनः विचार करे ।

विभाजन ऋण

†३०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने १९५६–५७ में पाकिस्तान से विभाजन ऋणों की राशि को वापिस लेने के लिये क्या क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा कोई किस्त अदा की गई है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार ने विभाजन ऋण में से अभी एक भी किस्त भारत को अदा नहीं की है। अन्य विशेष वित्तीय मामलों के साथ ही इस प्रश्न पर भी, मई, १९५६ में, दिल्ली में सचिवालय स्तर पर हुए भारत पाकिस्तान वित्तीय सम्मेलन में विचार किया गया था। वे वार्तालाप केवल प्रारम्भिक थे ; अवशिष्ट मामलों पर दोनों देशों के वित्त मंत्रियों की किसी भावी बै क में विचार विमर्ष किया जा गा; उस बैठक का समय अभी निश्चित नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय परिषदें

†३१. **श्री कृष्णाचार्यजोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय परिषदों के उद्घाटन सम्मेलन कब होंगे ; और

(ख) उन सम्मेलनों में यदि किन्ही विषयों पर विचार किया जायेगा, तो वे कौन कौन से विषय हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) क्षेत्रीय परिषदों के उद्घाटन सम्मेलन, राज्यों में नये मन्त्रिमण्डल स्थापित होने के एक दम बाद किये जायेंगे ।

(ख) उनमें कार्य संचालन नियमों जैसे प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये अन्य मामलों पर चर्चा की जायेगी ।

भारतीय जलवायु और सैन्य बल संस्थापनों का विदेशी प्रमुख व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण

†३२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ में विदेशों के कितने प्रमुख व्यक्तियों ने हमारे जल, वायु और सैन्य बल संस्थापनों का निरीक्षण किया?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : १९५६–५७ में सात विदेशी प्रमुख व्यक्तियों और तीन प्रतिनिधि-मण्डलों ने प्रतिरक्षा संस्थापनों का निरीक्षण किया ।

अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय कला तथा विज्ञापन कला

†३३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय कला तथा विज्ञापन कला में शिक्षण देने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाहियां की हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी कार्यवाहियां हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लोक सहायक सेना

†३४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में अभी तक लोक सहायक सेना में काम करने के लिये कितने व्यक्तियों को प्राथमिक सैनिक शिक्षा दी जा चुकी है; और

(ख) क्या सीमान्त क्षेत्रों के लोगों को इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) १ अप्रैल, १९५६ से लेकर २८ फरवरी, १९५७ तक लोक सहायक सेना में ८३,१०३ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

(ख) जी, हां, सीमान्त कैम्पों के पाठ्यक्रम में अधिक जोर क्षेत्र इंजीनियरिंग के विषयों पर दिया जाता है ।

प्रति-विमान* कार्यवाहियां तथा तटीय प्रतिरक्षा

३५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रति-विमान कार्यवाहियों तथा तटीय प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिये हाल ही में क्या क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह काम प्रादेशिक सेना को सौंपा गया है; और

(ग) इस समय प्रति-विमान प्रशिक्षण देने वाले कितने केन्द्र चल रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में । * Anti-aircraft.

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

(ख) इसका कुछ उत्तरदायित्व प्रादेशिक सेना पर है।

(ग) प्रति-विमान प्रतिरक्षा कार्य में प्रशिक्षण देने वाला कोई विशेष केन्द्र नहीं है। नियमित सैनिक कर्मचारियों को तोपखाना केन्द्र तथा स्कूल[6] में प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को प्रत्येक यूनिट के मुख्यालयों में अथवा विशेष कैम्पों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रतिरक्षा उत्पादन

†३६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा १९५६–५७ में प्रतिरक्षा उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामग्री अभी तक विदेशों से खरीदी जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) निम्न लिखित सामान्य कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) बहुत से नये प्रकार के उपकरणों के देश में निर्माण की व्यवस्था की गयी है;

(२) शस्त्रास्त्रों के नये रूपांकन तैयार किये गये हैं और वर्तमान रूपांकनों में इस दृष्टि से परिवर्तन किया गया है कि उनमें देशीय सामग्री का प्रयोग किया जा सके; और

(३) प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये दो मुख्य परियोजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

इनके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड ने भी, जो कि १९५५ के अन्त में स्थापित हुआ था, अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। यह मुख्य रूप से उन क्रिया सम्बन्धी तथा अन्य कठिनाइयों को हल करने में लगा आ है, जिनके कारण पहले उत्पादन में कमी हो रही थी। भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटिड ने कुछ उत्पादन किया है और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटिड के उत्पादन क्षेत्र को भी बढ़ा दिया गया है।

(ख) जी हां।

सर्वेक्षण जलयान

†३७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने क सर्वेक्षण जलयान का निर्माण पूरा कर लिया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : जी, नहीं ?

इस्पात के कारखाने

†३८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर के तीन इस्पात कारखानों में से प्रत्येक के लिये विदेशों से आयात संयंत्र तथा मशीनरी पर कुल कितनी लागत आई है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : फरवरी १९५७ तक आयात संयंत्र तथा मशीनरी की कीमत निम्नलिखित है :

रुरकेला परियोजना	३७ लाख रुपया
भिलाई परियोजना	३८९ लाख रुपया
दुर्गापुर परियोजना	४५ लाख रुपया

†मूल अंग्रेजी में। [6] Artillery centre and school.

राष्ट्रपति का निर्वाचन

†३९. **श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तिथि को होगा ; और

(ख) क्या वह निर्वाचन सामान्य निर्वाचनों के परिणाम स्वरूप संसद् तथा राज्य विधान मण्डलों के औपचारिक रूप से स्थापित हो जाने से पहले ही हो जायेगा ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, १९५२ के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये कार्यक्रम निश्चित करना और चुनाव की तिथि की सूचना देना निर्वाचन आयोग का काम है ।

(ख) सामान्य निर्वाचनों के परिणाम लोक-सभा तथा राज्यों की विधान सभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन होने से पहले ही स्थापित हो जायेंगी ।

अनुसूचित आदिम जातियों की जन-संख्या

४०. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९३१ की जन-गणना के अनुसार राजस्थान के उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जयपुर डिवीजनों में भील और भीणा नाम की अनुसूचित आदिम जातियों की जन-संख्या कितनी है ;

(ख) द्वितीय सामान्य निर्वाचनों के पूर्व उनकी जन-संख्या कितनी मानी गई ; और

(ग) इन दोनों आदिम जातियों की जन-संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) १९३१ की जन-गणना के समय जातियों तथा आदिम जातियों की संख्या राज्यों, एजैन्सियों और प्रशासन यूनिटों द्वारा प्रकाशित की गई थी । वर्तमान चार डिवीजनों में भीलों की संख्या इस प्रकार है :—

१९३१ की जन-गणना के अनुसार भीलों की संख्या :

जयपुर डिवीजन	३,७०६
जोधपुर डिवीजन	६२,४५३
उदयपुर डिवीजन	५,४९,७५७
कोटा डिवीजन	३४,००९

जहां तक भीणा का सम्बन्ध है १९३१ की जन-गणना में इस नाम की किसी जाति की गणना नहीं हुई । पूछी गई जाति सम्भवत: मीणा है जिसकी चार डिवीजनों की संख्या, १९३१ की जन-गणना के अनुसार, निम्नलिखित है :—

१९३१ की जन-गणना के अनुसार भीणों की संख्या :

जयपुर डिवीजन	३७५,८०९
जोधपुर डिवीजन	२९,१२१
उदयपुर डिवीजन	९४,५९५
कोटा डिवीजन	१०३,७७४

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) एक्ट, १९५६, राज्य पुनर्गठन एक्ट, १९५६, तथा उनके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

†मूल अंग्रेजी में ।

आदिम जाति की संख्या का अनुमान लगाते समय जन-गणना अधिकारियों ने राजस्थान की तीनों आदिम जातियों—भील, मीणा और गारसिया (राजपूत गारसिया को छोड़कर)—की संख्या अलग अलग न लेकर सम्मिलित रूप से ली जो कि १९४२ की जन-गणना पर आधारित है। इन चार डिवीजनों में इन तीनों आदिम जातियों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है :—

१-३-१९५१ तक लगाए गए अनुमान के अनुसार :

जयपुर डिवीजन	४८६,१९७
जोधपुर डिवीजन	१२६,९४६
उदयपुर डिवीजन	९४२,०७९
कोटा डिवीजन	१८४,९६१

(ग) ऊपर (ख) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन दोनों आदिम जातियों की संख्या की प्रतिशत वृद्धि अलग अलग मालूम नहीं की जा सकती परन्तु १९३१-५१ के दौरान में राजस्थान की वर्तमान अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या में ३६·६ प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि इसी दौरान में वहां की कुल जन-संख्या में ३५·७ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

कलकत्ता नेशनल बैंक

†४१. **श्री कामत :** क्या वित्त मंत्री २० दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) कलकत्ता नेशनल बैंक की लिमिटिड परिसमाप्ति के सम्बन्ध में किये गये कार्य के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) बैंक के निक्षेपकों तथा ऋणदाताओं को धन वापिस करने में अभी कितना समय लगेगा ; और

(ग) निक्षेपक तथा ऋणदाता अपने धन के कितने अंश को सुरक्षित समझते हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) २ दिसम्बर, १९५२ को, जबकि समापन का आदेश किया गया था, आस्तियों का पुस्तक मूल्य तथा बाहिरी दायित्व क्रमशः ३०३·०४ लाख तथा २४५.८६ लाख रुपये के थे। अभी तक प्राप्त की गई कुल राशि ४४·८० लाख रुपये की है। अभी तक निम्नलिखित लाभांश घोषित किये गये हैं और अब अदा किये जा रहे हैं :—

> भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ की धारा २३० के अधीन अधिमान्य ऋणदाताओं को और बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४३क के अधीन सेविंग बैंक निक्षेपकों को—शत प्रतिशत। साधारण ऋणदाताओं को १० प्रतिशत अदा किये जाने वाले कुल लाभांश ३५-९६ लाख रुपये के हैं, जिन में से २७.९२ लाख रुपये की एक राशि पहले ही अदा की जा चुकी है।

बैंक की बहुत सी इमारतें बेच दी गई हैं अथवा बेचने के लिये ठेके दे दिये गये हैं। बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५घ के अधीन अभी तक २२४ मामले तथा ऋणियों की सूचियां दायर की गई हैं जिनमें १२७ उधार लेने वालों के विरुद्ध दावे किये गये हैं और उनमें कुल लगभग १४२ लाख रुपया

†मूल अंग्रेजी में।

ग्रस्त है ; ५४ लाख रुपये के दावों की डिग्री कर दी गयी है। बहुत से मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है और शेष निर्णीत ऋणियों की कुर्क कर देने योग्य अस्तियों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग). पूछी गई जानकारी के सम्बन्ध में ठीक ठीक बताना कठिन है क्योंकि केवल विधि की प्रक्रिया से ही आस्तियां प्राप्त की जा सकती हैं और क्योंकि अग्रेतर धन की वसूली न्यायालय की कार्यवाही के अन्तिम रूप से निर्णय होने तथा निर्णीत ऋणी की कुर्क होने योग्य आस्तियों की उपलब्धि पर निर्भर करती है ।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

†४२. **श्री कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री २० दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के बकाया काम के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]**

सार्वजनिक प्रदर्शन

†४३. **श्री कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भीड़ पर पुलिस के नियंत्रण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया गया है ;

(ख) क्या इस मामले के सम्बन्ध में पुलिस मैन्युअल को संशोधित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). परामर्श लिया जा चुका है और मामला अभी विचाराधीन है ।

जीपों का क्रय

†४४. **श्री कामत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री जीपों के क्रय के सम्बन्ध में दायर किये गये मामले के बारे में २० दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले से सम्बन्धित कार्यवाहियों में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : दो प्रति वादियों ने अपनी सफाई पेश की है तथा पुनर्दावा किया है और तीसरे प्रतिवादी ने केवल सफाई का बयान ही दिया है। उनके उत्तरों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय-व्ययक का समय से पूर्व ही प्रकट हो जाना

†४५. **श्री कामत** : क्या **गृह कार्य** मंत्री २० दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ के आय-व्यय के समय से पहले ही प्रकट हो जाने सम्बन्धी दाण्डिक मामले की कार्यवाहियों में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीरी क्षेत्र से प्रव्रजन

†४५ क **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पकिस्तान अधीनस्थ क्षेत्र से कितने व्यक्तियों ने प्रव्रजन किया है; और

(ख) उसके क्या कारण हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार से यह सूचना प्राप्त हुई है कि १९५२–५६ में लगभग ८,००० व्यक्तियों ने युद्ध विराम रेखा को पार करके हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया है । उससे पूर्व की संख्या के सम्बन्ध में सूचना नहीं मिली है ।

(ख) इस का मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीरी क्षेत्र में जनता असुरक्षित है और उन्हें आर्थिक संकट का सामन करना पड़ रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के सम्बन्ध में पूछे गये प्रथम अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जो कि १७ दिसम्बर, १९५६ को दिया गया था, गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा था कि हिमालय पर्वतारोहण संस्था[१] में अभी तक केवल प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता था और यहां कि अन्य मंत्रालयों के कर्मचारियों अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।।

ठीक स्थिति यह है कि वह संस्था, जो कि एक गैर सरकारी पंजीवद्ध निकाय है, न केवल प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण देती है, अपितु अन्य असैनिक सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देती है । वास्तव में इस संस्था में अभी तक जिन १६८ प्रशिक्षणर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनमें से केवल ६८ व्यक्ति ही प्रतिरक्षा सेवाओं के थे । उत्तर में की गई गलती के लिये खेद प्रकट किया जाता है ।

मूल अंग्रजी में [१]Himalayan Mountaineering Institute

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २६ मार्च, १९५७]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		९१—११५
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
७३	नागा क्षेत्र	९१
७४	लोअर हुगली पर नया पत्तन	९२
७५	केरल उच्च न्यायालय	९२–९३
७६	छावनियों की भूमि	९४
७७	लौह अयस्क निक्षेप	९४–९५
७८	आसाम प्रतिकर भत्ता	९५–९६
७९	सामान्य निर्वाचन	९६–९८
८१	वित्त विधेयक	९९–१०२
८२	केरल में लिग्नाइट	१०३–०४
८४	जवार खानें	१०४
८५	पालम हवाई अड्डा	१०५
८६	दक्षिणी क्षेत्रीय उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था	१०६–०७
८७	निर्वाचन दिवस	१०७
८८	पश्चिमी बंगाल में तल	१०८
८९	निर्वाचन सम्बन्धी अपराध	१०९
९०	हवाई अड्डा, डबोक	१०९–१०
९१	अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिय छात्रवृत्तियां	११०–११
९२	रात्रि विमान सेवा	१११
९३	पन्ना की हीरे की खानों का राष्ट्रीयकरण	१११–१२
९४	मतदान स्थगन	११२–१३
९५	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित सीटें	११३–१४
९६	उस्मानिया विश्वविद्यालय	११४–१५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		११५–१६
१	इस्पात के कारखाने	११५–१६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		११६—१२४
तारांकित प्रश्न संख्या		
८०	केरल के देवीकुलम तालुक में बसन वाले व्यक्ति	११६
८३	आदिमजाति कल्याण पदाधिकारी	११७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२६	इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन हेडक्वार्टर्स	११७
२७	नोट के कागज का कारखाना	११७
२८	जैट बमवषक	११७–१८
२९	हैदराबाद का राज्य बैंक	११८
३०	विभाजन ऋण	११८
३१	क्षेत्रीय परिषदें	११८–१९
३२	भारतीय जलवायु और सैन्य बल संस्थापनों का विदेशी प्रमुख व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण	११९
३३	अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय कला तथा विज्ञापन कला	११९
३४	लोक सहायक ना	११९
३५	प्रति-विमान कार्यवाहियां तथा तटीय प्रतिरक्षा	११९–२०
३६	प्रतिरक्षा उत्पादन	१२०
३७	सर्वेक्षण जलयान	१२०
३८	इस्पात के कारखाने	१२०
३९	राष्ट्रपति का निर्वाचन	१२१
४०	अनुसूचित आदिम जातियों की जन-संख्या	१२१–२२
४१	कलकत्ता नेशनल बैंक	१२२–२३
४२	मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय	१२३
४३	सार्वजनिक प्रदर्शन	१२३
४४	जीपों का क्रय	१२३
४५	आय-व्ययक का समय से पूर्व ही प्रकट हो जाना	१२४
४५-क	पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीरी क्षेत्र से प्रव्रजन	१२४
तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि		१२४

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १, १९५७

(१८ मार्च से २८ मार्च, १९५७)

1st Lok Sabha

पन्द्रहवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

(भाग २—वाद-विवाद खंड १—१८ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १८ मार्च १९५७—

कुछ सदस्यों का निधन १

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २

राष्ट्रपति का अभिभाषण . २–७

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तरप्रदेश में खाद्यान्न स्थिति . . ८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८–१२

लोक-लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १२

सदस्यों द्वारा पद त्याग १२

दैनिक संक्षेपिका . १३–१६

अंक २—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७—

श्री पी० एस० कुमार स्वामी राजा का निधन १७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १७–२०

प्राक्कलन समिति—

चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन २१

सदस्य द्वारा पदत्याग . . २१

रेलवे आय-व्ययक, १९५७–५८—

उपस्थापित २१–२४

१९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण २४

१९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण २५

केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का विवरण २५–२६

१९५६–५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण . २६

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . . २६–२८

विचार के लिये प्रस्ताव . . . २६

खंड २ से ७ और १ . . . . . २७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८

विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक . . . २८–३८

विचार के लिये प्रस्ताव २८

खंड २ से ९ और १ . . . . ३५–३८

	पृष्ठ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	३८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में . .	३८
सामान्य आय-व्ययक १९५७–५८ उपस्थापित . .	३८–४२
वित्त विधेयक	४२–४३
पुरस्थापित	४२
नियम समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	४३
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	४३
दैनिक संक्षेपिका	४४–४७

अंक ३—बधवार, २० मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९, ५०
प्राक्कलन समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	५०
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .	५०–८४
दैनिक संक्षेपिका	८५

अंक ४—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
अड़सठवां प्रतिवेदन	८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन . .	८९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . .	८९–१००
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५६–५७ .	१००–०६
अनुपूरक अनुदानों की अनपूरक मांगें १९५६–५७ अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५२–५३ . } .	१०६–१९
अनुदानों की मांगें, केरल	१२०–२४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . .	१२५–२९
दैनिक संक्षेपिका	१३०–३३

अंक ५—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१३५
राज्य सभा से संदेश	१३५

पृष्ठ

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया
प्राक्कलन समिति १३६
उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन . . . १३६
सदस्यों द्वारा पदत्याग १३६
विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित . . १३६
विनियोग विधेयक . . . १३६–३७
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरस्थापित . . . १३७
केरल विनियोग विधेयक—प्रस्थापित . . . १३७
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १३८–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १६६–६७
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . १६७–७०
गन्ने का मूल्य नियत करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प . १७२–७७
दैनिक संक्षेपिका १७८–७९

अंक ६—शनिवार, २३ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १८१
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—
बीसवां प्रतिवेदन १८१
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८१–८२
विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८२
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८३
केरल विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव . . १८३
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . १८–९४, १९–२२३
सभा का कार्य . . . १९४
दैनिक संक्षपिका २२४

अंक ७—सोमवार, २५ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २२५–२६
प्राक्कलन समिति—
इक्यावनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन . . २२७

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा पद-त्याग	२२७
केरल आय-व्ययक, १९५७–५८	२२७–२८
राष्ट्रपति से संदेश	२२९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रस्ताव . . .	२२९–६१
दैनिक संक्षेपिका . .	२६२–६३

अंक ८—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७—

श्री सत्यप्रिय बैनर्जी का निधन .	२६५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	२६५
राज्य-सभा से संदेश . .	२६६
लोक-लेखा समिति—	
बाइसवां प्रतिवेदन	२६६
आक्कलन समिति—	
अड़तालीसवां और अठावनवां प्रतिवेदन .	२६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
विनयनगर के रेलवे फाटक के निकट दुर्घटना .	२६६–६७
अनुपस्थिति की अनुमति .	२६८
सदस्य द्वारा पद-त्याग . . .	२६८
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२६८–६९
लेखानुदानों के लिये मांगें .	२७९–३००
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३०१
वित्त विधेयक, १९५७—	
विचार के लिये प्रस्ताव . .	३०१
खण्ड १ से ६ . .	३०२
पारित करने का प्रस्ताव .	३०२–०३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३०३–०९
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन . . .	३०६
सभा का कार्य	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३१०–११

	पृष्ठ
अंक ९— बुधवार, २७ मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३११–१६
लोक-लेखा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन	३१६
प्राक्कलन समिति—	
बावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन . . .	३१६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत में तेल की खोज के संबंध में हुई प्रगति . .	३१६–१८
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पास करने का प्रस्ताव . .	३१८
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३१८–३३
लेखे पर अनुदान की मांगें (रेलवे) . .	३३३–४७
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—	
पुरःस्थापित	३४८
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३४८–५३
दैनिक संक्षेपिका	३५४–५६
अंक १०—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७—	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	३५७–६०, ३६५
हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन . .	३६०
राज्य-सभा से संदेश	३६१
लोक-लेखा समिति—	
तेइसवां प्रतिवेदन	३६१
प्राक्कलन समिति—	
छियालीसवां, तिरपनवां से पचपनवां और साठवां से छासठवां प्रतिवेदन	३६१
याचिका समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन . . .	३६२
आश्वासनों संबंधी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	३६२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
ऐसे बीमा समवायों की पालसियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है ।	३६२–६३
स्थगन प्रस्ताव—	
कालीघाट फाल्टा रेलवे को बन्द करने के बारे में निर्णय	३६३–६४
सदस्यों द्वारा पद-त्याग	३६५

	पृष्ठ
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३५९
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पास करने के प्रस्ताव . . .	३५९
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३६०–७२
लेखानुदान की मांगें—केरल, १९५७–५८ . . .	३७२–८२
केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—	
पारित	३८२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . . .	३८२–९०
विचार करने का प्रस्ताव	३८२
खंड १ से ३	३९०
पारित करने का प्रस्ताव	३९०
राष्ट्रपति के निर्वाचन और नई लोक-सभा के गठन के बारे में चर्चा .	३९०–९५
विदाई भाषण	३९५–४०१
दैनिक संक्षेपिका	४०२–०५
पन्द्रहवें सत्र में किये गये कार्य का संक्षेप . . .	४०६–०७
अनुक्रमणिका	(१–१०४)

लोक-सभा

मंगलवार, २६ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

---

१२ बजे

श्री सत्यप्रिय बनर्जी का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को बताना है कि श्री सत्य प्रिय बनर्जी का देहान्त २३ मार्च, १९५७ को कलकत्ता में हो गया है—वह ६८ वर्ष के थे। वह पुरानी केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे।

उन के परिवार से हम सब समवेदना प्रकट करते हैं। सभा शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट तक के लिये मौन खड़ी रहेगी।

इसके बाद सभासद एक मिनट तक के लिये मौन खड़े रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिंडा) : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेशों संख्या १२क, १८क, ४५क, ५३क, ५४क, ६३क, ६९क, ८३क, १०२क, १०३क, १०३ख, १०४क और १०४ख तथा निदेश संख्या २ और ५४ के संशोधनों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—७५/५७]**

दिल्ली गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश का संशोधन

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५, की धारा ३ की उपधारा (६) के अधीन दिल्ली गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—७६/५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्न दो सन्देश प्राप्त हुए हैं कि :—

(१) लोक-सभा द्वारा १९ मार्च, १९५७ को पारित समुद्र सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५७ को राज्य-सभा ने अपनी २५ मार्च, १९५७ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है। और

(२) लोक-सभा द्वारा १९ मार्च, १९५७ को पारित विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक, १९५७ को राज्य-सभा ने अपनी २५ मार्च, १९५७ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

लोक लेखा समिति

बाइसवां प्रतिवेदन

†**श्री व० बा० गान्धी** (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं विनियोग लेखे (डाक व तार) १९५३-५४, तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५५, भाग १ तथा २ तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार) १९५६, भाग १ पर लोक लेखा समिति का बाइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

अड़तालीसवां तथा अठावनवां प्रतिवेदन

†**श्री व० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(१) परिवहन मंत्रालय (बड़े पत्तन) सम्बन्धी अड़तालीसवां प्रतिवेदन।

(२) समिति के दसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अठावनवां प्रतिवेदन।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विनयनगर के रेलवे फाटक के निकट दुर्घटना

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : नियम २१६ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"२३ मार्च, १९५७ को विनयनगर रेलवे फाटक पर हुई रेलवे दुर्घटना।"

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: २३-३-१९५७ को सवेरे लगभग ४-५५ बजे जब अप गाजियाबाद—दिल्ली—सफदरजंग मालगाड़ी—जिसमें २२/२३ डिब्बे थे तथा जिसे बण्य इंजन संख्या १३२९ लिये जा रहा था—निजामुद्दीन तथा दिल्ली के फाटक नम्बर ५ को पार कर रही थी, तब वह महरौली से आने वाले एक मोटर ट्रक संख्या डी० एल० सी० ९१३० के साथ टकराई। टक्कर बिल्कुल सीधी हुई। ट्रक बिल्कुल टूट गया और २४० फीट की दूरी तक

---

†मूल अंग्रेजी में।

धकेला गया था। इस दुर्घटना से ट्रक में बैठे हुए चार आदमी मरे और ड्राइवर के बहुत चोटें आईं--क्यों कि वह मलबे के नीचे दब गया था। एक और व्यक्ति जो परे जा गिरा था उसके मामूली चोटें आईं और वह बच गया। रेलवे का कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ।

निजामुद्दीन तथा दिल्ली सफदरजंग के बीच ४ ठहरने के स्टेशन हैं--लाजपतनगर, सेवानगर, लोदी कालोनी तथा विनय नगर। इस रास्ते पर पांच फाटक हैं। फाटक संख्या ५ जिस पर यह दुर्घटना हुई, विनयनगर के निकट है। यह फाटक 'ख' श्रेणी का है--जिस पर दो व्यक्ति काम करते हैं--उनका काम १२ घण्टे प्रतिव्यक्ति के हिसाब से होता है। एक ८ बजे प्रातः से सायं ८ बजे तक वहां रहता है और दूसरा सायं ८ बजे से प्रातः ८ बजे तक। इस फाटक में से गुजरने वाली सड़क मेहरौली को नई दिल्ली से मिलाती है। निजामुद्दीन से सफदरजंग की ओर गाड़ी से आते हुए सड़क दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि बीच में वृक्षों तथा काम करने वाले श्रमिकों के कमरों की रुकावट है। गाड़ियों के आने जाने को विनियमित करने के लिये सिगनलों की व्यवस्था की गई है--निजामुद्दीन की ओर वाला सिगनल १०८० फीट की दूरी पर है और सफदरजंग की ओर वाला सिगनल ६१४ फीट की दूरी पर। इस फाटक पर इन्टर-लौकिंग व्यवस्था है और वह प्रबन्ध ऐसा है कि द्वार बंद हो जाने पर--दरवाजे की चाबियां तालों से निकाल ली जाती हैं और फिर उन्हें सिगनलों के तालों में डाल कर ही सिगनल नीचा किया जा सकता है। फाटक खुले रहते सिगनल नीचा करना संभव नहीं है। दुर्घटना स्थल की पटरी सीधी है और उसका चढाव सफदरजंग की तरफ को ४६० में १ है। फाटक वाली सड़क भी सीधी है। फाटक पर तो सड़क समतल है; मेहरोली की ओर को ७७/१ का ढलान है--हवाई अड्डे की ओर ६०/१ का।

इस विभाग पर चार यात्री तथा दो माल गाड़िया प्रतिदिन आती जाती हैं।

चूंकि माल गाड़ी दिल्ली सफदरजंग स्टेशन पर ठीक समय पर नहीं पहुंची थी इस लिये दिल्ली विभाग के गाड़ी नियंत्रक ने मालगाड़ी के बारे में पता किया--५.४५ बजे सफदरजंग हवाई अड्डे से यह सूचना मिली कि मालगाड़ी तथा ट्रक के बीच फाटक पर दुर्घटना हो गई है। तुरन्त ही सफदरजंग अस्पताल की गाड़ी फाटक पर भेजने की व्यवस्था की गई। उसी समय ५.४७ पर रेलवे एम्बुलेंस बुलाई गई। पुलिस का "फ्लाइंग स्क्वैड" भी लगभग उसी समय वहां पहुंचा। उन्होंने ट्रक के ड्राइवर को नीचे से निकालने का प्रयत्न किया जो कि ट्रक के मलबे के नीचे दब गया था किन्तु जब सफलता न मिली तो फायर आफीसर ने हवाई अड्डे की इलेक्ट्रिक शाप से काटने की मशीन मंगाई और उन्होंने ७ बजे ड्राइवर को वहां से निकाला। उसे तुरन्त ही सफदरजंग अस्पताल में भेज दिया गया--जहां से पता चला है कि वह अच्छी हालत में है और ठीक हो रहा है।

८-५५ बजे ट्रक का मलबा पुलिस की आरंभिक जांच के बाद पटरी पर से हटाया गया और ब्लाक सेनशन को ९-३३ बजे साफ किया गया।

डिवीजनल आपरेटिंग अधीक्षक, डिवीजनल मकेनिकल इंजीनियर, डिवीजनल इंजिनियर, डिवीजनल सिगनल तथा हेली--कम्यूनिकेशन इंजिनियर, दिल्ली से गठित एक समिति इस दुर्घटना की जांच कर रही है और आशा है कि एक या दो दिनों में वह अपना प्रतिवेदन दे देगी। आरंभिक जांच से मालूम होता है कि उस समय इंजन की ऊपर वाली रौशनी जल नहीं रही थी और बताया जाता है कि ड्राइवर ने सिगनल को खतरे की स्थिति में पार किया। जिला पदाधिकारियों की जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

रेलवे को लगभग २०० रुपये की हानि का अनुमान है।

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि निम्न सदस्यों को प्रतिवेदन में दिखाई गई अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

(१) श्री दिग्विजय नारायण सिंह

(२) डा० शौकतुल्लाह शाह अन्सारी

(३) श्री मुहम्मद इस्लामुद्दीन ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि डा० सत्यवान राय की तेहरवें व चौदहवें और पन्द्रहवें सत्र में अनुपस्थिति माफ की जाये । मैं समझता हूं कि सभा इन सिफारिशों से सहमत है ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : डा० सत्यवान की छुट्टी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले आवेदनों में कारण बताये जाते थे—खैर यहां समिति ने कहा है कि अनुपस्थिति माफ कर दी जाये । छुट्टी की अनुमति देने के स्थान पर अनुपस्थित रहने को माफ किया गया है । मैं यह चाहता हूं कि छुट्टी मंजूर करते समय कारण भी बताये जायें । इसलिये आप समिति के सभापति से यह पूछें कि क्या माननीय सदस्य ने कोई सूचना भेजी थी या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पंद्रहवें सत्र की भी छुट्टी मांगी है क्यों कि वह बीमार हैं ।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : श्रीमान् पहले माननीय सदस्य ने ६० दिन की छुट्टी मांगी थी—किन्तु उसके लिये सभा की अनुमति आवश्यक है—इसलिये हमने माननीय सदस्य को लिखा कि वह माफी के लिये आवेदन दें । इसलिये हम ने यह सिफारिश की है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भविष्य में यदि किसी सदस्य को इन बातों में सन्देह हो वह आवेदन पत्र आदि देख सकता है—इस प्रकार सभा का समय नहीं खोना चाहिए । मैं समझता हूं कि सभा सिफारिशों से सहमत हैं ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

सदस्य द्वारा पदत्याग

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को बताना है कि श्री म० दो० रामस्वामी ने २५ मार्च, १९५७ (मध्यान्ह पश्चात्) को लोक-सभा के अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है ।

***तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ।**

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा २५ मार्च, १९५७ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"कि वर्त्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*देखिये वाद-विवाद भाग १, दिनांक २६ मार्च, १९५७, पृष्ठ १४३० ।

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : कल इस प्रस्ताव पर चर्चा के समय इस सभा में यद्यपि भारत की विदेशी नीति का पूरा समर्थन किया गया किन्तु कुछ सामान्य आलोचनाएं की गईं। इसलिये मैं पहले विदेशी नीति की सामान्य आलोचना तथा उसे क्रियान्वित किये जाने के तरीकों की आलोचनाओं का उत्तर दूंगा और उसके बाद विशिष्ट बातों के बारे में बताऊंगा जिनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उससे पहले मैं गोल्डकोस्ट के स्वतंत्र होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा हमने राष्ट्र संघ में किया था--मैं समझता हूं अभिलेख पढ़ना लाभदायक है--यह कोई ऐसा देश नहीं जहां सभ्यता का प्रकाश अभी हुआ हो--वहां की सभ्यता साम्राज्यवाद के बोझ के नीचे दब गई थी और अब पुनः उठी है। १८ मई को गोल्ड कोस्ट के प्रधान मंत्री ने विधान-सभा के समक्ष बोलते हुए कहा था :--

> "सरकार की इच्छा है कि जब गोल्ड कोस्ट स्वतंत्र हो जाये--तो इसका नाम घाना रखा जाये। घाना शब्द अफ्रीका के इतिहास में बहुत गहरा महत्व रखता है--और विशेषकर इसका महत्व पश्चिमी अफ्रीका जिसे पश्चिमी सूडान कहा जाता है में तो अधिक ही है। इस नाम से पश्चिमी अफ्रीका के प्रत्येक युवक के हृदय में एक ज्योति जगमगा उठती है और वह उस मध्यकालीन प्रगति का ध्यान करता है जो कि हमारे पूर्वजों ने यूरोपीय लोगों के आने के पूर्व वहां की थी--जिसके बाद हम लोगों पर बाहर वाले हकूमत करने लगे। परम्परा के अनुसार गोल्ड कोस्ट की विभिन्न आदिम जातियों के व्यक्ति आरंभ में घाना साम्राज्य के अधीन थे--वह साम्राज्य मध्यकाल में पश्चिमी सूडान में स्थापित था।
>
> १००० वर्ष तक घाना साम्राज्य कायम रहा और यह पश्चिमी सूडान में बहुत से क्षेत्र पर था। सूडान से परे पूर्व में झील चाड से लेकर पश्चिम में जालोन पर्वत तक तथा उत्तर में सहरा से लेकर दक्षिण में बेंनिन तथा बियाफरा की बाइट्स तक इस साम्राज्य का प्रभुत्व था। इस घाना साम्राज्य के अधीन वह क्षेत्र थे जो कि अब पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा भाग है अर्थात नाइजेरिया से लेकर पश्चिम में सेनागाम्बिया तक। घाना साम्राज्य विदेशों से दूर दूर तक व्यापार रखते थे--जैसे स्पेन तथा पुर्तगाल से भी व्यापारिक सम्बन्ध थे।
>
> लेखकों ने बताया है कि यहां से सोने, खालों, हाथी दान्त, पटसन, गोंद, शहद, अनाज, रूई, आदि वस्तुओं का व्यापार होता था। वह भी बताया जाता है कि मिस्री-यूरोपीय तथा अफ्रीकी विद्यार्थी उस समय के यहां के विश्वविद्यालयों में दर्शन, गणित, चिकित्सा शास्त्र तथा विधि शास्त्र पढ़ने के लिये आते थे। एक अरब लेखक लिखता है कि घाना के सान्तोर विश्वविद्यालय में और स्पेन के गोरदोवा विश्वविद्यालय में अध्यापकों का विनियम होता रहता था।"

श्रीमान्, मैं ने इसे इस कारण पढ़ा है क्योंकि इससे हमें यह पता लगता है कि जो पुरानी सभ्यता के देश थे वे पुनः प्रगति की राहों पर बढ़ रहे हैं। घाना वालों को मुबारकबाद देते समय हमें स्मरण हो आता है कि हमारी स्वतंत्रता भी कुछ समान से हालात में ही प्राप्त हुई है। अन्त में शासक देश के साथ हमारी मैत्री भी रही--शासकों को भी यह अवसर धन्यवाद देने का है क्योंकि उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका के उस भाग में आजादी दे कर बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। मैं एक नम्र सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस संसद् की सद्भावनायें घाना की विधान-सभा को भेजी जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कृष्ण मेनन]

भागलपुर व पूर्णिया के माननीय सदस्य ने हमारी विदेशी नीति की असफलता के बारे में कहा। सामान्यतया ऐसी सामान्य सी बात का उत्तर नहीं दिया जाता। किन्तु यह बात देश के एक बड़े राजनीतिज्ञ ने कही है--उनका हम सम्मान करते हैं--इसलिये उनके विचारों की ओर ध्यान न देना असभ्यता होगी। मैं ने उनके वक्तव्य को बड़े ध्यान से पढ़ा है किन्तु उनके भाषण के एक भाग से दूसरा भाग संगत ही नहीं है। हमारी विदेश नीति की असफलता के बारे में एक ओर तो कहा गया है कि हम अधिक प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं--और फिर यह आपत्ति है कि हमारी वैदेशिक नीति मूलभूत बातों पर आधारित नहीं।

आचार्य कृपालानी जी कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र पहले अपने हितों की रक्षा करता है और इसे किस सम्भव खतरे से बचाने का यत्न किया जाता है--उन्होंने कहा है कि इस के अतिरिक्त अन्य कोई उद्देश्य ही नहीं है। क्या इस सभा में सारे सदस्य उनसे सहमत हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं कि संसार में शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता स्थापित करने के प्रयत्न--जातिवाद के विरुद्ध लड़ाई और विदेशों शासन से शोषित लोगों का साथ देना--लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारने की कोशिश और विश्व स्वास्थ्य संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लाभ--और अपने आप को युद्धवाद राजनीति से अलग रखने की बातें--क्या ये सब अपने देश के हित में नहीं हैं? हम संसार में शान्ति तथा सहयोग चाहते हैं। इस समय हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जोकि अन्तर्राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो। हमारी नीति इस लिये ऐसी वास्तविक नीति है जिस पर चल सकते हैं--इसे आदर्श नीति कहा जा सकता है।

कहा जाता है कि इस नीति पर चलने से हमारी यह दशा हो गई है कि हमारा कोई भी मित्र नहीं रहा। ऐसे वक्तव्य पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ता है--क्योंकि यह बात ऐसे माननीय सदस्य द्वारा कही गई है जिनकी महानता में सन्देह नहीं किया जा सकता। तथा इसके उत्तर हैं। यह बात बुरी होगी यदि हम केवल उन्हीं लोगों को अपना मित्र मानेंगे जो हमारी सहायता करते हों। मित्रता का यह अर्थ नहीं कि एक अन्य देश जो कि अपनी राय रखता है और उसके अपने विचार होते हैं--वह भी हमारा ही साथ दे। हमारा देश उन थोड़े से राष्ट्रों में से एक है जो अब तक विभिन्न प्रकार की राजनैतिक प्रणालियों पर चलने वाली सरकारों से समस्त स्तरों पर बात कह सकता है। इस बात को देखते हुये कि हमारी राजधानी में नित्यप्रति विदेशों के प्रधान मंत्री, शासक आदि आते रहते हैं--यह कोई नहीं कह सकता कि हमारे कोई मित्र नहीं हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि वह यहां जासूसी करने आते हैं। वह यहां दोस्ती के लिये आते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के भाषण पर मुझे दुःख हुआ है--विदेशों में वहीं भाषण प्रकाशित होते हैं जो वहां के पत्रकार ठीक समझते हैं--इस कारण उनका महत्व बढ़ जाता है।

मैसूर के माननीय सदस्य ने विदेशी नीति के संचालन की आलोचना की है। मैंने भाषण के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री से सलाह नहीं की है--मैं समझता हूं कि सलाह करने की जरूरत भी नहीं है--क्योंकि विषय यहीं रखा गया है कि हमें संसदीय लोकतंत्र समाप्त कर देना चाहिये। हमारे लोक तन्त्र में कार्यपालिका संसद् को प्रत्येक कार्य के लिये उत्तरदायी है। संसद प्रत्येक समय सरकार को खत्म कर सकती है। इसलिये जब संसद को ऐसी बात करने की सलाह दी जाये जो संसदीय लोकतन्त्र में होती हो--और केवल ऐसे देशों में होती हो जहां संसदीय लोकतन्त्र नहीं है--जैसे कांग्रेशनल प्रणाली में होता है कि राजदूत संसदीय समितियों में जवाब देने को पेश होते हैं--तो हम अपनी परम्परा का अवहेलना करेंगे--क्योंकि विदेश मंत्री राजदूत

आदि के कामों का जिम्मेदार है। इस प्रकार से हमारी इस प्रणाल में सन्धियों पर वह प्रक्रिया लागू नहीं होगी जो कांग्रेश्नल सरकारों में होती है।

आलोचना इस कारण हो सकती है कि कुछ प्रक्रिया के कायदों तथा सामान्य सिद्धान्तों पर आपत्ति हो। हमने इस देश का विधान इस प्रकार का चुना है जहां कार्यपालिका संसद् को उत्तरदायी है। आज प्रातः हम यहां बैठे हुये उत्तरों तथा प्रश्नों को सुन रहे थे--वे ऐसे मामलों के बारे में थे जिन्हें प्रत्येक प्रश्नकर्ता महत्वपूर्ण समझता है। हमारी सरकार की एक एक नीति की आलोचना की जा सकती है।

विदेशी नीति के बारे में भी--जहां पर कहा जाता है कि कोई मंत्राणा नहीं होती--उस मामले में भी यहां बहुत वाद-विवाद होता है और यह वाद-विवाद मंत्रणा को सिद्ध करता है। यदि कोई गलती हो जाये तो जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। इस प्रकार से इस खुली मंत्रणा का तरीका अपनाया जाता है--हां, ऐसे मामलों में जहां प्रभारी मंत्री सोचे कि उसके लिये विशेष प्रकार की सलाह की आवश्यकता है--उस मामले में दूसरा तरीका अपनाया जाता है।

एक तरफ तो यह आलोचना है कि विदेशी नीति पर अधिक वाद-विवाद होता है। साथ में ही यह कहा जाता है कि किसी की सलाह नहीं ली जाती। सरकार यह समझती है कि सभा में वाद-विवाद से न केवल विभिन्न दलों के दृष्टिकोणों का पता चलता है बल्कि सरकार संसार के साक्ष यह भी कह सकती है कि उनकी नीति सारे देश द्वारा अनुमोदित है। इस लिये इस तरह के सुझावों को मानना कि या तो राजदूतों की नियुक्ति संसद् करे या विदेश नीति का संचालन संसदीय समिति करे और सरकार एक समस्त दलीय संसदीय समिति से हिदायतें ले यह सब ऐसी बातें हैं जिन्हें इस देश जहां कार्यपालिका संसद को उत्तरदायी है नहीं माना जा सकता।

शेष आलोचनायें विशिष्ट मामलों की ओर निर्दिष्ट हैं। भागलपुर व पूर्णिया के माननीय सदस्य ने कहा कि राजनीति कुछ बातों में ही नहीं होती किन्तु उसके लिये अन्य बातें भी चाहियें। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों का चुनाव ठीक तरीके से नहीं किया जाता और इस मामले में राष्ट्र संघ में ऐसा प्रतिनिधि भेजा गया है जो किसी को राजी नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि सरकार और अच्छे आदमी का चुनाव कर सकती थी किन्तु सरकार भी कवल अच्छों की चुनी हुई नहीं होती --जो कुछ संभव होता है वह ही किया जाता है। इस मामले को जरा और बढ़ाया गया है--क्योंकि हमारी नीतियां व्यक्तिगत महत्व से महान नहीं होती। बाहर हमारे देशों के प्रतिनिधि इस सभा के सदस्यों से भिन्न हैं--क्योंकि सदस्य तो चुने हुये हैं और वह प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें हिदायतें मिलती हैं--वे उन्हीं हिदायतों पर चलते हैं--याद नहीं चलते तो फिर उन्हें बाद में गलती ठीक करनी पड़ती है। वे संसद के सदस्यों की भान्ति स्वतंत्र नहीं होते। एक देश में एक ही विदेश विभाग हुआ करता है। जब हम अपने देश के प्रतिनिधियों के विरुद्ध यह कहते हैं कि किसी को राजी नहीं कर सकते तो वह लोग ६ या ७ वर्ष पुराना इतिहास देखें--इंडोनेशिया की स्वतन्त्रता, हिन्दचीन में युद्ध विराममध्यपूर्व के झगड़ों की शान्ति इन सब बातों पर देखे कि हमने इनमें क्या हाथ बटाया है--ये सब बातें राजी करने से ही हुई हैं। दूसरा कौनसा हथियार हमारे पास है? वास्तव में हम लोगों का अधिक समय तो इसी राजी करने के काम में लगता है। मैं उनके विचारों का बुरा नहीं मानता--इस से मुझे बड़ा लाभ हो सकता है क्योंकि प्रशंसा तो बुरी ही होती है। विदेशी प्रेस तथा हमारे अपने लोगों को यह बात जाननी चाहिये कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी आलोचना न हो।

[श्री कृष्ण मेनन]

एक बात मध्य-पूर्व के बारे में कही गई है। इस बात के बारे में कहना आवश्यक है क्योंकि प्रधान मंत्री के भाषण के बाद कनाडा के वैदेशिक विभाग के मंत्री के वक्तव्यों के बारे में निर्देश किया गया था। कल उन्होंने अपने उच्चायुक्त द्वारा अपना भाषण भेजा है। इस मामले में हमारे देश तथा कनाडा का एक सा ही ताल्लुक है। वैसे तो कामनवैल्थ सम्बन्ध के बारे में प्रधान मंत्री भी बोल चुके हैं किन्तु दो देश ऐसे थे जिन्होंने मध्य एशिया के बारे में ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया आदि का विरोध किया। मंत्री का भाषण जो प्रैस में आया है—उससे पर्याप्त रूप में हमारी सरकार सहमत है। इसे संयुक्त राष्ट्र आपात दल तथा गजा क्षेत्र और मध्यपूर्व के प्रसंगवश देखना चाहिये। जो बात आज से १० या १५ दिन पहले थी उससे अब स्थिति ठीक है। आक्रमणकारी सेनायें मिस्र तथा मिस्र की भूमि से गजा क्षेत्र तथा शर्मलशेख क्षेत्र से बाहर जा रही हैं। वैधानिक अवस्था यह है कि गजा क्षेत्र तथा इसराइल का वह क्षेत्र जो १९४७ के संकल्प के अनुसार उन्हें नहीं मिला—उनकी स्थिति बराबर की है। जब भारत ने आपात दल में सम्मिलित होना स्वीकार किया तब यह स्पष्ट किया गया था कि कभी भी भारतीय दल को मिस्री क्षेत्र में उल्लंघन करने या वहां के अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिये नहीं कहा जायगा। वह आक्रमण दलों का काम नहीं करेंगी। इस मामले में हमारा और कनाडा सरकार का थोड़ा सा मतभेद है। वह कहते हैं कि जब आपात दल युद्ध विराम सेवा पर होंगे तब उन्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मिस्र की ओर से भी किसी प्रकार का आक्रमण न हो। जहां तक हम समझते हैं ऐसी आशंका की जरूरत नहीं है। अब तक न अरबों ने और न इजराइलों ने इन दलों पर गोली चलाई है। इसराइल में एक दुर्घटना हुई थी जिसके लिये उन्होंने माफी मांग ली है। इस कारण कनाडा की संसद् में यह वक्तव्य जो दिया गया—जो इस आशंका से उत्पन्न होता है कि यह दल यदि कठिनाइयों का अनुभव करेंगे यदि दोनों पक्षों को इन्हें हटाना पड़ा—वह एक तरफा था—हमारे विचार में इसका तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम समझते हैं कि मिस्र कभी ऐसी बात नहीं करेगा क्योंकि उसने सद्भावना से इन्हीं बातों को समाप्त करने के लिये तो आपात दल को स्वीकार किया है। गाजा क्षेत्र में मिस्र की फौज नहीं हैं और गजा सरकार राष्ट्र संघ के दल से सहयोग कर रही है। हमारी सरकार कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों का उल्लंघन हो और उन फौजों को गजा का अधिकार सौंप दिया जाये। युद्ध विराम सन्धि का यह उल्लंघन होगा। श्री लेस्टर पीयरसन ने कहा है कि युद्ध विराम सन्धि ही हमारा आधार है—और यही हमारा भी विचार है। किन्तु इन सेनाओं को गजा क्षेत्र में रखना—जो कि वैसे तो मिस्र का क्षेत्र है किन्तु वैध रूप से अभी जिसका निश्चय नहीं हुआ है—यह उस सन्धि का उल्लंघन होगा। हमारे देश का सदैव यही विचार रहा है। हम सब चाहते हैं कि समस्या शन्ति से सुलझ जाये। और यदि यह न हो सके तो सीमा पर कम से कम झगड़े हों। इस कारण राष्ट्र-संघ दल के कृत्य तटस्थता पर आधारित है। मिस्र सरकार की रजामंदी के बिना उनकी कोई भी पुलिस कार्यवाही उन्हें कठिनाई में डाल सकती है और इससे हानि भी हो सकती है। इसलिये यह आशंका निराधार है—दल को राष्ट्र संघ के नियमों के अनुसार काम करना है—और हम जितनी कोशिश कर सकेंगे शान्ति स्थापित करने की करेंगे। समस्ततया अब हालत अच्छी है और पहले जैसे धावों के बजाय जिन में राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक जांच करते थे और उत्तरदायित्व निश्चित करते थे—अब दोनों देशों की सीमा के बीच एक दल भेज दिया गया है—जिनके पास आत्म सुरक्षा के हथियारों के बजाय अन्य हथियार नहीं हैं—वे पक्षों को अलग करेंगे—और इनसे मामले के सुलझाने का तरीका निकलेगा। इस सम्बन्ध में हमारी सेनाओं ने जो काम किया है वह सराहनीय है। यह बात जनसाधारण को मालूम नहीं है कि भारतीय सेना—चाहे वह कोरिया में थी या हिन्द चीन या मिस्र में—जहां उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की—बल्कि सहायता की

है—शान्ति रखी है—लोगों में अत्यन्त सर्वप्रिय रही है और स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप उसने कभी नहीं किया। भारतीय सेना ने सदैव सावधानी और अनुशासन से काम लिया है।

दूसरी बात मध्य एशिया के बारे में जो है वह हमारे अपने लाभ से सम्बान्धत है। हमने स्वेज नहर के बारे में हुई चर्चाओं में तथा इसके राष्ट्रीयकरण के बाद उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों में अपने को अन्तर्ग्रस्त नहीं किया—इसका कारण यह था कि स्वेज नहर हमारे देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है—पाश्चात्य देशों से भी कहीं अधिक। गत वर्ष चैत्र के महीन में हमारी ७० प्रतिशत निर्यात होने वाली वस्तुयें तथा ६९ प्रतिशत आयात होने वाली वस्तुयें इसी नहर से गुजरीं। उस बारह महीनों की अवधि में लगभग ६५०,००० टन माल उस नहर में से ले जाया या लाया गया।

अतः स्वेज नहर का फिर से खुलना हमारे लिये विशेष महत्व की बात है। आगे कुछ दिनो बाद जब नहर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिये खुल जायगी तो स्थिति पहले की भांति सामान्य हो जायगी और नहर का प्रयोग करने वालों के सम्बन्ध में भेदभाव के सम्बन्ध में जो गलतफहमियां हैं वे भी दूर हो जायेंगी। इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देना मिस्र सरकार का काम है। गत सप्ताह में मिस्र सरकार ने कहा है कि नहर के खुलने के पूर्व नहर के यातायात उसकी समामान्य व्यवस्था आदि के बारे में एक वक्तव्य देगी मैं समझता हूं कि वह एक व्यवहारिक उपाय होगा और उससे गलतफहमियां दूर होंगी।

प्रधान मंत्री ने सन्धियों का जिक्र किया। आचार्य कृपालानी ने भी उसकी बात की। यह सन्धियां हमारे देश के लिये महत्व की बात हैं: आज की स्थिति १९४७ से भिन्न हो गयी है। आज हमारे पड़ोसी देश ने इस्तम्बोल से लेकर हमारे राज्य की सीमा तक सभी देशों से सैनिक सन्धियां करली हैं। ब्रिटेन से भी करली है। अतः जब ये सन्धियां युद्ध का सामान बनना चाहती हैं और हमारी सुरक्षा तथा देश के लिये खतरा पैदा करती है तो हमें इनके बारे में ऐसा कहना आवश्यक हो जाता है।

दूसरे, हमारा देश अपने संवैधानिक उपायों तथा अपने वचनों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों को मानता रहा है। जब से राष्ट्र संघ बना है तभी से हम राष्ट्र संघ के एक स्वामिभक्त सदस्य रहे हैं। बाण्डूंग सम्मेलन में भी मैंने कहा था कि ऐसी सन्धियां—मैं नाटो तथा अन्य संगठनों की बात नहीं कह रहा हूं—राष्ट्र संघ के अधिकार—पत्र के विरुद्ध हैं। ये सन्धियां धारा ५१ के अधीन नहीं आतीं। सीटो संधि के अधीन लगभग हम सभी राज्य आ जाते हैं। हम ऐसी स्थिति को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह पुराने साम्राज्यीय देशों तथा औपनिवेशिक राज्यों का एक अनोखा मिश्रण है। यह तो औपनिवेशिक शासन को फिर से लाना है। ये असहाय देश, इन सैनिक संधियों में भाग लेकर औपनिवेशिक राज्य को फिर से एक दूसरे में ला रहे हैं। इनसे हमारे देशों म शीत युद्ध पैदा होता है। अतः हमें सभी संवैधानिक उपायों से तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली से अन्य देशों को इस प्रकार की सन्धियों से अलग रहने के लिये बाध्य करना चाहिये:

पिछले दो या तीन वर्षों से देखा गया है कि ये सैनिक संधियां अन्य देशों के विरुद्ध कुछ देशों की घरेलू नीति को चलाने तथा उसका समर्थन करने के लिये भी उपयोग में लाई जाती हैं। फ्रांसीसी साम्राज्य ने अपने उपनिवेश के राज्य क्षेत्र में ऐसा प्रयोग किया है। यह बात कई बार कही गयी है कि नाटो संगठन द्वारा दिए गये औजारों को उत्तरी अफ्रीका में स्वतन्त्रता का आन्दोलन में काफी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। पुर्तगाल के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती

[श्री कृष्ण मेनन]

है चाहे सम्बन्धित राज्य इस बात को स्वीकार न करें। गत वर्ष तेहरान और कराची में बगदाद् संधि के राज्यों तथा सीटो सम्मेलन में कश्मीर समस्या को जबरदस्ती खींच कर लाया गया। यह सन्धियां आक्रमण तथा प्रतिरक्षा दोनों प्रयोजनों से ह। इस सम्बन्ध में यदि आप को संदेह है तो आप पाकिस्तान के मंत्रियों के वक्तव्य पढ़ सकते हैं।

इन्डोचीन जैसे स्वतन्त्र क्षेत्रों की उन्नित तभी हो सकती है जब वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी सर्वोच्च प्रभुता का प्रयोग करें। यह सन्धियां संगठित राज्यों में फूट डालती हैं। हमें इस फूट डालने की प्रक्रिया का बड़ा कटु अनुभव है। आज फूट डालने का जो नया तरीका है उसका उदाहरण अरब देशों में देखिये; बगदाद सन्धि ने अरब राष्ट्र के व्यक्तियों के छोटे छोटे भागों में एक दूसरे के विरुद्ध विभाजित कर दिया है उनमें संघर्ष पैदा कर दिया है और वहां के लोगों को उससे बचना चाहिये। अतः यदि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में अपना मत प्रकट नहीं करती तो उस पर अपने कर्त्तव्य को न निभाने का आरोप लगाया जा सकता है। दुःख की बात है कि यह सन्धि प्रणाली दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम उस समय की याद करें जब नाटो संगठन बना था उस समय तो सन्धियों का उद्देश्य सांस्कृतिक और आर्थिक था पर अब सैनिक भी हो गया है। हमें भय है कि ये राज्य युद्ध में न उत्तर पड़ें।

राष्ट्र संघ में कुछ मामलों के बारे में सरकार के प्रतिनिधियों की आलोचना की गयी। अधिकतर आलोचना तो इस कारण होती है कि इन विषयों पर, प्रतिवेदन आने के पूर्व ही, भाषण हो जाते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमारी आलोचना इसलिये की गयी कि साइप्रस के मामले में हमने ब्रिटेन के साथ नरमी का व्यवहार किया। हमने राष्ट्र संघ में कहा कि साइप्रस का प्रश्न वहां की जनता का प्रश्न है और टर्की, यूनान तथा ब्रिटेन को उस पर इस तरह सौदा करने का हक नहीं है। कुछ और लोग भी ताक में हैं। सीरिया के लोगों का कहना है कि साइप्रस से टर्की की दूरी ४५ मील है पर सीरिया की दूरी तो केवल ३७ मील है। अगले साल कुछ और लोग अपना हक बतलायेंगे। मैं नहीं समझता कि सीरिया का प्रश्न ऐसा है कि उसे कई भागों में बांट दिया जाय। भारत ने अपना दृष्टिकोण साफ शब्दों में रखा था। यदि १६७,००० जनसंख्या होने पर आइसलैण्ड एक प्रभुत्वसम्पन्न देश हो सकता है तो क्या कारण है कि ५,००,००० जनसंख्या तथा अपना उद्योग तथा कृषि रखने वाला साइप्रस एक स्वतन्त्र देश नहीं बन सकता। अतः भारत ने हमेशा अपना यही दृष्टिकोण रखा है कि साइप्रस के लोगों का अपना अलग राष्ट्र है। हो सकता है वहां के निवासियों का उद्भव यूनान से हो। ऐसा कोई भी नहीं कहता कि चूंकि संयुक्त राज्य अमरीका की अधिकांश जनसंख्या का उद्भव एंग्लो सेक्सन जाति है अतः उसे ब्रिटेन के साथ मिला दिया अतः जब तक कि साइप्रस के लोग खुद न चाहें इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि उसे टर्की या यूनान में मिलाया जाये। पहले साल के बाद भारत सरकार ने यूनान सरकार को यह स्थिति समझा दी और अब उसका विचार है कि साइप्रस को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाये। जब इस प्रश्न पर वाद-विवाद हो रहा था तो हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जिस हल का सुझाव दिया था उसका यूनान, टर्की, ब्रिटेन, अमरीका, रूस तथा अरब देशों ने समर्थन किया। यह मामला ब्रिटेन तथा साइप्रस की जनता के बीच था और यदि साइप्रस एक स्वतन्त्र देश की भांति राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में रहना चाहे तो उसे, इसका निर्णय करने का अधिकार शीघ्र ही दे दिया जाय, यही हमारा दृष्टिकोण था।

चिटगॉव के बारे में, रांची पश्चिम के माननीय सदस्य को, उत्तर प्रधान मंत्री देंगे। मैं समझता हूं कि भारत किसी देश पर केवल इसलिये हक जमाने का दावा नहीं करेगा कि उस देश में हिन्दू, ईसाई या मसलमान रहते हैं। क्यों कि यह हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध होगा।

चूंकि हमें स्वतंत्रता बहुत जल्दी में मिली इसलिए इस बात का निर्णय नहीं हो पाया और बात अधूरी रह गई। प्रधान मंत्री ने कल बताया था कि पाकिस्तान के साथ हमारी बात-चीत चली थी पर हम किसी निश्चय पर सहमत नहीं हो पाये। यह एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण मामला है और अन्य बातों के साथ भी इसका सम्बन्ध है, अतः केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इस मामले को अभी चालू समझा जाय।

माननीय सदस्य ने इस बात का भी जिक्र किया कि पश्चिमी अफ्रीका को प्रतिनिधि मंडल भेजा जाये। प्रधान मंत्री ने उस पर विचार करने को कहा है।

अब एक विशेष प्रकार के केवल दो मामले और हैं। यह गोआ और काश्मीर के मामले हैं। वैदेशिक नीति के वादविवाद के विषय नहीं हैं। वे भारतीय राज्यक्षेत्र में हैं। इस को हम वैदेशिक नीति में इसलिये लेते हैं कि यह मामला राष्ट्र संघ में चला गया है और एक विदेशी सत्ता ने उस पर कब्जा कर लिया है। अन्यथा तो काश्मीर का मामला जम्मू और काश्मीर राज्य से सम्बन्धित है और जहां तक उस राज्य का संबंध है संघीय केन्द्र से है, इस का संबंध गृह-कार्य मंत्रालय से है।

गोआ और काश्मीर के बारे में अनेक समस्यायें उठायी गयी हैं। बरहामपुर के माननीय सदस्यों ने गोआ की जेल की दशा के बारे में बताया है। इस संबंध में सब कुछ, जो संभव था, नहीं किया गया है। अतः बहुत कुछ करने को शेष है पर हमें ध्यान रखना है कि हमें जो कुछ प्राप्त होगा उस के बदल में कितनी हानियां और कितना लाभ उठाना पड़ेगा। गोआ की समस्या को अभी अपूर्ण कहा जा सकता है। भारत पर ब्रिटेन, पुर्तगाल तथा फ्रांस का कब्जा था। ब्रिटेन समझौता कर के भारत को छोड़ गया। फ्रांसीसियों ने लगभग वैसा ही किया। अब पुर्तगाल रह जाता है। हम से पूछा जाता है कि इस प्रश्न को राष्ट्र संघ में क्यों नहीं लाया जाता। राष्ट्र संघ में हमारे सामने और भी अनेक प्रश्न हैं। फिर गोआ का प्रश्न राष्ट्र संघ में उठाया गया था। और पुर्तगाल एक ऐसा देश है जिस के पास उपनिवेश नहीं हैं बल्कि यह सब भाग पुर्तगाल राज्य के सामने समझे जाते हैं। अतः यह मामला राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र की धारा ७३ के अधीन राष्ट्र संघ की महासभा की ट्रस्टशिप कमेटी को सौंप दिया गया है और सभा इस पर अगले साल विचार करने के पक्ष में है। इस प्रकार गोआ को भी औपनिवेशिक साम्राज्य का प्रश्न बना दिया गया है। इस के दूसरे भी पहलू हैं। जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है और हमारी भी इच्छा है कि गोआ की जनता भी भारत के साथ स्वतन्त्रता का सुख भोगेगी। हमें प्रचार का भी ध्यान रखना है हमें काश्मीर की बात भारत से पृथक नहीं करनी चाहिये। यही बात गोआ के सम्बन्ध में भी है।

काश्मीर के बारे में उठाई गई बातों का उत्तर हमें देना ही पड़ेगा। आचार्य कृपलानी ने कहा कि विदेशी हमारी बात को नहीं समझते पर हमें चाहिये कि पहले हम तो समझ लें।

काश्मीर की समस्या लेने के पूर्व मैं इजराइल के प्रश्न को लूंगा। राष्ट्र संघ में हम ने सरकार की ओर से कहा कि हमें इजराइल राज्य से कोई वैमनस्य नहीं है। हम उस को मान्यता देते हैं। २९ नवम्बर, १९४७ को राष्ट्र-संघ ने इज़राइल को एक नया राज्य घोषित किया। १४ मई, १९४८ को उन्हों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की। १९४८ में उन्हों ने राष्ट्र संघ की समस्या के लिये आवेदन पत्र दिया। १९४९ में उसे सदस्य मान लिया गया और १९५० में हमारे देश ने उसे मान्यता दी। यह कहना गलत है कि कोई राजनयिक व्यवस्था नहीं है। हम उसे स्वतन्त्र राज्य मानते हैं। और हमारा उस से कोई झगड़ा नहीं है। हमारे देश में लगभग ८४ राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं पर हमारे प्रतिनिधि तो आधे राज्यों में भी नहीं हैं। इस के लिये राजनैतिक, अधीक्षक तथा प्रशासनीय आदि कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इजराइल अरब के प्रश्न पर तथा मध्य पूर्व के प्रश्न पर हम ने कई बार कहा है कि हम किसी राज्य के गुट में नहीं हैं। हम अरब राज्य तथा इजराइल दोनों को मान्यता देते हैं। पर मध्य

[श्री कृष्ण मेनन]

पूर्व के मामले में हम पर यह आरोप लगाया गया है कि दोनों में भेद मानते हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले में हमारी स्थिति ऐसी ही है जैसी कि काश्मीर के मामले में—अर्थात् किसी राज्य पर विजय प्राप्त करना कोई वैध अधिकार प्राप्त करना नहीं होता।

हमारा देश संसार के उन थोड़े से देशों में से है जहां पर यहूदियों को सताया नहीं गया और निकाला नहीं गया। उन के पूर्वज भारत में ईसवी सन् से ४०० वर्ष पहले आये थे। विदेशों में जो हमारे शिष्ट मंडल है उन से इजराइल का संबंध काफी अच्छा है। इजराइल को जाने दीजिये, ब्रिटेन के साथ भी हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। मिस्र के मामले में हमें उस के विरुद्ध बोलना पड़ा।

काश्मीर के सम्बन्ध में यह पूछा गया है कि हमारे प्रधान मंत्री युद्ध-विराम के लिये क्यों राजी हुए थे? यह तो हमारे राज्यक्षेत्र के भीतर था। युद्ध विराम द्वारा हम ने यह स्वीकार कर लिया कि शान्ति-पूर्वक समस्या सुलझायेंगे। यदि युद्ध होता रहता, लोग मरते रहते तो सन्धि की बातचीत नहीं हो सकती थी। इस देश की परम्परा के तथा मानवता के आधार पर हम ने युद्ध रोकने के लिये ही यह किया था। कमिशन के चैयर मैन तथा हमारे प्रधान मंत्री के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है उस में भी उन्हों ने हमारी मांग को मानने का वायदा किया था पर जम्मू और काश्मीर की वाह्य प्रतिरक्षा तथा अन्तरिक विधि और व्यवस्था के उत्तरदायित्व को ध्यान में रख कर हमें युद्ध विराम मानना पड़ा। यह इसलिये मानना पड़ा कि कोई न कोई हल ढूढ़ना था। हम सुरक्षा परिषद् में राज्यक्षेत्र का निबटारा करने के लिये नहीं गये और उसे इस का निबटारा करने का अधिकार भी नहीं है। हम तो अधिकार-पत्र के अधीन विशेष बातों के समझौते के लिये सुरक्षा परिषद में गये थे।

दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि श्री गोपालस्वामी आय्यंगार ने तार क्यों भेजा था। इस सम्बन्ध में हमारे व्यक्तियों में भी काफी गलतफहमी है। उन्हों ने तो कहा था कि यह स्थायी विलय है। यह विलय वैसा ही जैसा कि भारत की अन्य ५०० देशी रियासतों का। कोई भी राज्य अपने राज्य का कोई भी हिस्सा किसी को दे सकता है। हमारे संविधान में कोई शर्त वाला प्रदेश नहीं है। १९३२ और १९३६ के बीच राज्य सचिव[1] के पत्रों से पता लगता है कि उस समय के राजे वाइसराय को कुछ समय के प्रवेश के लिये राजी कर लेते थे। ब्रिटिश सरकार इस का विरोध करती थी। इसी बात की व्यवस्था हमने अपने संविधान में रखी है। और शर्तों के अधीन "प्रवेश का कोई प्रश्न ही नहीं है। अन्य कई प्रश्न काश्मीर के बारे में पूछे गय हैं पर मैं समझता हूं कि उन सब का जवाब देना मेरे लिय आवश्यक नहीं है। हम ने तथा प्रधान मंत्री ने यह कहना शरु कर दिया है कि पाकिस्तान ने इस राज्य क्षेत्र को वैधानिक रीति से अपने राज्य में नहीं मिलाया है। बात सीधी है। हम सत्य कहना चाहते हैं। पाकिस्तान का संविधान तथा खण्ड १ पारित होन पर ही तो खण्ड २ (ख' और (ग) पाकिस्तान का कानून बन पाया। अब तो संविधान लिखित है। उन के संविधान की धारा २०३ में काश्मीर के शेष भाग को मिलाने की व्यवस्था की गयी है। इस अनुच्छेद के अधीन पाकिस्तान द्वारा जिन, क्षेत्रों की व्यवस्था हो रही है वे सभी पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में हैं। संविधान के बन जाने पर यह पाकिस्तान राज्य का अंग बन गया पर संविधान पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर के बिना वह वैधानिक दृष्टि से राज्य का अंग नहीं था। इसी कारण हम ने ऐसा नहीं कहा था।

अतः काश्मीर के बारे में, वही बात ठीक है जो हम ने कहा है कि वह भारत का एक अविभिन्न अंग है। आज हमारे सामने आक्रमण करने वालों को हटाने की समस्या है। यह काम यहाँ की संघ सरकार का है। हमारी सारी व्यवस्था राष्ट्रसंघ कमीशन के दो संकल्पों तथा उन के दिय गय आश्वासनों में निहित है।

---

[1] Secretary of State.

उन संकल्पों को खंडों में नहीं पढ़ा जा सकता। मुझे आशा है कि यह सभा इस बात का समर्थन करेगी कि यह देश किसी अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। हम अपने वचनों को पूरा करेंगे। पर हम किसी ऐसे वचन, वादे या आश्वासन को नहीं मानेंगे जो हमें नीचे ले जाये। यदि कोई बात हमारे सामने रखी जायगी तो हम उसे स्वीकार करेंग और यदि हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वह भंग समझी जायेगी।

हम ने सरकार की ओर से सरक्षा परिषद् में कह दिया है कि उस समय हमने जो वादे कर दिये हैं या जो वचन दिये हैं—उन सभी बातों को हम मानेंगे और पहली बात उस में यही है कि वहाँ से आक्रमण करने वाले को हटा दिया जाय। काश्मीर के संबंध में हमारी जो स्थिति है वह बिल्कुल ठीक है। पर यदि काश्मीर पर हमारा कोई कब्जा नहीं है तो पाकिस्तान का तो उस पर कोई भी कब्जा ही नहीं है सिवाय इस के कि उसने काश्मीर पर चढ़ाई की है। यह कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस का स्वामी कोई भी न हो। पाकिस्तान की चढ़ाई के पूर्व भी उस क्षेत्र में छुट पुट झगड़े कर के घुसना तथा उस में कब्जा करना आदि होता था जो कि आक्रमण के ही समान था। अतः वह अपना जो कुछ भी वैध अधिकार दिखा सकते हैं वह आक्रमण ही है। यदि यह बात उचित ही है कि संसार के देश एक साथ एकत्रित हो कर ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे देश से कह सकते हैं कि उनका मिस्र पर आक्रमण अनुचित है तो वही बात हमारे देश पर भी लागू होती है।

अब तो आक्रमण काश्मीर पर ही नहीं रहा। २७ अक्टूबर, १९४७ के बाद वैधानिक दृष्टि से यह आक्रमण काश्मीर पर नहीं वल्कि भारत पर है। और हम इतना नहीं दब सकते हैं कि हमारे देश के एक राज्यक्षेत्र पर इस प्रकार आक्रमण किया जाय। अतः हम ने भारत सरकार की ओर से वह स्थिति अपनाई है कि पिछले नौ वर्षों से हम ने समस्या को सुलझाने की कोशिश की है, हम ने कई रियायतें बरती हैं, हम ने कई साधनों का प्रयोग करना चाहा है पर हम कोई हल नहीं निकाल सके।

जनमत संग्रह की आलोचना की गयी है। हमने जनमत संग्रह की बात कही है यह ठीक है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि हम जनमत संग्रह के लिये बिना सोचे विचारे तैयार हो गये हैं। संकल्प में हम ने कहा था कि जब भाग (एक) तथा भाग (दो) में उल्लिखित शर्तें पूरी हो जायंगी और जब कमीशन अपनी रपोर्ट दे देगा कि वह पूरी हो गयी हैं तब दोनों सरकारें जनता की राय जानने के लिए सब से अच्छा तथा उचित न्याय ढूंढने के लिए सम्मेलन करेगी।

परन्तु प्रधान मंत्री ने आयोग को अपने पत्र में साफ साफ बता दिया था कि यदि भाग १ तथा भाग २ के अनुसार कार्य नहीं किया गया तो भाग ३ के बारे में हम वचनबद्ध नहीं होंगे। इसको आयोग ने भी लिखित रूप में स्वीकार कर लिया है। यह आश्वासन प्रधान मंत्री अथवा सरकार के लिए गोपनीय नहीं है। उनका उसी समय प्रकाशन कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने उन आश्वासनों को जानते हुए भी इन संकल्पों को स्वीकार कर लिया था।

इस प्रकार चाहे विश्व के तथा हमारे सभी समाचारपत्र जनमत के बारे में लिखते रहें परन्तु जनमत किया नहीं जा सकता क्योंकि सब से पहले उन दोनों भागों पर कार्यवाही होनी ज़रूरी है।

जैसा कि सुरक्षा परिषद् में हम ने कहा है और जिस बात पर हम जोर दे रहे हैं वह यह है कि पाकिस्तान ने युद्ध-विराम समझौते को भंग किया है। इससे मेरा मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान ने सीमा पर इधर उधर हमले किए हैं बल्कि यह है कि उसने समझौते में दी गई शर्तों को तोड़ा है। समझौते की यह शर्त थी कि युद्ध-विराम के बाद पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति नहीं बढ़ायेगा परन्तु उसने आज़ाद क्षेत्र में अपनी सेनाओं की पर्याप्त संख्या रख रखी है। उसने वहां हवाई-

[श्री कृष्ण मेनन]

अड्डे बनाये हैं और अब यह अड्डे पाकिस्तानी सैनिक योजना के अंग बना लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने शांतिपूर्ण वातवारण रखने का भी प्रयत्न नहीं किया है। इस प्रकार जब युद्ध-विराम समझौते को ही भंग किया जा रहा है तब उस आधार पर बातचीत करने के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार स्थिति पैदा करने की आवश्यकता है। जहां तक मैं जानता हूं जो कुछ भी मैं ने कहा है उससे यह पता नहीं लगता कि सरकार ने समझौता करने की ओर से आंखें मूंद रखी हैं। परन्तु यह सभी समझौते हमारे प्रभुत्व को मानते हुए ही किये जा सकते हैं। वह आक्रमण बन्द करके ही किये जा सकते हैं क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सम्भव है जो कुछ एक स्थान पर प्रारम्भ हुआ है वही दूसरे स्थान पर भी प्रारम्भ न हो जाय। यह तभी संभव है कि जब यह समझ लिया जाये कि काश्मीर भारत संघ से अलग नहीं है तथा काश्मीर पर आक्रमण, बम्बई पर आक्रमण के समान ही माना जायेगा क्योंकि वह इस देश का एक अंग है।

कल आचार्य कृपलानी ने कहा कि हमारे यहाँ दो प्रधान मंत्री हैं इसलिये काश्मीर की स्थिति अलग है। मेरे विचार से वह संविधान के उपबन्धों को भूल गये। उस में दिया है कि सभी राज्य एक समझौते के अनुसार संघ से सम्बन्धित है। कुछ राज्यों के प्रारम्भ में संविधान सभायें थीं। उन्हों ने इन को व्यर्थ समझा तथा उन्हों ने संविधान सभा में भाग ले लिया।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : मैं ने यह कहा था कि संभव है कि विदेशियों पर इस का बुरा प्रभाव पड़े तथा वह इस को काश्मीर को दूसरी दृष्टि से देखने लगे।

†**श्री कृष्ण मेनन** : हम यही प्रभाव तो समाप्त करना चाहते हैं। मेरे माननीय मित्र का विचार है कि मैं ने सात घंटों तक श्रोताओं का समय नष्ट किया। परन्तु उन का समय नहीं नष्ट हुआ। भाषण का महत्व समय की दीर्घता के आधार पर नहीं होता है, भाषण का महत्व उस में जो कुछ कहा जाता है उस का होता है। कोई भी व्यक्ति पाँच मिनट की बात पैंतालीस मिनट में नहीं कह सकता है तथा न ही डेढ़ घंटे की बात १५ मिनट में कही जा सकती है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा था, कि इस लम्बे अरसे में दुसरे देश के लोग और हम भी छोटे छोटे मामले की ओर ही ध्यान देते रहे और असली समस्या को हम ने भुला दिया।

संयुक्त राष्ट्र में जनता की राय की जानकारी किसी बात पर मतदान के द्वारा मालूम नहीं होती है। पाकिस्तान ने विदेशी सेनाओं को हमारी भूमि पर लोन की माँग की है परन्तु हम ने साहसिक शब्दों में कह दिया है कि जब तक यह देश स्वतन्त्र है तब तक किसी भी विदेशी व्यक्ति को अपनी भूमि पर पैर नहीं रखने देगा। हम ने ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल को बताया कि यह बड़े ही खेद की बात है कि ब्रिटेन, जिस का इस पर दीर्घकाल तक शासन रहा है वह फिर भारत भूमि में विदेशी सेना को लाने की बात का समर्थन कर रहा है, चाहे वह सेना किसी भी रूप में क्यों न हो। उद्देश्य पत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिस से हमारे प्रदेश में, जिस में पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र भी आ जाता है, विदेशी सेनाओं को लाया जा सके।

मैं ने सावधानी से इस बात का ध्यान रखा है कि काश्मीर के प्रश्न पर जो बहस हो उस में कोई गरमा गरमी न आये क्योंकि प्रधान मंत्री सुरक्षा परिषद् के भूतपूर्व सभापति से बातचीत कर रहे हैं। इस लिए जो कुछ मैं कह चुका हूं इससे अधिक इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं हम संयुक्त राष्ट्र संघ उद्देश्य पत्र के विपरीत कोई काम नहीं करेंगे, हम अपने वायदे पूरी तरह निभायेंगे। परन्तु हम दूसरे व्यक्तियों के प्रभाव में नहीं आने वाले हैं क्योंकि कई व्यक्ति यह कहना प्रारम्भ कर देते हैं

† मूल अंग्रेजी में

कि भारत के प्रधान मंत्री दूसरे देशों के बारे में तो नैतिकता की बातें करते हैं परन्तु अपने मामले में वह अपने क्षेत्र का बचाव करते हैं। इसीलिये हम ने इस का उत्तर इस प्रकार दिया है कि हम यह कहना जानते हैं कि क्या चीज नैतिक है और क्या नहीं, किसी दूसरे देश का हमें मार्ग प्रदर्शन नहीं चाहिये। हम दो प्रकार की बातें नहीं करते हैं। हम ने कहा है कि नौ वर्षों के पश्चात् हम ने इस बात को जरूरी समझा कि हम अपनी बात को स्पष्ट शब्दों तथा सीधी सादी भाषा में लोगों के सामने रखें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कामत का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन लुंगा। प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न प्रस्ताव रखा जाये, अर्थात्—

"कि वर्तमान अन्तरांष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात् यह सभा उक्त नीति से पूर्ण रूप से समहत है और उस का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लेखानुदानों की मांगें*

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। हमें यह चर्चा २८ तारीख को समाप्त करनी है। मूलतः दिये गये समय में से १½ घंटा हम ले चुके हैं। मेरी सभा से अपील है कि यह चर्चा ५ घंट से ३ घंटे में समाप्त कर दी जाये।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मेरा सुझाव है कि सभी मांगों पर एक साथ बोलने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानना चाहता हूं कि कितने सदस्य बोलना चाहते हैं। संभवतया ३ सदस्य बोलना चाहते हैं।

१९५७–५८ के लिए अनुदानों की ये मांगें प्रस्तुत की गयीं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपयों में
१	कृषि मंत्रालय	२४,९२,०००
२	वन	८६,२६,०००
३	कृषि	६,७२,९४,०००
४	असैनिक पशुचिकित्सा सेवायें	६०,१५,०००
५	कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,१९,६३,०००
६	वाणिज्य तथा उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्रालय	१०,८६,०००
७	उपभोग-वस्तु उद्योग	६,३३,५०,०००
८	वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	३४,५०,०००
९	वाणिज्य तथा उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	५५,९७,०००
१०	संचार मंत्रालय	७,४०,०००
११	भारतीय डाक तथा तार विभाग	२४,३३,३३,०००

*मूल अंग्रेजी में

†राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपयों में
१२	अन्तरिक्ष विज्ञान	६३,४५,०००
१३	समुद्र पारि संचार सेवा	४७,८६,०००
१४	उड्डयन	१,४८,३९,०००
१५	संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	७,०६,०००
१६	सामुदायिक विकास मंत्रालय	८,६५,०००
१७	सामुदायिक विकास परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड	५,१२,८६,०००
१८	प्रतिरक्षा मंत्रालय	१४,७८,०००
१९	प्रतिरक्षा सेवायें–क्रियाकारी सेना	७१,८२,६२,०००
२०	प्रतिरक्षा सेवायें–क्रियाकारी नौ-सेना	६,६७,२५,०००
२१	प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी वायु बल	२९,०८,९८,०००
२२	प्रतिरक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय	५,३७,८५,०००
२३	शिक्षा मंत्रालय	२५,६३,०००
२४	पुरातत्व	४०,३९,०००
२५	अन्य वैज्ञानिक विभाग	१,१५,१०,०००
२६	शिक्षा	१०,७७,७५,०००
२७	शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	८०,७१,०००
२८	आदिम जाति क्षेत्र	२,४२,५१,०००
२९	वैदेशिक कार्य	३,४६,०३,०००
३०	पांडिचेरी राज्य	१,३७,६४,०००
३१	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१,५०,०००
३२	वित्त मंत्रालय	६४,५६,०००
३३	सीमा शुल्क	१,६६,९७,०००
३४	संघ उत्पादन शुल्क	३,०९,९४,०००
३५	निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर	१,९५,३३,०००
३६	अफीम	१,८९,८२,०००
३७	स्टाम्प	६९,४७,०००
३८	लेखापरीक्षा	३,८८,३३,०००
३९	चलमुद्रा	१,४९,५७,०००
४०	टकसाल	१,१६,३२,०००
४१	प्रादेशिक तथा राजनितिक पेन्शनें	११,६५,०००
४२	वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन	१,५८,००,०००
४३	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१०,६०,२१,०००
४४	योजना आयोग	६८,५९,०००
४६	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	२,५४,०००
४७	विभाजन-पूर्व के भुगतान	२८,६७,०००
४८	खाद्य मंत्रालय	८,२५,०००
४९	खाद्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,६०,७०,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपयों में
५०	स्वास्थ्य मंत्रालय	५,४७,०००
५१	चिकित्सा सेवायें	१,६१,७४,०००
५२	लोक स्वास्थ्य	३,८२,३५,०००
५३	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	४३,२५,०००
५४	भारी उद्योग मंत्रालय	५,८६,०००
५५	भारी उद्योग	२२,४४,४९,०००
५६	भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३,९०,०००
५७	गृह कार्य मंत्रालय	१,०९,८७,०००
५८	मंत्रिमंडल	१५,२३,०००
५९	क्षेत्रीय परिषदें	१,८८,०००
६०	पुलिस	१,८६,४३,०००
६१	जनगणना	३,५४,०००
६२	देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२,५५,०००
६३	दिल्ली	२,९२,३४,०००
६४	हिमाचल प्रदेश	१,९४,७२,०००
६५	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप	१,१४,२८,०००
६६	मनीपुर	६१,४७,०००
६७	त्रिपुरा	९९,२८,०००
६८	लक्कद्वीप निकाय और अमीन द्वीप	६,१०,०००
६९	गृह कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३,९०,७४,०००
७०	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	५,५०,०००
७१	प्रसारण	१,५८,२९,०००
७२	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१,४४,६०,०००
७३	लोहा और इस्पात मंत्रालय	५,७१,०००
७४	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	७,२४,०००
७५	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें	६६,८०,०००
७६	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	४०,८७,०००
७७	श्रम मंत्रालय	७,०६,०००
७८	मुख्य खान निरीक्षक	९,९३,०००
७९	श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	३,६१,०७,०००
८०	विधि मंत्रालय	७१,८२,०००
८१	न्याय-व्यवस्था	९९,०००
८२	विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२,६०,०००
८३	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	६,०८,०००
८४	भारत का भू-परिमाप	६८,६९,०००
८५	वानस्पतिक सर्वेक्षण	४,४५,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपयों में
८६	प्राणकीय सर्वेक्षण	४,२७,०००
८७	भू-तत्वीय सर्वेक्षण	३९,७३,०००
८८	खानें	२०,२६,०००
८९	वैज्ञानिक गवेषणा	१,४८,४१,०००
९०	तेल और प्राकृतिक गैस की खोज	१,०७,३६,०००
९१	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	७६,०००
९२	उत्पादन मंत्रालय	७,२५,०००
९३	उत्पादन मंत्रालय के नमक तथा अन्य संगटन	३,५१,७२,०००
९४	उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१,०२,६७,०००
९५	पुनर्वास मंत्रालय	१८,२३,०००
९६	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	९,३७,६१,०००
९७	परिवहन-मंत्रालय	२२,४७,०००
९८	पत्तन तथा पोतमार्ग-प्रदर्शन	२६,३२,०००
९९	प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाश पोत	५७,७३,०००
१००	केन्द्रीय मार्ग निधि	१,७८,४१,०००
१०१	यातायात (राष्ट्रीय राज-पथों सहित)	२,३८,६२,०००
१०२	परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१७,०७,०००
१०३	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय	२३,३४,०००
१०४	संभरण	१,०८,८१,०००
१०५	अन्य असैनिक कार्य	८,६१,०५,०००
१०६	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण	२,८७,४०,०००
१०७	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३७,८४,०००
१०८	अणु शक्ति विभाग	३,६३,०००
१०९	अणु शक्ति गवेषणा	१,२९,१७,०००
११०	संसद्-कार्य विभाग	७९,०००
१११	लोक-सभा	४०,२३,०००
११२	लोक-सभा के अन्तर्गत विविध व्यय	३४,०००
११३	राज्य-सभा	१२,२७,०००
११४	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२६,०००
११५	वनों पर पूंजी व्यय	७,६३,०००
११६	कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१३,०८,६७,०००
११७	वाणिज्य तथा उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्रालय का पूंजीगत व्यय	३,७८,५५,०००
११८	भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से पूरा नहीं किया गया)	१०,३२,२७,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपयों में
११९	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	१,१९,८४,०००
१२०	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३,१९,५५,०००
१२१	सामुदायिक विकास मंत्रालय का पूंजी व्यय	६९,७९,०००
१२२	प्रतिरक्षा पूंजी व्यय	१०,४१,६७,०००
१२३	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय	१६,४०,०००
१२४	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१२,५०,०००
१२५	भारत सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी व्यय	३,१७,०००
१२६	मुद्रा और सिक्कों पर पूंजी व्यय	१,११,१७,०००
१२७	टकसालो पर पूंजी व्यय	३०,००,०००
१२८	निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य	१७,७३,०००
१२९	छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	१०,०००
१३०	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजीगत व्यय	३७,४३,९६,०००
१३१	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन	१६,६६,६२,०००
१३२	अनाज की खरीद	६७,०६,३६,०००
१३३	खाद्य मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१,५३,७४,०००
१३४	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	४,२१,२०,०००
१३५	भारी उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,१३,३९,०००
१३६	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	९२,८७,०००
१३७	प्रसारण पर पूंजी व्यय	१,४१,६६,०००
१३८	लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	५,७६,२५,०००
१३९	बहुप्रयोजनीय योजनाओं पर पूंजी व्यय	१,५५,४४,०००
१४०	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३९,५३,०००
१४१	श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय	१४,२६,०००
१४२	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,२०,१९,०००
१४३	उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३,८२,८९,०००
१४४	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	१०,००,००,०००
१४५	पत्तनों पर पूंजी व्यय	२,२२,९२,०००
१४६	मार्गों पर पूंजी व्यय	६,०४,१७,०००
१४७	परिवहन मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय	१,४७,०८,०००
१४८	दिल्ली पूंजी व्यय	३,०५,५०,०००
१४९	भवनों पर पूंजी व्यय	१,९१,१३,०००
१५०	निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	८९,९०,०००
१५१	अणु शक्ति विभाग का पूंजी व्यय	३,७५,,००,०००

मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			रुपये
३	डा० रामाराव	उचित रूप में बनी हुई सहकारी समितियों की प्रगति करने के अपर्याप्त उपाय	१००
६	डा० रामाराव	ऋण तथा सहायता के अतिरिक्त, उद्योगों में विदेशी विनियोजन का बढ़ता हुआ खतरा	१००
६	डा० रामाराव	विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के होते हुए भी विलास की वस्तुओं के आयात को कम करने में असफलता	१००
६	डा० रामाराव	आन्ध्र में सिगरेट के कारखाने का स्थापित न किया जाना	१००
४८	डा० रामाराव	खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता	१००
९०	डा० रामाराव	आसाम तेल समवाय से बातचीत के परिणामस्वरूप आसाम में एक तेल शोधनशाला खोलने में विलम्ब	१००
९२	डा० रामाराव	शिपयार्डों के विकास तथा नये शिपयार्ड बनाने के अपर्याप्त उपाय	१००
९८	डा० रामाराव	काकिनाडा पत्तन के विकास में असफलता	१००
११९	डा० रामाराव	उत्पादक विनियोजन के लिये विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक आवश्यकता होते हुए भी ऊंचे दरों पर नये विमानों (बोइंग) का खरीदा जाना	१००
६	श्री कामत	१९५५–५६ की कपास की ऋतु में कपास के अधिकतम मूल्यों में भूतलक्षी प्रगति से कमी करने के मामले में जांच का न कराया जाना	१००
२९	श्री कामत	दादरा तथा नगरहवेली के स्वतन्त्र किये गये क्षेत्रों के बारे में नीति अनुमोदन	१
३२	श्री कामत	१ अप्रल, १९५७ को चालू होने वाली नई मुद्रा प्रणाली के बारे में जनता को ठीक समझाने में असफलता	१००
५७	श्री कामत	बम्बई राज्य के पुनर्गठन के प्रश्न पर पुन: विचार करने के लिये सरकार से कहना	१००
७०	श्री कामत	आकाशवाणी से राजनैतिक प्रसारणों के बारे में नीति अननुमोदित	१

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			रुपये
१	श्री गाडिलिंगन गौड़	ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति की सफारशों के प्रभावपूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	१००
१	श्री गाडिलिंगन गौड़	कृषि सहकारी फार्म बनाने के लिए सरकार द्वारा किये गये कार्य और सरकार द्वारा ऐसे फार्मों को दी गई सहायता।	१००
२	श्री गाडिलिंगन गौड़	देश में वनारोपण के लिए सरकार द्वारा किये गये कार्य	१००
१	श्री गाडिलिंगन गौड़	व्यय के अनुपात के अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति में केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन की असफलता . .	१००
७	श्री गाडिलिंगन गौड़	देश में दरिद्र हथकरघा बुनकरों को पर्याप्त और सामयिक सहायता देने में असफलता . .	१००
१७	श्री गाडिलिंगन गौड़	जनता के लाभ के लिए बनाए गये कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण रूप से और शीघ्र कार्यान्वित करने में असफलता	१००
२१	श्री गाडिलिंगन गौड़	मध्य पूर्व में भयानक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिरक्षा साधन बढ़ाने में असफलता . .	१००
२६	श्री गाडिलिंगन गौड़	अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियों की मजदूरी न देना .	१००
४८	श्री गाडिलिंगन गौड़	खाद्यान्न के बढ़ते मूल्यों को रोकने में असफलता .	१००
७	श्री गाडिलिंगन गौड़	केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आंध्र राज्य में रेशम कीट पालन उद्योग को विकसित करने में असफलता .	१००
७	श्री गाडिलिंगन गौड़	देश में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को फैलाने में असफलता	१००
१७	श्री गाडिलिंगन गौड़	गांवों को सामुदायिक रेडियो मुफ्त देने में असफलता	१००
३५	श्री गाडिलिंगन गौड़	व्यापारियों द्वारा आय-कर अपवंचन को प्रभावपूर्ण रूप से पकड़ने में असफलता	१००
४८	श्री गाडिलिंगन गौड़	खाद्यान्न के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने और दरिद्र लोगों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न देने के लिए पर्याप्त संख्या में सस्ती दुकानें खोलने में असफलता	१००
५१	श्री गाडिलिंगन गौड़	गांव के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में असफलता . .	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५२	श्री गाडिलिगन गौड़	गाँवों में स्वच्छ जल संभरण और स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं के लिये आन्ध्र राज्य को पर्याप्त निधि देने में असफलता	रुपये १००
५५	श्री गाडिलिगन गौड़	मैसूर राज्य के बल्लारी ज़िले में, जहाँ काफी लोह अमस्क मिलता है, इस्पात का कारखाना स्थापित करने की संभावनाओं की जाँच कराने में असफलता .	१००
६९	श्री गाडिलिगन गौड़	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी जातियों के उद्धार के लिए सब योजनाओं को प्रभावपूर्ण रूप से कार्यान्वित करने में असफलता .	१००
८२	श्री गाडिलिगन गौड़	देश में और विशेषतः आन्ध्र राज्य में स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने में असफलता।	१००
१	श्री गाडिलिगन गौड़	आन्ध्र राज्य में नल कूप खोदने में असफलता।	१००

† **अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक सदस्य को १५ मिनट दिए जायेंगे।

† **डा० रामा राव :** मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। कटौती प्रस्ताव संख्या ३७ के बारे में कई बार कह चुका हूं। कल और आज हमने विदेशी कार्यों पर विवाद सुना जिसमें सदस्यों ने अंग्रेज़ों तथा अमरीका-वासियों पर कई गंभीर आरोप लगाये। परन्तु फिर भी हम चाहते हैं कि वही विदेशी यहाँ आ कर हमारे उद्योगों को हथियालें। मुझे खेद है कि एक भी काँग्रेसी संसद् सदस्य ने बढ़ते हुए आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मैं इन विदेशियों के द्वारा उद्योगों पर क़ब्जा करने का विरोधी हूं। मैं इस समय केवल एक उद्योग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। वह सिगरेट उद्योग है। इसमें भारतीय उद्योग केवल ९ से १० प्रतिशत उत्पाद न करते हैं। भारत सरकार इस समय विदेशियों को बुलाकर देश का सत्यानाश करने को तुली है। दुर्गापुर के कारखाने के लिये हम ६॥ प्रतिशत की दर से सूद दे रहे हैं। मैं इतनी बड़ी सूद की दर को उससे फिर भी अच्छा समझता हूं कि विदेशी पूंजी पर हम इतना निर्भर करें।

मेरा कटौती प्रस्ताव ३८ विलास की वस्तुओं को कम करन के सम्बन्ध में है मेरे विचार से हमें विलास की वस्तुओं का आयात कम करना चाहिये। बोइंग विमानों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तीन विमान ८॥ करोड़ रुपये के खरीदे गये जिन पर ५॥ प्रतिशत सूद दिया गया। जब हमें धन की आवश्यकता है तब यह धन बेकार खर्च किया गया। कतौटी प्रस्ताव संख्या ४२ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कार्य अवश्य कर रही है परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में शीघ्रता से काम करे।

†मूल अंग्रेजी में।

मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्यों में कृषि सहकारी समितियां स्थापित करनी चाहिए तथा इसका ध्यान रखना चाहिये कि वह सफलता पूर्वक कार्य करती हैं अथवा नहीं। सरकार को आन्ध्र आदि में एक सिगरेट का कारखाना भी खोलना चाहिए जिससे विदेशी समवायों का पूरा कब्जा इस उद्योग पर से समाप्त हो जाये। मैं आसाम में तेल शोधनशाला की देर से स्थापना के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। ए० ओ० सी० से बातचीत बीच में रूक गई है क्योंकि सरकार ने विदेशी समवायों से बातचीत प्रारंभ कर दी और उन्होंने शर्त रखी है कि ५० प्रतिशत अंश उनके होंगे। हमारा विचार था कि अधिक अंश हमारे होंगे। परन्तु अब प्रकाशित हो गया है कि सरकार के अंश कम होंगें। हमें ऐसे देशों से बातचीत करनी चाहिए जिनका सूद कम हो। भिलाई परियोजना में रूस ने केवल २½ प्रतिशत सूद लिया था। हमें चाहिये कि हम अपनी योजनाओं का काम इस तरह चलायें जिससे हमारी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा दबाव नहीं पड़े ?

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि खाद्यान्नों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं तथा सरकार द्वारा इन मूल्योंको कम करने के उपाय अपर्याप्त है। खाद्य मंत्रीने बताया कि वह उचित मूल्य की दूकानें आंध्र में खोल रहे हैं परन्तु वे अभी खुली नहीं हैं क्योंकि यह सहकारी समितियों का काम है ऐसा मुख्य मंत्री ने बताया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अच्छा चावल देने का तथा उचित मूल्य की दूकान खोलने का प्रयत्न करें।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैंने कटौती प्रस्ताव संख्या १७, १८, १९, २० तथा २१ प्रस्तुत किए हैं। मैं सभा का ध्यान १९५५–५६ में कपास के मूल्यों में भूतलयी प्रभाव से कमी के बारे में जांच द करानें के बारे में कहना चाहता हूँ। इस बारे में १९ दिसम्बर की भी चर्चा हुई थी परन्तु उस समय बहुत कम समय था। उस दिन वित्त मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था कि यह कमी भूतलयी प्रभाव से क्यों की गई थी। इसीलिए मैं अब चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि यह कमी भूतलयी प्रभाव से क्यों की गई थी। मैं यह भी चाहता हूं कि वह सभा को यह भी बतायें कि कृषकों को इससे किस प्रकार लाभ होता है।

मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या १८ नागर हवेली तथा बाहर के बारे में है। वहां की जनता ने अपने को स्वतंत्र कर लिया तथा तब से दो साल हो गये पुर्तगाली शासन वहां नहीं है। वहां की जनता ने सरकार से सहायता मांगी थी परन्तु सरकार ने उनको सहायता देने से इन्कार कर दिया तथा वहां पर अस्थाई सरकार बनाली गई है। सरकारी बेंचों से यह कहा जाता है कि मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष है। सरकार को इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए था। मेरे विचार से उनको सहायता न देकर सरकार गोआ में स्वातन्त्रता आंदोलन को भी समाप्त कर देना चाहती है। मैं चाहता हूं कि जनता यह समझे कि सरकार जनता को मूर्ख बनाने के लिए गोआ के बारे में यह कहती है कि वह उसे स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न कर रही है अथवा उसको स्वतंत्र कराने के पक्ष में नहीं है।

मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या १९ वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में है तथा मैं चाहता हूं कि सभा यह समझे कि सरकार ने नई मुद्रा प्रणाली के बारे में कम प्रचार किया है। सरकार जानती है कि हमारी ८० प्रतिशत जनता निरक्षर है तथा सरकार ने जो कुछ भी किया वह साक्षर जनता के लिए। निरक्षर जनता के लिए कुछ नहीं किया। इस बारे में सरकार ने कार्ड निकाले जिसमें मुद्रा परिवर्तन के आंकड़े बताये गये है परन्तु यह देहाती जनता के लिए बेकार हैं। मेरा विचार है कि देहाती जनता को लूटा जा सकेगा तथा यह व्यापारी ऐसा करने में कभी भी कोई कसूर नहीं छोड़ेंगे। खेरीह में दोनों प्रकार की खेरीह दी जायेगी तथा आपको हिसाब लगाने में बहुत गड़बड़ी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कामत]

अब मैं कटौती प्रस्ताव ४ के बारे में कुछ कहूंगा। सरकार को बम्बई राज्य के पुनर्गठन पर अवश्य विचार करना चाहिए। इस विषय पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति तथा अन्य दलों को ७६ लाख मत मिले है जब कि कांग्रेस को ७० लाख मत मिले है। इस प्रकार ५ लाख से अधिक मत विरोधी पक्ष अथवा उनको मिलें है जो बम्बई राज्य के दो राज्य बनाना चाहते हैं। यदि सरकार ने चुनावों से इस नतीजे पर ध्यान न दिया तो मुझे सन्देह है वहां की जनता अपनी मांग पूरी कराने के लिये कोई और कार्य न कर बैठे।

मुझे प्रसन्नता है कि बम्बई राज्य की नई विधान सभा में विरोधी दल के काफी सदस्य होंगे। कांग्रेसी टिकट पर चुने गये व्यक्तियों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उनम साधारण स्तर के लोग ही हैं। मेरा विचार है कि यदि इस समस्या पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो इस राज्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है।

इस बारे में मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि प्रत्येक संसद् सदस्य समस्त देश का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा विचार है कि समस्त सभा इसके पक्ष में है। और इसीलिए हम में से कुछ अहमदाबाद गये थे। मैं आशा करता हूं कि सरकार वास्तविकता की ओर पूर्णत: ध्यान देगी।

मेरा अन्तिम कटौती प्रस्ताव आकाशवाणी के बारे में है कि गत सूत्र में मंत्री महोदय ने कहा था कि सभी दलों के साथ आकाशवाणी समान व्यवहार करेगा। परन्तु ऐसा किया नहीं गया। इस पर सरकार ने अपना पूर्ण स्वामित्व बना रखा है। तथा इसीलिए यह शासक दल का प्रचार केन्द्र बन गया है। सरकारी नीति ही आकाशवाणी की नीति इस समय है।

निर्वाचनों के समय अथवा अन्यथा राजनैतिक दलों द्वारा किये गये भाषणों को आकाशवाणी पर प्रसारित नहीं किया जाता? पटना में गोली कांड के विषय में प्रधान मंत्री के अनुत्तरदायी भाषण को तो प्रसारित किया गया था। परन्तु श्री जय प्रकाश नारायण नें उसका जो उत्तर दिया उस का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। महा गुजरात परिषद की ५ लाख लोगों की बैठक का कहीं नाम नहीं दिया गया जब कि प्रधान मंत्री कीं बैठक का समाचार सुनाया गया था। संभवत: उन का भाषण निर्वाचन सम्बन्धी नहीं था? लोग केवल शासक दल के कार्यक्रम नहीं चाहते। वे अन्य दलों के कार्यक्रम भी चाहते हैं। अब जब कि एक राज्य से कांग्रेस को खदेड़ दिया गया है और दूसरे राज्य से वह निकाली जाने वाली है, वह दूसरे दलों की उपेक्षा नहीं कर सकेगी।

विश्व के बहुत से देशों में विशेषत: इंगलैंड और अमरीका में दूसरे दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने की सुविधाएं दी जाती हैं। 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में प्रसारण के बारे में बहुत अच्छा दिया गया है। उस में कहा गया है कि इस से एक ओर तो अभूतपूर्व सामाजिक एकता पैदा होती है और दूसरी ओर इसके द्वारा पक्षपातपूर्ण प्रसारण का प्रयोजन भी पैदा होता है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

उसमें यह भी कहा गया है कि प्रसारण में विवादस्पद विषयों के सम्बन्ध में मौन साधने की अपेक्षा उचित ध्यान रखते हुए और बिना किसी का पक्ष लेते हुए उन का प्रसार आवश्यक है।

जब वास्तविक संसदीय लोकतंत्र निर्माण होगा, अर्थात् केन्द्र में एक दल और राज्यों में अन्य दलों का शासन होगा तो सरकार को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। मंत्री महोदय ने गत सत्र में राजनैतिक दलों को सुविधाएं देने का झूठा आश्वासन दिया था, जिसे विरोधी दलों ने तुरन्त अस्वीकार कर दिया था।

इस विषय पर पुनः विचार करना चाहिए और न केवल निर्वाचन काल में वरन् सब समय अन्य राजनैतिक दलों को अपने विचार प्रसारित करने की सुविधा देनी चाहिये। रेडियो कर दाताओं का है, जन साधारण का है। वह कांग्रेस अथवा सरकार का एकाधिकार नहीं है। अतः मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सिफारिश करता हूं कि उन्हें स्वीकार किया जाये।

† **श्री गाडिलिंगन गौड़** (कुरनूल) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ६ प्रस्तुत नहीं कर रहा क्योंकि माननीय संचार मंत्री ने इस विषय पर विचार करने का आश्वासन दिया है कि कहां डाक तार सम्बन्धी सुविधाएं दी जा सकती हैं। मैं अपने अन्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

मुझे यह निवदन करते हुए खेद होता है कि योजनाएं भली प्रकार और शीघ्र कार्यान्वित नहीं की जातीं अतः व्यर्थ व्यय किया जाता है।

ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों को सहायता देन के हेतु स्वीकार किया था। परन्तु मुझे पता लगा है कि जो बड़ी बड़ी सहकारी समितियां बनाई गई हैं उन के प्रबन्ध पर जितना व्यय होता है, उतनी धन राशि उधार देन के लिए उन के पास नहीं होती। भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार कृषकों को भूमि सुधार के लिए ऋण दिये जाते हैं। मैं ने भी अपनी भूमि के सुधार के लिए ऋण के हेतु आवेदन पत्र दिया था। पहले तो मुझे लिखा गया कि मैं १५००० की बजाय १०,८०० रुपया ले लूं, परन्तु फिर एक पश्चात मुझे ५००० रुपय पेश किये गये। इस प्रकार ४॥ वर्ष म मेरे आवेदन पत्र का कोई निर्णय नहीं किया गया।

मैं ने योजना आयोग को सुझाव दिया था कि सहकारी समितियों के अखिल भारतीय आधार पर नियंत्रण के लिए एक अधिनियम होना चाहिये क्योंकि कतिपय राज्यों में ऐसी संस्थाओं के कार्य में राजनीति रुकावट पैदा करती है। चार वर्ष हुए मैं एक सहकारी समिति का प्रधान था। जब में ने एक मंत्री के विरुद्ध चुनाव लड़ा तो उस समिति को निष्प्रभाव करने का आदेश दे दिया गया यद्यपि लेखा परीक्षण विभाग ने उस की बहुत प्रशंसा की थी।

१९५५ में माननीय उपमंत्री ने स्वयं मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि प्रविधिक समिति आंध्र राज्य में नल-कूप खोदने की संभावनाओं के बारे में जॉच करेगी।

गत वर्ष हथकरघा बुनकरों के हित के लिए १० करोड़ रुपया नियत किया गया परन्तु ७.८ करोड़ रुपये व्यय किये गये जिस में से अधिक वितरण करने वाले कर्मचारियों पर व्यय किया गया। फिर भी पैसों के भुगतान में बहुत देर होती है।

इसी प्रकार सामुदायिक परियोजना प्रशासन में भी बहुत धन व्यय किया जा रहा है। परन्तु मुझे स्मरण है कि वक्रानेस में जलाशय की मरम्मत की आवश्यकता थी। में ने अथक प्रयत्न किये। परन्तु मुझे मंत्रालय से उत्तर मिला है कि वह मामला आंध्र राज्य को भेज दिया गया है। सामुदायिक परियोजना में इस प्रकार की स्थिति है।

निर्वाचनों में मेरे राज्य में कांग्रेस दल ने बहुत भ्रष्टाचार किये हैं। यह नियम है कि मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। परन्तु मेरे विपक्षी कांग्रेसी ने ३० अथवा ४० लारियाँ प्रयोग की थीं। मुख्य मंत्री ने मेरे निर्वाचन-क्षत्र में आकर लोगों के विधान परिषद की जगहें दिलवाने का प्रलोभन दिया। इस प्रकार बहुत सी ग़ैर कानूनी बातें हुई हैं जो सत्तारूढ़ दल के लिये ठीक नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री गाडिलिंगन गौड़]

अनुसूचित जातियों के घर के लिए जगह देने की योजना है। मेरा सुझाव है कि उन के घरों के स्थान सहकारी गृह निर्माण समिति के पास रहन रखे जाएं और उन लोगों को मकान बनान के लिए पैसे दिये जाएं। परन्तु समाहर्ता जगह को रहन नहीं रखने देता और सहकारी समिति इस के बिना उधार नहीं देती। तो फिर वे लोग मकान कैसे बना सकते हैं ?

अनाज के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए सस्ते अनाज की दूकानें खोलनी चाहियें। १९५५ में माननीय मंत्री के निमंत्रण पर हम न उन्हें बताया कि कर अपवंचन अब भी होता है और उसे रोकने के कुछ साथ भी बताएं। परन्तु उन पर क्या कायवाही की गई, ज्ञात नहीं। राज्य सरकार शस्त्र अधिनियम को लागू करती है। पुलिस अधिकारी लोगों को डरा कर कि उनकी अनुज्ञप्ति रद कर दी जाएगी, पैसे बटोरते हैं। एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ और मेरे लिखने पर तीन वर्ष पश्चात उत्तर मिला कि अनुज्ञप्ति रद कर दी गई है और उस का कोई कारण नहीं बताया।

शिक्षा मंत्रालय पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देता है। मुझे पत्र मिले हैं कि वर्ष का अंत हो रहा है और अभी तक छात्रवृत्ति पाने वालों को छात्रवृत्तियां नहीं दी गईं। इस के फल स्वरूप होस्टलों से छात्रों को निकाल दिया गया है।

गांवों में सामुदायिक प्रयोग के लिए १६० रुपये के सस्ते रेडियों सेट दिय जाते हैं। परन्तु इन्हें वितरण करने वाली राज्य सरकारें हैं जो कि ३०० अथवा ३५० रुपये मॉगती हैं। उन्हें हिदायतें मिलनी चाहियें कि व एसा न करें। मंत्री महोदय के परामर्शदात्री समिति में मुझे बताया था कि राज्य सरकारें ५० प्रतिशत अपने पास से दे कर, रेडियो सेट और रियायती मूल्य पर दे सकी हैं। यदि वे एसा करें तो गांव के लोगों को लाभ पहुंच सकता है।

कुटीर उद्योगों के अत्यधिक कार्य के क्षत्रों के विषय में एक योजना से मैं बहुत उत्साहित हुआ और ५००० जन संख्या के अपने गांव इस कार्य को आरम्भ करवाना चाहता था। परन्तु एक वर्ष तक पत्र व्यवहार के पश्चात् मुझे उत्तर मिला कि प्रविधिक कर्मचारियों के अभाव के कारण योजना आरम्भ नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में उत्पादन मंत्री को पुनः विचार करना चाहिय।

† **श्री नम्बियार** (मयूरम) : देश के सभी भागों में खाद्यान्न के भाव बढ़ रहे हैं। अतः मंत्री महोदय को हमारे प्रदेश के अति दरिद्र लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ करना चाहिये।

राज्य सरकारें तो जमींदारों के समर्थन की नीति ही अपनाती हैं। अतः जब तक केन्द्रीय सरकार प्रयत्न न करेगी स्थिति नहीं सुधर सकती।

† **वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : संभवतः मेरे माननीय मित्र किसी विशेष मंत्री से उस के मंत्रालय के सम्बन्ध में उत्तर चाहते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री यहीं हैं, वे अपने मंत्रालय सम्बन्धी बातों का उत्तर दे दें। मैं सामान्य बातों को लूंगा।

† **सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मेरे मंत्रालय के सम्बन्ध में केवल एक प्रश्न उठाया गया था और वह निर्वाचन के समय रेडियो मे राजनैतिक प्रसार के सम्बन्ध में था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खेद है कि मैं श्री कामत की राय और उन के तर्कों से सर्वथा असहमत हूं। मैं ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में सभा के समक्ष एक पूरा वक्तव्य दिया है। उस में मैं ने बताया था कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रथाएं हैं जो कि एक समान नहीं हैं। जब मैं विभिन्न देशों की बात करता हूं तो लोकतन्त्रात्मक देशों की ही बात करता हूं न कि उनकी जिन का शासन अन्य प्रकार का है।

मैं ने बताया था कि इन प्रथाओं में बहुत अधिक विभिन्नता है और वह अन्तर उन देशों की स्थितियों के अनुसार है। श्री कामत ने जो कहा है कि कतिपय लोकतन्त्रात्मक देश राजनैतिक प्रसार की अनुमति देते हैं, यह गलत बात है। उदाहरणतः फ्रांस स्विटजरलैंड के लोकतन्त्रात्मक देश हैं जहाँ राजनैतिक विवादों के प्रसार की अनुमति नहीं दी जाती। जहाँ तक निर्वाचनों का सम्बन्ध है उस बारे में भी प्रत्यक देश में भिन्न भिन्न प्रथा हैं।

मैं ने यह बताया था कि हमारी स्थिति बहुत विचित्र है। हमारी १२ से १४ तक तो भाषाएं हैं और राजनैतिक दलों को एक समान समय देन का सिद्धान्त बनाना संभव नहीं क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत वाद विवाद होगा कि अमुक अमुक दल के साथ अन्याय किया गया है। इस के अतिरिक्त रेडियो का बहुत समय लगेगा विशेषतः प्रादेशिक केन्द्रों और छोटे केन्द्रों पर और भी अधिक समय लगेगा। हम ने सुझाव दिया था कि सीमित पैमान पर राजनैतिक प्रसार आरम्भ करने का एक प्रयोग किया जाए। जब मैं ने वक्तव्य दिया था तो मैं ने स्पष्ट कहा था कि यह एक प्रयोग है और हम इस के प्रभाव को देखेंगे। परन्तु अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। वस्तुतः इस से मेरी यह राय दृढ़ हो गई है कि निर्वाचन के दिनों में रेडियो पर राजनैतिक प्रसार का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि सभी दलों को समान रूप से अनुमति देने का ढंग नहीं निकाला जा सकता। सरकार जो कुछ भी करेगी उस की आलोचना में यह कहा जाएगा कि सरकार शासक दल का पक्ष ले रही है, अथवा किसी विशेष दल की सहायता कर रही है।

मैं यह भी बता दूं कि जहां रेडियो पर सरकार का नियंत्रण है अथवा इंगलैंड की तरह निगम का नियंत्रण है वहाँ की प्रचलित प्रथाओं से पता चलता है कि सरकार को स्पष्टतः लाभ पहुंचता है। उदाहरणतः बी० बी० सी० में सरकार को विपक्ष द्वारा कही हुई बातों का उत्तर देने का अधिकार है। पहले विपक्ष आरम्भ करता है और सरकार उत्तर देती है। फ्रांस जैसे देश में राजनैतिक दलों के जितने उमीदवार होते हैं उन के अनुसार उन्हें समय दिया जाता है। अन्य देशों में प्राप्त किये गये मतों के अनुसार निश्चय किया जाता है और स्विटजरलैंड जैसे देशों में वे समझते हैं कि इससे बहुत वाद विवाद पैदा होते हैं और वे निर्वाचनों के दिनों में राजनैतिक प्रसार की अनुमति नहीं देते। अतः सभी कुछ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होता है।

यद्यपि मैं निजी तौर पर समझता हूं कि राजनैतिक दलों को रेडियो पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सीमित पैमाने पर समय देना अच्छा होगा परन्तु व्यवहारिक समस्याओं को हल करना या तो असंभव है अथवा बहुत कठिन है। इस समय भी यदि सीमित पैमाने पर प्रसार की अनुमति देने के बारे में कोई सुझाव निकाल सकें तो मुझे कोई आपत्ति न होगी। जैसा मैं ने बताया है, अखिल भारतीय आधार पर सभी भाषाओं और सभी दलों के लिए अनुमति देना संभव नहीं। इस समय स्थिति यह है कि राजनैतिक दलों ने सरकार के इस प्रस्ताव को अपर्याप्त—कुछ ने अन्यायपूर्ण और अन्य ने अनुचित आदि कह कर ठुकरा दिया है। आज की परिस्थितियों में तो इस प्रश्न पर विचार करना वांछनीय नहीं है। जब तक विभिन्न राजनैतिक दल इस प्रश्न का कोई सुझाव न निकालें, यह संभव नहीं होगा और मैं समझता हूं कि रेडियो को निर्वाचन सम्बन्धी प्रसारों से मुक्त रखना ही अच्छा है।

[डा० केसकर]

श्री कामत ने स्वभावतः प्रसार सम्बन्धी सामान्य प्रश्न भी उठाया। उस का उत्तर देने में तो बहुत समय लगेगा परन्तु मैं उन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह प्रश्न गत पांच वर्षों के कम से कम चार आय-व्ययक सम्बन्धी वाद-विवादों में उठाया गया था। मैं यह बता चुका हूं कि उचित विचार के पश्चात सरकार यह अनुभव करती है कि प्रसार कार्य को उन के मतानुसार स्वतन्त्र रीति से चलाना संभव नहीं। फिर आय-व्ययक सभा के समक्ष आ रहा है और निश्चय ही मैं फिर उन सब बातों का उल्लेख करूंगा जो पहले कही जा चुकी हैं।

अन्तिम प्रश्न पुरानी शिकायत के सम्बन्ध में था कि सरकार अधिक समय ले लेती है। और व्यवहार्यतः सारा समय सरकारी भाषणों को दे दिया जाता है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस लोकतन्त्र के वे इतने इच्छुक हैं उस में सरकार और संसद शब्दों का एक अर्थ नहीं। यद्यपि सरकार एक दल की बनती है परन्तु जिस प्रकार निर्वाचित सदस्य केवल उसे मत देने वालों का प्रतिनिधि नहीं होता वरन् विरुद्ध मतदाताओं का भी प्रतिनिधि होता है, उसी प्रकार सरकार की नीति सारी सभा की नीति होती है। सभी लोकतन्त्रात्मक देशों में ऐसा ही समझा जाता है।

जहां तक संसद अथवा लोगों के भाषणों के समाचार देने का प्रश्न है आकाशवाणी की परिस्थिति बहुत कठिन है क्योंकि उसे कुछ सीमा तक समाचार पत्र के रूप में और कुछ सीमा तक सरकार के नियंत्रित विभाग के रूप में काम करना पड़ता है। परन्तु, समाचार सेवा यथा-संभव निष्पक्ष आधार पर समाचार एकत्र करने का प्रयत्न करती है। बहुत बार बड़े अस्पष्ट और सामान्य रूप से आरोप लगाए गये हैं और मैं ने दो बार पंद्रह दिन के प्रसारित समाचारों को को ला कर बताया है कि सरकार को कितना समय दिया जाता है और विपक्ष को अथवा गैर सरकारी वक्ताओं को कितना समय दिया जाता है। मेरी राय में समाचार निष्पक्ष होते हैं और इन के प्रसारण का उद्देश्य वास्तविक समाचार देना और विभिन्न प्रकार के समाचारों को समय देना होता है। यह संभव हो सकता है कि आकाशवाणी या समाचार सेवा कतिपय गैर सरकारी वक्ताओं के भाषणों को इतना रोचक न समझे कि उन्हें प्रसारित किया जाए। ऐसे अपवाद भी हैं जिन में समाचार सेवा को कोई विशेष समाचार देने पड़े हों परन्तु वे अपवाद हैं। सामान्यतः मैं सन्तुष्ट हूं कि समाचार सेवा निष्पक्ष है।

सामुदायिक प्रयोग के लिए रेडियो सेटों के विषय में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उन्हें लगाने आदि का कार्य राज्य सरकारें करती हैं। हम केवल उन की सहायता करते हैं। हम सेट का ५० प्रतिशत मूल्य देते हैं। हम ने एक अच्छा विश्वसनीय रेडियो सेट बनवाया है; उस का मूल्य कम है और राज्य सरकारों से हुए करार के अनुसार हम इसे ५० प्रतिशत मूल्य पर उन्हें देते हैं। हम यह भी देखते हैं कि उसका उचित रूप से संधारण हो ताकि उस पर व्यय की गई राशि न्यायसंगत हो। हम इस से अधिक कुछ नहीं करते। हम वस्तुतः चाहते हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो सेटों को अधिकाधिक प्रयोग हो और इस का विस्तार हो। और इसी उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने सामुदायिक प्रयोग के लिए सेटों के वितरण को संगठित किया है।

† कृषि मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख) : श्री गाडिलिंगन गौड़ ने बहुत से कटौती प्रस्तावों की सूचना दी थी परन्तु उन्होंने मेरे सचिवालय के सम्बन्ध में केवल कुछ ही बातें कही हैं। एक बात उन्होंने सहकारी समितियों के कार्य के सम्बन्ध में कही। इस विषय पर उन्होंने अधिकतर बातें जो कहीं वे कुछ अपनी निजी बातें ही थीं। मुझे खेद है कि मैं उन्हें सहायता नहीं दे सकता

†मूल अंग्रेजी में।

उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि सहकारी विभाग राज्य विषय हैं और उनका कार्य राज्य सरकारें करती हैं। किसी विशेष समिति को पैसा दिया गया अथवा नहीं श्री गाड़िलिगन गौड़ को ५०००० के स्थान पर १०००० रुपये दिये गये। ये सब बातें मेरे मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

अखिल भारतीय सहकारी अधिनियम सम्बन्धी उन के सुझाव के बारे में मैं यह बता दूं कि हमारे यहां पहले ही एक उपबंध है और मैं ने वर्तमान अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत किया था कि एक राज्य में पंजीबद्ध समिति दूसरे राज्य में कार्य कर सके। वे अपना अभिप्राय स्पष्ट नहीं कर सके जिस से मैं यह बता सकता कि नये अधिनियम की आवश्यकता है अथवा नहीं।

उन्होंने शिकायत की कि जिस दल को जा कर यह खोज करनी थी कि यहां नल कूप खोदे जाएं वह नहीं गया और इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ नहीं हुआ। इस वर्ष दिसम्बर में २५ व्यक्तियों का एक दल आंध्र में कार्य आरम्भ करेगा और आशा है कि वह आगामी जून में कार्य समाप्त करेगा। अतः मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि ज्यों ही दूसरे राज्यों से मशीनें खाली होंगी उन्हें आंध्र भेजा जाएगा। आजकल राजस्थान, सौराष्ट्र, बम्बई राज्य के पूरना भाग और मद्रास राज्य के वरिदाचलम भाग विभाग काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार का विभाग करता है। खोज की लागत सरकार को देनी पड़ती है और यदि ठीक नलकूप खोदने में सफलता हुई तो २० फुट गहराई से प्रति घंटा २०,००० गेलन पानी निकलता है। इसे सफलता समझा जाता है और फिर लागत को राज्य सरकार को दिया गया ऋण समझा जाता है जिसे १५ वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाता है यह योजना है। हमारे पास जो भूतत्वीय सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन है उस के अनुसार आंध्र प्रदेश में नल कूप की सफलता की कम आशा है। परन्तु यदि हम सफल हुए तो सरकार की इच्छा नल कूपों की बड़ी योजनाएं आरम्भ करने की है।

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं श्री कामत के सामान्य नीति संबन्धी प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं उन्होंने सुझाव दिया है कि जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है वहां के निर्वाचन परिणाम ऐसे हैं कि सरकार को तुरन्तु अपने पुनर्गठन निर्णय को बदल देना चाहिये। पहले तो सारे परिणाम अभी नहीं निकले और दूसरे जों परिणाम निकले हैं उनका निष्कर्ष यह नहीं निकलता जो कि उन के ध्यान में है।

महागुजरात समिति और संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने अपने उमीदवार खड़े नहीं किये, उन्होंने अन्य संस्थाओं अर्थात साम्यवादी दल जन संघ या अनुसूचित जाति संघ के उमीदवारों का समर्थन किया। इन दलों की अपनी विचारधारा है। अतः उन दलों को भी अपनी विचारधारा के आधार पर अपने उमीदवारों की सफलता के लिए श्रेय मिलता है। उनकी सफलता का सारा श्रेय महाराष्ट्र समिति या महा गुजरात समिति को नहीं मिल सकता।

†**डा० रामा राव** : संयुक्त महाराष्ट्र के प्रश्न पर सब इकट्ठे थे। माननीय मंत्री गलत कह रहे हैं।

†**श्री दात्तार** : यदि महा गुजरात पृथक राज्य बनाना हो तो यह मांग न केवल तथाकथित गुजरात के लोगों की होनी चाहिये वरन् सौराष्ट्र और कच्छ की ओर से भी होनी चाहिये। इसी प्रकार यदि संयुक्त महाराष्ट्र को आवश्यकता हो तो यह मांग केवल महाराष्ट्र की ओर से नहीं होनी चाहिये वरन् विदर्भ और मराठवाडा क्षेत्रों की ओर से भी होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

मेरे पास दल सम्बन्धी स्थिति का विलेषण है। उस के अनुसार श्री कामत का कथन मान्य नहीं उदाहरणतः महागुजरात को लीजिये। घोषित परिणामों की १२६ जगहों में से ९४ कांग्रेस को मिली है। कच्छ में हम नें सारी ५ जगहें ले ली हैं। ये तीन क्षेत्र गुजरात का सर्मथन नहीं कर रहे हैं।

संयुक्त माहाराष्ट्र को लीजिये। विदर्भ में घोषित परिणामों की ६२ जगहों में से ५४ कांग्रेस ने जीती है। मराठवाडा की ४२ जगहों में से ३५ कांग्रेस ने जीती हैं। महाराष्ट्र का जहां तक प्रश्न ह, वहां संयुक्त महाराष्ट्र के समर्थकों ने विभिन्न दलों के द्वारा जगहें जीती हैं। संयुक्त महाराष्ट्र में २३६ जगहों में से १२० जगहें कांग्रेस न जीती हैं। इन परिस्थितियों में मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र का विचार कैसे ठीक है कि संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात का समर्थन हुआ है।

कांग्रेस को ७२ लाख मत मिलें हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को १२ लाख मत मिले हैं और अन्य को बहुत कम मत मिले हैं। जहा तक स्वतन्त्र उमीदवारों का सम्बन्ध है वे तो स्वतन्त्र हैं और उन की सफलता पर किसी निष्कर्ष को आधारित करना कठिन है।

भूतपूर्व महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भावुकता को उभारा गया है यह समझना भी आवश्यक है। उस भावुकता को जान बूझ कर उभारा गया था और इस कारण कांग्रेस कुछ जगहें हार गई। इस का यह निष्कर्ष नहीं कि बम्बई के द्विभाषी राज्य के दो राज्य बनने चाहियें।

अन्त में क्या महागुजरात और संयुक्त महाराष्ट्र वाले बम्बई के बारे में सहमत हुए हैं? वे केवल कांग्रेस के विरोध के लिए सहमत हैं। इस से यह पता लगता है कि बम्बई राज्य के कुछ भागों में असंतोष है। यह कोई निश्चय पूर्ण परिणाम नहीं। इस का यह अभिप्राय नहीं कि क्यों कि कुछ ज़िलों में हार हुई है अतः यह आम राय है कि पुनर्गठन का जो निश्चय दो वर्ष के विचार के पश्चात किया गया था उसे बदल दिया जाए।

†**शिक्षा उपमंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली)** : सब से पहले मैं एक छोटी सी बात का उत्तर देना चाहता हूं जो कि परिगणित और बिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को छात्र वृत्तिया देने के सम्बन्ध में है। मेरे मित्र माननीय श्री गाडिलिगेन गौड़ ने छात्र वृत्तियों की अदायगी में देरी होने की बात की है। यदि उन्हें सारी स्थिति का ज्ञान होता कि किस प्रकार मंत्रालय ने इस मामले का प्रबन्ध किया है, तो सदन सचमुच इसकी सराहना करता, और यह आलोचना न की जाती। इस संबंध में आवेदन पत्र थोड़े नहीं है, कुल संख्या ७०,२३९ हैं। इस के लिए १,५०,००,००० रुपये की व्यवस्था १९५६–५७ के बजट में की गयी थी वर्ष के दौरान में यह राशि भी काफी नजर न आई। इसलिए जनवरी के अन्त में हमने वित्त मंत्रालय से प्रार्थना कर ३६.५ लाख रुपये की और व्यवस्था कराई।

यद्यिपि हमें कुछ रकम बाद में भी उपलब्ध हो गई थी, परन्तु फिर भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम ज़ातियों के इस उद्देश्य के लिये चुने हुए २५,०३१ विद्यार्थियों में से अक्टबर १९५६ के अन्त तक केवल १९,००० को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जा सकीं। बाकी ६००० उमीदवारों आवेदनपत्र अपूर्ण होने के कारण चुने न जा सके। कई बार माननीय सदस्य यह नहीं सोचते कि विद्यार्थियों और संबंधित अधिकारियों ने उचित ढंग से आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं किये, जिस कारण देर हुई थी।

यह मैं मानता हूं कि दूसरी परिगणित जातियों के सम्बन्ध में कुछ देरी अवश्य हुई है। इसका कारण अतिरिक्त राशि का स्वीकृत होना था, न कि यंत्रालय की अयोग्यता। आतिरिक्त राशि,

†मूल अंग्रेजी में।

जैसा मैंने कहा जनवरी में स्वीकृत हुई। इस पर भी अब तक सभी निर्वाचित परिगणित जाति के उम्मीदवारों की छात्रवृत्तियां स्वीकृत हो चुकी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ३०,००० अनुसूचित जातियों अथवा आदिम जातियों और अन्य परिगणित जातियों के लोगों की छात्रवृत्तियां उनकी संस्थाओं के प्रमुखों को भेज दी गई हैं ६,००० विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियाँ भी शीघ्र ही दे दी जायेंगी। विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो इसलिए कुछ तदर्थ राशि संस्थाओं को दे दी गयी है। अप्रैल और मई, १९५६ में वर्ष के चार मास में बांटने के लिये १४०० संस्थाओं को २३ लाख रुपया दिया गया था। वर्ष के दौरान में, बाद में इस राशि का समन्वय किया गया था।

वर्त्तमान स्थिति यह है, कि जिन्हें छात्रवृत्ति दी जा सकती थी, उन सब के नये अथवा पुराने आवेदन पत्र स्वीकृत करके उन्हें छात्रवृत्ति दे दी गयी है। परिगणित वर्गों के नये उम्मीदवारों के बारे में स्थिति यह है कि मैट्रिक और इन्टर में ६० प्रतिशत अंक लेने वाले या प्रथम श्रेणी में पास होने वालों तथा बी० ए० परीक्षा में ५० प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को और महिला उमीदवारों में इससे ५ प्रतिशत कम अंक लेने वालों को छात्रवृत्ति दे दी गयी है। यह एक ऐसा रिकार्ड है जिस पर मंत्रालय अभिमान कर सकता है। हमें प्रसन्नता है कि हमने यह काम बहुत अच्छी प्रकार किया है। देरी का कारण मंत्रालय नहीं परन्तु धन की स्वीकृति है। कुछ आवेदन पत्र भी बढ़ गये थे और कुछ उन्हें ठीक ढंक से प्रस्तुत भी नहीं किया गया था। इसलिए आलोचना में कोई तत्व रहता नहीं। यह मैंने कह दिया है कि यदि किसी खास मामले में देरी हुई हो तो उसकी देखभाल करके हम समुचित कार्यवाही कर सकते हैं।

†**सभापति महोदय** : मुझे इस बात का पता है कि एक मामले में संस्था के प्रमुख ने मंत्रालय की ओर से तदर्थ राशि लेने से इन्कार कर दिया था। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय उन पर यह जोर दे कि विद्यार्थियों के भले के लिये कभी कभी वह ऐसा कष्ट कर लिया करें।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं इस की देख भाल करूंगा।

†**श्री नम्बियार** : माननीय मंत्री का कहना है कि ५० प्रतिशत अंक लेने वालों को छात्रवृत्ति दी गयी है। क्या मद्रास को इसमें शामिल किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस मामले में राज्यों में कोई भेद भाव नहीं रखा जाता और यह नियम सारे देश पर एक जैसा लागू है।

†**सभापति महोदय** : छात्रवृतियों बोर्ड को इस पर विचार करना चाहिए।

†**श्री देवगम** (चैबस्सा-रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि मेरे पास छात्रवृति बोर्ड के सचिव का पत्र आया है कि छात्रवृत्तियों की राशि कलकत्ता विश्वविद्यालय को भेज दी गयी है, परन्तु गरीब विद्यार्थि को अभी धन प्राप्त नहीं हुआ है।

डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य ऐसे व्यक्तिगत मामले मुझे बतायें, मैं इस पर देखभाल करने का आश्वासन देता हूँ।

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : मैं श्री कामत के कटौती प्रस्ताव संख्या १८ के उत्तर में कुछ कहना चाहता हूं। वैदेशिक मामलों पर बाद लम्बे वाद-विवाद को हमने आज ही समाप्त किया है, इसलिये मुझे आश्चर्य है कि श्री कामत इस प्रकार का कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अनिल कु० चन्दा]

हैं। प्रधान मंत्री के प्रस्ताव के संशोधन में उन्होंने पुर्तगाल बस्तियों का उल्लेख किया था। बहुत से माननीय सदस्यों ने गोआ के प्रश्न पर बोला भी है और स्वभाविकतः हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस ओर काफी ध्यान दिया है। शायद उस समय श्री कामत अपने भाषण की शब्द रचना को सुन्दर बना रहेहोंगे और उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिये आपकी आज्ञा से मैं उस भाषण का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। "मैं इस बात का उल्लेख नहीं करता कि हमारी समस्या को हल करने का ढंग क्या है, वह तो ठीक ही है और उसे चलने देना चाहिये, परन्तु मेरा विचार है कि गोआ के सम्बन्ध में हमें अपनी नीति के अन्य विभिन्न अंगों पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। वास्तव में हम ऐसा कर ही रहे हैं। ये चुनाव बीच में आ गये, परन्तु मुझे आशा है कि आगामी कुछ सप्ताहों में हम ने केवल अपने कुछ लोगों का ही जिनका कि इससे सम्बन्ध रहा है प्रत्युत कुछ अन्य लोगों का भी इस मामले में परामर्श लेंगे। मैं यह भी आशा करता हूं इस मामले में हम विरोधी दल का भी परामर्श लेंगे, और वर्तमान हालात के अनुसार जो भी अच्छा हल हो सकेगा, उसे करेंगे।"

कटौती प्रस्ताव के विषय के सम्बन्ध में, मेरा कहना है कि पुर्तगाल सरकार ने हैग की अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में एक आवेदन पत्र दिया है। इसका संबंध उनके दादर और नगर हवेली में प्रविष्ट होने के अधिकारों से है। १५ अप्रैल को मामले की सुनवाई है। इस लिए सार्वजिनक हित में इस समय प्रश्नों का उत्तर देना ठीक नहीं होगा।

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : श्रीमान जी, मैं खाद्य स्थिति और खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने के मामले में उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मोटे अनाज के उत्पादन में गत वर्ष से एक वर्ष पूर्व काफी कमी हो गई थी।

इसके अतिरिक्त देश में विकाश सम्बन्धी खर्चा भी बढ़ गया था। गत वर्ष की जुलाई में अनाज की कीमतें बढ़ गयी। कीमतें बढ़ जाने से जहां जरूरत पड़ी सरकार ने कम कीमत में अनाज बेचने वाली दुकानें खोलने का निष्चय किया। गत जुलाई में ऐसा किया गया था, और अभी तक २०,००० दुकानें सारे देश में खोली जा चुकी हैं।

देश की चावल स्थिति के सम्बन्ध में यह है कि इस वर्ष फसल अच्छी हुई है। दिसम्बर से कीमतें कम हो रही हैं। वास्तव में तंजौर डैल्टा और अन्य स्थानों के समाचार थे कि चावल की कीमतें इतनी गिर गयी हैं कि सरकार को कृषकों के बचाव के लिये, कीमतों को गिरने से रोकना होगा। यह केवल चार मास की बात है : सरकार ने यह निश्चय किया कि यदि दर नीचे गिर गये तो निर्धारित दर पर सारा चावल खरीद लिया जायेगा। ज्यों ही जनवरी में हमारे पाकिस्तान के सम्बन्धों के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुआ और कीमतें बढ़ने लगी। अब आज की स्थिति यह है कि कीमतें एक सार हैं।

गेहूं की कीमतें भी गिर रही हैं। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार थे कि नयी फसल आने के कारण गेहूं की कीमतें गिर रही हैं। और आशा है कि फसल आने पर कीमतें स्थायी हो जायेंगी और गेहूं के बारे में चिन्ता की कोई बात नहीं रहेगी। चावलों के लिये जितनी सस्ते अनाज की दुकानों की आवश्यकता होगी सरकार उसे खोलेगी। तमाम बड़े शहरों में हम व्यवस्था कर रहे हैं, और बम्बई इत्यादि नगरों में कीमतों की कोई शिकायत नहीं। वहां ४००० सस्ते अनाज की दुकानें हैं जो कि सारी बम्बई नगरी की जन संख्या का पेट भर रही है। दिल्ली में ६००,००० सस्ते अनाज की दुकानें हैं। यहां भी कीमतों की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि हम

---

† मूल अंग्रेजी में।

दिल्ली की तमाम आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। कलकत्ता की भी यही स्थिति है। वहां सस्ते अनाज की दुकानें खोली गयी परन्तु फसल आ जाने से कीमतें इतनी गिरी कि खुली मंडी में चावल १७, १८ रुपये मन बिकने लगा। बंगलौर और बहुत से अन्य स्थानों पर सरकार द्वारा जनता की सारी मांग पूरी की गयी। हमें लगभग प्रतिदिन तंजौर की रिपोर्ट प्राप्त होती है। श्री नम्बियार के अनुसार मद्रासी हिसाब से १६ से १८ रुपये मन पड़ता है। यह अमीर व्यक्तियों के लिये ऊंची प्रकार का चावल है। परन्तु जो चावल सामान्य आदमी को चाहिये उसकी दर १२ और १३ आने मद्रास तौल पर अर्थात् १८ रुपये मन पड़ता है। यदि आप दक्षिण के 'हिन्दू' और 'एक्सप्रैस' समाचार पत्र देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दक्षिण भारत में चावल लगभग १८ और १९ रुपये मन बिक रहा है। हम पूरी तरह स्थिति को अध्ययन कर रहे हैं, जहां भी आवश्यक होगा सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी जायेंगी।

गेहूं की कीमतें कम होनी आरम्भ हो गयी हैं और आशा है सब ठीक हो जायेगा।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : माननीय मंत्री ने यह सब तो बड़े नगरों के सम्बन्ध में बताया है जहां की जनता समाचार पत्रों में शोर मचा सकती है। परन्तु उन नगरों का क्या हाल है जिनकी जनसंख्या ३०००० के लगभग है। क्या आपने किसी ऐसे स्थान पर सस्ते अनाज की दुकान खोली जहां जनसंख्या २५००० से कम है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : हमने इसलिये यह दुकानें नहीं खोली थीं कि यह लोग शोर कर सकते हैं। इन नगरों में देहातों से ही तो अनाज आदि आता है। यदि आप नगरों का यह भार ग्रामों में न पड़ने दें, तो ग्रामों का अनाज ग्रामों में ही रहेगा, और वहां लोगों को सस्ता भी मिल जायेगा। शहरों से व्यापारी वहां खरीदने जायेंगे ही नहीं।

†**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर दक्षिण) : परन्तु ग्रामों के लोग तो यह समझते हैं कि वहां कीमतें शहरों से अधिक हैं। आपने ग्रामों में कीमतें कम करने के लिये क्या किया है।

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : सारे उत्तर प्रदेश और पंजाब में जहां भी हानि हुई, सस्ते अनाज की दुकानें खोली गयीं। गत वर्ष से पूर्व कृषि की कीमतें में काफी कमी हो गयी थी, और लोगों को बहुत कम कीमत पर चीजें मिलती थी। परन्तु इससे कृषक की हानि होती थी। अब लोग उस समय की कीमतों का आज की कीमतों से मुकाबला करके कहते हैं कि वर्त्तमान कीमतें बहुत ऊंची हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : डा० रामाराव ने विदेशी पूंजी विनियोग के मद का प्रश्न उठाया है। यह तो दृष्टिकोण की बात है। वह समझते हैं कि खतरा है, हमारे विचार में खतरा कोई नहीं, बल्कि पूंजी की कमी है और विदेशी विनिमय की कमी है। साथ ही इस बात की कमी है कि किस प्रकार हम विदेशी विनियोग को देश में प्रोत्साहन दें। यह अपना अपना मत है। हो सकता है कि अपना मत उनके दल का मत हो, परन्तु हमारा मत है कि नियन्त्रित रूप में विदेशी पूंजी के भारत आने से कोई भय नहीं। यह तो दृष्टिकोण का प्रश्न है इसलिये इसके सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहूंगा।

अपने कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में कि विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के बावजूद विलास की वस्तुओं के आयात को कम करने में सरकार असफल रही है, उनका कहना है कि उनकी शिकायत का आधार अप्रैल से सितम्बर तक के छः मास का आयात है। माननीय सदस्य को पता है

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

कि इसके आगे के आधे वर्ष में हमने इसे कम कर दिया है। और साथ ही जिन्हें वह विलासिता का सामान कहते हैं, वह वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछेक चीज का आयात करना ही पड़ता है।

कृत्रिम रेशम को लीजिये। इस व्यापार को करने वाले इस देश में कई हाथ खड्डी से बुनने वाले हैं। उन्हें यह देना ही पड़ता है। यह उद्योग है, और इसे चालू रखने की व्यवस्था करनी ही पड़ती है। अब मोटरकार को आप विलासता कहते हैं, परन्तु हमारा ऐसा विचार नहीं। बहुत अच्छी और क़ीमती गाड़ी पर प्रति गाड़ी ३००० रुपया आयात कर देना पड़ता है। इसी लिये लोगों पर इस प्रकार की गाड़ियां खरीदने के सम्बन्ध में नियन्त्रण ही है। हम अपने माननीय मित्र को इतना ही बताना चाहते हैं कि जितनी कटौती सम्भव थी हमने स्वयं ही कर दी है। उन्हें विश्वास रखना चाहिये कि यदि किसी वस्तु का स्थानीय उत्पादन करके आयात कम हो सकता हो, तो उसका हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र ने फिर आसाम में तेल निकालने का प्रश्न उठाया और इसका सम्बन्ध शोधनशाला से जोड़ दिया। जहां तक शोधनशाला का सम्बन्ध है, सरकार की इच्छा इसे सरकारी क्षेत्र में रखने का है, चाहे यह काम आसाम तेल कम्पनी के साथ मिल कर करना पड़े। इसमें आसाम कम्पनी का प्रमुख भाग होगा; उसके सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है और उसको बदला नहीं जा सकता, जब तक कि सारी योजना को समाप्त न किया जाये। उनका सुझाव है कि हमें बहुत सी शोधनशालाओं की आवश्यकता है, इसलिये इस सम्बन्ध में हमें सोवियत सहायता प्राप्त करनी चाहिये। अर्थात् रूस से मिलने वाला १९५८–५९ की सहायता को इस प्रकार के कुछ कामों के लिये निर्धारित कर दी जाये। हमारी योजना बड़ी मशीनें संयंत्र तथा सामान बनाने की है, हमें उसके लिये उस सहायता की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि किस काम को प्राथमिकता देकर इस राशि को खर्चा जाये जो कि हमें बाहर से प्राप्त नहीं होती। शायद शोधनशालाओं के लिये अतिरिक्त सहायता मांगनी पड़े। योजना के मामले हैं, कुछ एक मामलों को जहां से कुछ लाभ की उपलब्धी हो, प्राथमिकता देनी ही पड़ती है। हम इन लाभों का उपयोग करेंगे नहीं तो इसके लिये विदेशी सहायता लेनी पड़ेगी। फिर प्रश्न दृष्टिकोण का है और यही हमारे और उनके मत का भेद है।

मेरे मित्र ने नावांगणों की कमी का उल्लेख किया है। हमें पता है कि वर्तमान नावागंण हमारी जरूरत के लिये काफी नहीं। यदि दूसरा नावांगण आरम्भ हो सके और योजना के साधन इसकी अनुमति दे सके, तो हम अवश्य इसकी व्यवस्था करेंगे। सभी बात उपलब्ध साधनों पर आश्रित हैं।

मेरे माननीय मित्र का अगला प्रश्न विमान खरीदने के बारे में है। यह अपनी आवश्यकताओं का प्रश्न है। एयर इंडिया इंटरनैशनल का विचार है कि यदि हमें विमान चालकों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के क्षेत्र में प्रगति करनी है, तो हमें ये विमान अवश्य चाहियें। इस बात को स्वीकार कर सरकार ने निर्णय कर दिया। अब आवश्यक विदेशी विनिमय प्राप्त करने का प्रश्न है। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि इस खरीद के लिये हमने आवश्यक विनिमय की व्यवस्था कर ली है। ठीक है, खर्चा अधिक है, परन्तु इससे हमारे हवाई अड्डों का विस्तार होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते दूसरे देशों के विमान जो कि भारत को स्पर्श करके निकल जाते हैं भारत नहीं आ सकते। और इन हालात में आपको यह कीमत देनी ही है ताकि आप सभ्य और तेजी से आगे बढ़ रहे विश्व का अंग बन सकें। जिस आधार पर मेरे मित्र ने विमानों की खरीद की निन्दा की है वह ठीक नहीं है।

यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं को आधुनिकता के साथ नहीं चला सकते तो इनका चलाना असम्भव हो जायेगा। और आप को क्षेत्र से हट जाना होगा। इसके लिये काफी विदेशी मुद्रा विनिमय चाहिये। पर हमारी स्थिति के अनुसार बात कठिन तो अवश्य है, परन्तु हमें तुरन्त प्रयत्न तो करना ही होगा। फिर भी इसमें दृष्टिकोण की ही बात है। जो निर्णय इस सम्बन्ध में हमने किया है वह अनिवार्य ही है।

अब मैं अपने माननीय मित्र श्री कामत की ओर आता हूं। उनमें काल्पनिक समस्याओं को खड़ा करने की शक्ति है जो होती भी असीमित है। आज उन्होंने रूई का प्रश्न खड़ा किया है। रूई व्यापार सार्वजनिक हित की बात है। उस समय यह गम्भीर मामला था क्योंकि मूल्य ऊपर जा रहे थे। रुई की खपत, कपड़े की कीमत इत्यादि पर इसके बुरे प्रभाव पड़ने की बात थी। उस समय कार्यवाही की गयी। माननीय सदस्य ने गत वर्ष यह प्रश्न उठाया था और मैंने अपनी योग्यता के अनुसार उसका उत्तर दिया था। वह कहते हैं कि उत्तर सन्तोषप्रद नहीं है। इसलिये उन्हें चाहिये था कि असन्तोषप्रद उत्तरों के कारण सरकार को बदल देते। परन्तु उन्होंने बार बार उस प्रश्न को लाने का दूसरा ढंग अपनाया। अब वह संतोष जनक उत्तर चाहते हैं। यदि छः मास पूर्व जब कि मेरी स्मृत्ति ताजा थी मैं उनका सन्तोष न करा सका, तो छः मास बाद मैं उनको कैसे सन्तुष्ट कर सकता हूं। वह जांच चाहते हैं। इस में जनहित का उद्देश्य क्या है। यह उन्होंने बताया नहीं, कहते हैं कि समाचार पत्रों ने इस पर टिप्पणीयां लिखी हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। जो कुछ मैंने देखा है वह एक सम्बन्द्ध व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मतलब के लिये विभिन्न पत्रों में एक लेख छपवाया था। मुझे तो यह भी बताया गया कि उसे विज्ञापन मान कर कुछ पत्रों ने उसका मूल्य भी प्राप्त किया। एक समय था जब मैं और श्री कामत दोनों सरकार को परेशान करने के लिये प्रश्न करते थे। जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित होता था हम उसी का आधार लेते थे। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता मद्रास के समाचार कि पत्रों में छपा हो या बम्बई के। जिसने वह लेख लिखा उसे कुछ धन प्राप्त हो गया। मेरे विचार में हमें इस मामले को नहीं छोड़ देना चाहिये। इसमें जन हित की कोई बात नहीं। अब यह सिक्कों का प्रश्न है। मैं श्री कामत से सहमत हूं कि परिवर्तन हर हालत में बुरा होता, है, और उससे परेशानियां होती हैं। वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने कुछ विज्ञापन बांटे, और कुछ आदेश जारी किये। जहां तक सम्भव हो सका इस मामले का प्रचार किया। यदि वह यह कह देते कि प्रचार काफी नहीं और २० लाख छोटे विज्ञापनों के स्थान पर ४० लाख और ७ लाख बड़े इश्तहारों के स्थान पर १४ लाख चाहिये थे तो मैं अपनी गलती मानता और मामला मेरी समझ में आ जाता। हो सकता है कि उनका जनता से सहयोग मुझ से अधिक हो। दुर्भाग्य से हम एक साथ चुनाव लड़ते रहे हैं और कंधे से कंधा मिला कर लोगों के पास जाते रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि मेरी भूल क्या है। यह तो है ही, कि किसी भी परिवर्तन से असविधा तो कुछ होती ही है। अब जहां भी जब नये और पुराने सिक्के होंगे तो थोड़ी गड़बड़ होगी ही। क्या मैं यह कह सकता हूं कि एक विशेष दिन में सारे सिक्के वापिस ले लूंगा, इसलिये, तीन दिन तक लोगों को कोई व्यापार नहीं करना चाहिये? क्या हम ऐसा कह सकते हैं। वास्तव में हम बैंकों को ३०, ३१ (रविवार) और प्रथम अप्रैल की छुट्टी करने को कह रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने कहा कि ३० की वजाये पहली, और दूसरी को छुट्टी की जाये। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? इस का कारण यह था कि बहुत लोग पहली को अपना वतन लेते हैं, हम उन्हें दो दिन तक प्रतीक्षा में नहीं रख सकते। हो सकता है कि उनके पास इन दिनों की व्यवस्था न हो। हमने सभी सुविधाओं को एक सार रखना है। राज्यों का कहना है कि ३१ को हमें हिसाब बन्द करना होता है, इसलिये हमें आपको एक दिन और देना चाहिये। २९ को क्यों न छुट्टी कर ली जाये? हमें कुछ राज्यों के

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

विरुद्ध निर्णय करना पड़ा था। परिवर्तन करना ही पड़ा, और इसके लिये सदन की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी थी।

आज, अखबारों और पत्रिकाओं में यह लिखा जाता है कि सिक्कों की दशमलव प्रणाली अच्छी है अथवा बुरी यह एक आश्चर्य है, एक पहेली है। लोग कह सकते हैं कि दशमलव प्रणाली बुरी है। परन्तु मैं क्या करूं? यदि मेरे माननीय मित्रों ने मुझे कुछ अच्छा तरीका बताया होता तो हम उसे अपना लेते। यदि लोग अशिक्षित हैं, तो हम क्या करें। हमने बुद्धिमान व्यक्तियों को विज्ञापन दिये। साथ ही सामान्य व्यक्ति उतना बेअक़ल नहीं जितना समझा जाता है। चार वर्ष का बच्चा भी जानता है कि सिक्कों का अन्तर क्या है, वह जानता है कि पैसे से रुपया अधिक कीमती होता है। चाहे कोई व्यक्ति किसी कालिज स्कूल में पढ़ा हो अथवा नहीं, परन्तु उसमें संसारिक बातों को समझने की कुछ आन्तरिक बुद्धि होती है। हमें उस पर आश्रित होना ही पड़ता है। धन के मामले में सारे बड़े चतुर होते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे थोड़े ही लोग होंगे जो कि इस मामले में धोखा खा जायेंगे। हो सकता है दुकानदार कई ढंगों से धोखा दे, और कहें कि मेरे पास रेज़गारी नहीं। जब हमें गाड़ी इत्यादि पकड़ने में जल्दी हो, और टांगे वाला अथवा टैक्सीवाला कह दे कि हमारे पास रेजगारी नहीं। इस प्रकार वह जो चाहे ले सकता है। यह हो सकता है। परन्तु इतना मुझे विश्वास है कि देहाती उतना मूर्ख नहीं जितना हम समझने लग गये हैं। यदि देहाती यह निर्णय कर सकते हैं कि इस सभा में श्री कामत को आना चाहिये या मुझे आना चाहिये ..... मैं यह जानता हूं कि श्री कामत पुनः आ जायेंगे क्योंकि उनके बिना सदन का मज़ा ही क्या। खैर, मैं अपने मित्र को यह आश्वासन देता हूं कि सामान्य व्यक्ति को नई पद्धति से कोई हानि नहीं होगी। एक ही सप्ताह में सब ठीक ठाक हो जायेगा इससे मैं, बजट पर किये गये श्री कामत की आपत्तियों की बात समाप्त करता हूं।

अब मैं श्री गाडिलिगन गौड़ की बातों की ओर आता हूं। उन्होंने जो बातें कही हैं उसका उत्तर मेरे माननीय मित्र ने दे दिया है, और कोई ऐसी बात नहीं जिस पर मैं कुछ कह सकूं। उन्होंने लगभग २० कटौती प्रस्ताव दिये और तीन पर वह बोले भी। मेरे माननीय मित्र, गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री ने कुछ उल्लेख किया है। हम सदन से कुछ समय के खर्चे के लिये कुछ धन राशि मांग रहे हैं। इसमें निहित सिद्धान्तों पर तीन चार सप्ताह में चर्चा होगी ही। एक बात हम अवश्य करेंगे कि वर्तमान परिपाटी में कोई गम्भीर परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि परिवर्तन आवश्यक हुआ तो हमें उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिये जब तक नया सदन बजट की चर्चा के लिये नहीं बैठता, मैं इस सभा से अन्तरिम समय में सरकार के खर्च के लिये स्वीकृत देने की प्रार्थना करता हूं?

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये, तथा अस्वीकृत हुये।

†**सभापति महोदय**: मैं सभी मांगें मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा:

"कि कार्य-सूची के तीसरे स्तम्भ में दी गई राशियों से अनधिक राशियां राष्ट्रपति को निम्नलिखित मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तंभ में दिखाई गई हैं, उन भारों के लिये लेखे पर दी जायें जिन का भुगतान ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायेगा:—

मांग सख्या १ से १५१"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

† मूल अंग्रेजी में।

*विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं ‡प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष, १९५७–५८ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

‡वित्त विधेयक, १९५७

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये आय-कर और अधिकर की, समवायों पर लगाये गये उस अधिकर को छोड़कर जिसके लिये वित्त (संख्या ३) अधिनियम, १९५६ की धारा ८ में उपबन्ध किया गया है, वर्तमान दरों और वर्तमान अतिरिक्त सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क को जारी रखने और प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते[1] के अधीन दिये गये कुछ बचन-दानों को जारी रखने तथा उपरोक्त वर्ष के लिये नमक पर लगाये गये शुल्क को हटाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक के सम्बन्ध में मैंने बजट प्रस्तुत करते समय कुछ कहा था, और अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि इससे वर्तमान करों में अगामी वित्तीय वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। इसका लक्ष्य आयकर, अधिकर, अतिरिक्त सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के उन्हीं दरों को कायम रखना है जो कि १९५६ के वित्त अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये थे। समवायों के अधिकर में परिवर्तन वित्त (संख्या ३) अधिनियम १९५६ के अनुसार होंगे।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

† **डा० रामा राव (काकिनाडा)** : श्रीमान्, मैं यह नहीं चाहता कि वित्तविधेयक इतनी जल्दी पारित कर दिया जाये और उस पर केवल पांच मिनट तक का भाषण भी न हो। मैं कुछ मंत्रालयों की गैर जिम्मेदारी की बातें बताना चाहता हूं। मैं वही उदाहरण दूंगा जो कि वित्त मंत्री ने स्वयं दिया था। यह बड़े संतोष की बात है कि वित्त मंत्रालय की सतर्कता से १४, १६ लाख रुपये की एक संस्था सरकार से २० लाख रुपये का कर्जा पाने से रह गई। इस संस्था ने पहले ही ४४ लाख रुपये का कर्जा लिया है और ३० लाख रुपये नष्ट भी कर चुकी है। परन्तु इस पर भी एक मंत्रालय ने उसको ऋण देने की सिफारिश की थी। मैं पूछता हूं कि इस मंत्रालय और सम्बद्ध मंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

*भारत के गजट असाधारण, भाग २, अनुभाग २ में २६–३–५७ को प्रकाशित।

†राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ।

[1] General Agreement on Tariffs and Trade

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं अपने मित्र का आभारी हूं कि उन्होंने पूरी सतर्कता रखी । इसमें मंत्री, अथवा मंत्रालय की गलती नहीं, बल्कि ढंग की गलती है । मैं मंत्रालयों को इस सम्बन्ध में उन सभी निकायों की देखभाल करने में परस्पर सहयोग देने के लिए कह रहा हूं, जिनको कि कर्जा इत्यादि दिया गया है । मेरा इरादा एक अधिकारी नियुक्त करने का है जो सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में वास्तविक स्थिति की जांच करेगा । ऐसा करने के बाद ही सारी स्थिति संसद् के समक्ष रखनी ठीक होगी । हो सकता है कि बहुत से ऋण ऐसे हों जिनकी वसूली की कोई आशा न हो ।

जैसा कि मैं ने उस दिन कहा था कि अनुदान के इन्कार करने पर ही कर्जे के लिये मांग की जाती है । सरकार अनुदान दे सकती है । परन्तु यदि धन उपलब्ध न हो तो वित्त मंत्रालय को व्यवस्था करनी होती है । एक बार यदि कर्जा दे दिया जाय तो वित्त मंत्रालय तथा सम्बद्ध मंत्रालय यह पता करता है और उसे करना चाहिए कि कर्जा वापिस होने की भी सम्भावना है कि नहीं । यदि वापिस होने की कोई सम्भावना न हो तो उसे अनुदान समझ लिया जाता है । यह प्रथा गत १५ वर्ष से चल रही है, आज और कल की बात नहीं ।

अब मैं इसे परिवर्तन करने की सोच रहा हूं । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने भी इसी बात पर जोर दिया है । मैं चाहता हूं कि सदस्य इस बात पर जोर दें और इस प्रकार के मामलों को समय समय पर संसद् के समक्ष लायें । आप जानते हैं कि वित्त मंत्रालय का कोई मित्र नहीं । वित्त मंत्री संसद् के सामने ही अपनी स्थिति रख सकता है क्योंकि आखिर संसद् को ही तो खर्चे की अन्तिम स्वीकृति देनी है । मुझे विश्वास है कि इस नयी चेतना से कर्जों के मामलों में काफी नियन्त्रण हो जायेगा । यदि सरकार कर्जा देना चाहती है और उसे संसद् के समक्ष रखने को तैयार है, तो ऐसा किया जा सकता है । इसमें किसी मंत्री अथवा मंत्रालय का दोष नहीं । हमारा ढंग गलत है और उसे हम बदल रहे हैं । छः मास बाद मैं संसद् को इसका कुछ हिसाब दे सकूंगा । तब तक कई चीजों की देखभाल हो जायेगी । मुझे विश्वास है कि कोई मंत्री अथवा सचिव इस प्रकार का कर्जा देना स्वीकार नहीं कर सकता जिसके वापिस आने की सम्भावना न हो । हमें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि कर्जा, कर्जा है इसे अनुदान नहीं समझा जा सकता ।

एक बार फिर मैं माननीय सदस्य को इस बात पर जोर देने के लिये धन्यवाद देता हूं ।

† **सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए आय-कर और अधिकर की, समवायों पर लगाये गये उस अधिकर को छोड़कर जिसके लिए वित्त (संख्या ३) अधिनियम, १९५६ की धारा ८ में उपबन्ध किया गया है, वर्तमान दरों और वर्तमान अतिरिक्त सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क को जारी रखने और प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते के अधीन दिये गये कुछ वचन-दानों को जारी रखने तथा उपरोक्त वर्ष के लिए नमक पर लगाये गये शुल्क को हटाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ६, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

† **श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

---

† मूल अंग्रेजी में ।

† **सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(रेलवे आय-व्ययक––सामान्य चर्चा)

† **सभापति महोदय** : सभा अब रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा करेगी ।

† **श्री नम्बियार**(मयूरम्) : रेलवे के पूरे कार्य का मूल्यांकन तो नयी सभा ही करेगी, इस सम्बन्ध में, इन अविलम्ब और स्पष्ट चीजों की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करता हूं : (१) रेलवेज के विस्तार में पड़ने वाली गम्भीर बाधायें, (२) श्रमिकों के बारे में नकारात्मक नीति, जिसका पुनरीक्षण होना चाहिये और (३) अधिक मूल्यों के कारण रेलवे कर्मचारियों को होने वाली हानि की क्षति-पूर्ति के लिये तनखा में वृद्धि ।

श्वेत पत्र में स्वीकार किया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाने पर भी इंजन-डिब्बों सम्बन्धी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका है, बल्कि बड़ी लाइनों के इंजिनों और यात्री डिब्बों की स्थिति तो और भी बिगड़ गई है । फिर भी, श्वेत-पत्र में कहा गया है कि योजना काल में संचालन सम्बन्धी कार्य-कुशलता में सामान्यतया सुधार हुआ है । हां, यह कहा जा सकता है कि यात्री-डिब्बों के प्रति दिन के टन-मीलों में थोड़ा सुधार हो गया है ।

यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम ने बहुत अधिक लागत देकर, योजना से पूर्व की संख्या से १८ प्रतिशत अधिक इंजिन खरीदे हैं । प्रथम योजना का उद्देश्य बताया गया था कि स्टोर की अत्यावश्यक सामग्री, इंजिन-डिब्बों, आदि में आत्म-निर्भरता प्राप्त को जाये, लेकिन इसके लिये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और पैराम्बुर की इन्टैग्रल कोच फैक्टरी की स्थापना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया गया है । इन से हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकेगी । विदेशी व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले देशीय उत्पादन से भी हमें आत्म-निर्भर बनने में सहायता नहीं मिलेगी । रेलवेज को अपने कारखाने ही खड़े करने चाहियें । हमारी मुख्य समस्या तो अत्यावश्यक सामग्री और विदेशी मुद्रा की कमी की है । योजना में रेलवेज के लिये अधिक राशि आवंटित करने और विदेशों से अधिक उपकरण खरीदने से और भी कठिनाइयां बढ़ जायेंगी ।

हम अधिक विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर सकते । योजना के अनुसार, हमें देश म भारी उद्योग भी तो विकसित करना है । हम हमेशा ही तो विश्व बैंक का मुंह ताकते नहीं रह सकते। हमें विदेशी ऋणों के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग निकालना चाहिये । श्वेत-पत्र में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है ।

इस सम्बन्ध में, अब हमारे लिये सही मार्ग यही है कि हम विदेशी सहायता की ओर न देख कर, अपने देश के संसाधनों को ही देखें । अत्यावश्यक सामग्री खरीदने के साथ ही साथ, हमें अपने पुराने स्टाक का उपयोग करना चाहिये । केवल बहुत ही अत्यावश्यक सामग्री का ही आयात करना चाहिये । इस से हम विदेशी मुद्रा की बचत कर सकेंगे ।

भारी उद्योगों को प्राथमिकता देने के बाद, हमें पुराने इंजिनों और यात्री डिब्बों की मरम्मत करनी चाहिये । श्वेत-पत्र में कहा गया है कि हमारे ३२·५ प्रतिशत इंजन अवधि से अधिक चल चुके हैं । लेकिन हमें उन की मरम्मत पर ही जोर देना चाहिये और शीतोष्ण-नियंत्रित डिब्बों की सुखद

---

† मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नम्बियार]

यात्रा जैसे परीक्षण को कुछ दिनों के लिये स्थगित कर देना चाहिये। हम ११ लाख रेलवे कर्मचारियों में उत्साह और प्रेरणा पैदा कर के अपनी इन्हीं रेलवेज को अभी कई वर्षों तक और चला सकते हैं।

रेलवे बोर्ड ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के सम्बन्ध में एक पुस्तिका जारी की है, लेकिन इतने ही से काम नहीं चलेगा। अधिकारीगण यही कहेंगे कि उन्हों ने भरसक प्रयत्न कर लिया है। लेकिन वास्तव में मरम्मत की किस्म और उस की मात्रा का मानदण्ड गिरा ही है। श्रमिकों के साथ रेलवे बोर्ड के सम्बन्ध भी बिगड़े ही हैं। उन में कोई भी उत्साह नहीं है।

माननीय रेलवे उपमंत्री कहते हैं कि मेरे दल के असर में रहने वाले श्रमिकों में उत्साह नहीं होगा। मेरा दल एक उत्तरदायित्वपूर्ण दल है और अब एक राज्य में मंत्रालय बनाने जा रहा है। सरकार को मेरा सुझाव मान लेना चाहिये।

मैं सिद्ध कर सकता हूं कि दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने का कारण यही है कि निर्माण-कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और इंजिन-डिब्बों तथा पुलों को बनाये रखने का कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जाता। माननीय उपमंत्री दुर्घटना जांच समिति के सभापति थे, पर अभी तक उस का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : वह प्रतिवेदन पिछले सत्र में सभा-पटल पर रख दिया गया था।

†**श्री नम्बियार** : यदि रखा भी गया था, तो वह भी काफी मांग उठाई जाने के बाद ही।

हमारी कठिनाई यह नहीं है कि देश में आधुनिक ढंग के कारखाने नहीं हैं, या प्रतिभा-सम्पन्न लोग नहीं हैं। लेकिन हमारी प्रणाली गलत है। अधिक महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम श्रमिकों के साथ क्या सम्बन्ध रखते हैं।

भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने रेलवे कर्मचारियों में आपस में फूट डालने की कोशिश की थी। कम्युनिस्ट दल का हौवा बना कर, रेलवे कर्मचारियों को शिकार बनाया जा रहा है। जब मद्रास के उच्च न्यायालय ने निर्णय भी कर दिया था कि रेलवे कर्मचारियों को उन की राजनीतिक राय के कारण शिकार नहीं बनाना चाहिये, तब भी, दूसरी तरह से, राष्ट्रपति का आदेश लेकर संविधान के अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत लगभग ५००–६०० कर्मचारियों को काम से निकाला गया है। राज्य की सुरक्षा की आड़ में रेलवे कर्मचारियों पर अत्याचार किये गये हैं। इसलिये, मंत्रालय और कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये हैं। यह एक नीति का प्रश्न है। यदि आप कम्युनिस्टों को रेलवेज से निकालना चाहते हैं, तो निकाल दीजिये, लेकिन फिर कम्युनिस्ट दल को एक राज्य में सत्तारूढ़ भी न होने दीजिये। इस अहंगत नीति में परिवर्तन करना चाहिये।

निकाले हुए कर्मचारियों के मामलों पर फिर से विचार करना चाहिये, उन्हें फिर से काम पर वापस लेना चाहिये, चाहे उन की सेवा लगातार जारी न मानी जाये।

भतपूर्व रेलवे मंत्री इन्टक कार्मिक संघ की सहायता करते थे, और इन्टक (भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ) के बाहर रहने वाले कर्मचारियों को कम्युनिज्म के बहाने से दण्डित किया जाता था। मैं रेलवे मंत्रालय पर यह दोषारोपण करता हूं, और मांग करता हूं कि इन कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रेलवेमैन के राष्ट्रीय फैडरेशन में अभी भी आपस में फूट पड़ी हुई है। इस का दायित्व रेलवे मंत्रालय पर ही है, क्योंकि उस ने पक्षपात कर के इसमें सहायता की है। रेलवे कर्मचारियों को अपने नेता चुनने देना चाहिये। यही लोकतांत्रिकता है। केन्द्रीय सराकार को एक जोन विशेष में एक संघ विशेष को मान्यता देकर, पक्षपात नहीं करना चाहिये। रेलवे कर्मचारियों को मतदान पेटियों का प्रयोग करने देना चाहिये। सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिये तभी हमारी समस्या का हल हो सकेगी। तभी उन में उत्साह पैदा हो सकेगा। यही एक मार्ग है।

रेलवे कर्मचारी काफी अर्से से अधिक तनखा की मांग उठाते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रेलवे मंत्री ने तीसरी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के कुछ पदों की तनखा में वृद्धि की घोषणा की थी। इस से उन में और भी कटुता बढ़ गई है, क्योंकि चौथी श्रेणी के ५६ प्रतिशत कर्मचारियों की तनखा में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने मैसूर में उन को भी वचन दिया था, लेकिन नये माननीय मंत्री ने उन को बिल्कुल ही छोड़ दिया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसलिये, भूतपूर्व माननीय मंत्री के वचन के अनुसार, चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिये। वर्तमान वृद्धि में, केवल तीसरी श्रेणी के ही कर्मचारियों की तनखा में २ से १० रुपयों तक की वृद्धि की गई है। यदि इस का विश्लेषण किया जाये, तो यह कोई ठोस वृद्धि नहीं है। माननीय रेलवे मंत्री ने परामर्श के लिये जिन संघों को आमंत्रित किया था, उन की राय भी नहीं सुनी गई थी, उन्हें केवल निर्णय सुना दिया गया था। वे इस पर चर्चा नहीं कर सके थे। इस पर सभी रेलवे कर्मचारियों ने खेद प्रगट किया है।

माननीय रेलवे मंत्री स्वयं सभा को बतायेंगे कि किस प्रकार सारे देश के कर्मचारियों ने जनवरी, १९५७ की उन की घोषणा पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा भी है कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, लेकिन विचार तो इस पर वर्षों से किया जा रहा है। अब उन्हें निर्णय करना चाहिये। स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब कि तनखाहों में २५ प्रतिशत, या इतनी ही कुछ, वृद्धि की जाये।

और श्वेत पत्र को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि रेलवेज के पास इस के लिये पर्याप्त वित्त है। आगामी वर्ष के लिये रेलवे का प्राक्कलित राजस्व ३६८·५ करोड़ रुपये है, जो १२१·५ करोड़ रुपये अधिक है। इस में से रेलवे कर्मचारियों की उचित मांगें मानी जा सकती हैं। तनखाहों में २५ प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। जब हम अवक्षयण रक्षित निधि में १५ करोड़ रुपये की राशि अधिक दे सकते हैं, तो तनखाहों में भी २५ प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं।

सरकार को श्रमिकों को विभाजित करने की अपनी नीति त्याग देनी चाहिये। वर्तमान रेलवे मंत्री ने डाक तार विभाग के कर्मचारियों में कर्मचारियों को लोकतांत्रिक ढंग से अपने नेता चुनने की स्वतन्त्रता देकर ही एकता स्थापित की थी, उन को विभाजित कर के नहीं। रेलवेज में भी यही नीति अपनानी चाहिये। इस प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिये।

डिवीजन बनाने की प्रणाली को उन जोनों में चालू किया गया है जहां कि पहले से डिवीजन नहीं थे, जैसे कि दक्षिण रेलवे में। इस प्रणाली से कोई अधिक सुधार नहीं हो सका है। आज तो प्रत्येक डिवीजन अलग से एक रेलवे बन जाता है। डिवीजनल अधीक्षक उस का प्रशासन नहीं कर पाता। दक्षिण रेलवे में, इस प्रणाली से अव्यवस्था ही बढ़ी है।

इसी प्रकार, पुनः समूहीकरण से भी कुछ लाभ नहीं हुआ है। इस की बहुत आलोचना भी हुई थी और भतपूर्व रेलवे मंत्री ने इसे स्वीकार भी किया था और कहा था कि वे इस में परिवर्तन करने का

[श्री नम्बियार]

उपयुक्त अवसर ढूंढ रहे हैं। वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद इसे बदलने की सोच रहे थे। लेकिन हम इस में शीघ्रता करनी चाहिये। प्राक्कलन समिति ने भी कहा है कि जोन और छोटे-छोटे होने चाहियें। भ्रष्टाचार जांच समिति ने भी यही सिफारिश की है। प्रशासकीय अनुभव भी यही बताता है। इसलिये इस का पुनरीक्षण करना चाहिये।

भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने वचन दिया था कि अड़ियालूर दुर्घटना के शिकार बनने वाले व्यक्तियों और उन के सम्बन्धियों को उचित प्रतिकर दिया जायेगा। प्रशासन और श्रमिकों के संबन्धों पर ही रेलवेज की सफलता निर्भर है। इसलिये, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें राजनीतिक पूर्व धारणाओं को त्याग देना चाहिये।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : मैं केवल ट्रेनों के समय के बारे में कहना चाहता हूं।

गन्टक्कल में ट्रेनें समय पर कभी भी नहीं पहुचतीं, ३०० दिनों में से २६० दिनों वे देर से पहुंचती हैं। इस के कारण, यात्रियों को अन्य संबंधित ट्रेनें भी नहीं मिल पातीं। बंगलौर और गन्टक्कल के बीच वर्षों से यह नित्य-प्रति की बात बन गई है। लोगों को संबंधित ट्रेनें पकड़ने के लिये मोटर आदि के द्वारा अन्य स्टेशनों तक जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाये।

नियम समिति

नवां प्रतिवेदन

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : मैं प्रक्रिया नियमों के नियम ३०६(२) के अन्तर्गत, नियम समिति का नवां प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : रेलवे के आयव्ययक पर विवाद आरम्भ करने से पूर्व मैं सभा को कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय के बंटवारे में किये गये रूपभेदों की सूचना देना चाहता हूं। समिति द्वारा इस पुनरीक्षित बंटवारे की सिफारिश की गई है :

१. सामान्य चर्चा (रेलवे आय-व्ययक)	३ घण्टे
२. लेखानुदान की मांगें (रेलवे)	२ घण्टे
३. सामान्य चर्चा (केरल का आयव्ययक)	३ घण्टे
४. लेखानुदान की मांगें (केरल)	
५. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	१ घण्टा

रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा—(जारी)

श्री उ० मू० त्रिवेदी (चित्तौड़) : श्री नम्बियार ने कहा है कि कम्युनिस्टों के साथ संबंध रखने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, इसी प्रकार लगभग १,८०० रेलवे कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंध रखने के नाम पर अलग कर दिया गया था। मैंने तमाम लिखा पढ़ी की है, लेकिन गृह कार्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी उनको पुनः काम पर नहीं रखा गया है। इसलिये, इस संबंध में एक नियम बनाया जाना चाहिये और रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी जानी चाहिये कि वह नागरिकों में इस प्रकार विभेद न करे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

ट्रेनों के ठीक समय पर न पहुंचने की शिकायत भी सही है। छोटी लाइनों की ट्रेनों की अपेक्षा, सदा ही बड़ी लाइनों की ट्रेनों को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। बड़ी लाइनों की ट्रेनों के लिये, छोटी लाइनों की ट्रेनों को बीच म ही रोक दिया जाता है। इसके फलस्वरूप, छोटी लाइनों की ट्रेनें संबन्धित ट्रेनों के ठीक समय पर नहीं पहुंच पाती। रतलाम में यह बहुधा होता है।

मैं रेलवे प्रशासन को श्वेतपत्र प्रकाशित करने के लिये धन्यवाद देता हूं। लेकिन, उसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने कोई भारी प्रगति नहीं की है। हमारे पास पटरियों के लिये पर्याप्त इस्पात नहीं है। हमारी इस्पात की आवश्यकता १०·६ लाख टन की है, जबकि हमें ५·५५ लाख टन से अधिक इस्पात नहीं मिल सकेगा। हमें इसके नये तरीके निकालने चाहियें।

हम खुली भट्ठियों की प्रक्रिया से इस्पात का निर्माण करने की बड़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन अभी तक भी अजमेर तक में वह सप्ताह में केवल एक बार काम करती है। उसके लिये जो इंजीनियरिंग रसायनविद्, धातुकार्मिक रसायनविद् के रूप में, नियुक्त किया गया था, उसे दूसरा काम दे दिया गया है। इसमें सुधार करना चाहिये।

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की वेतन-श्रेणी में वृद्धि करने के लिये मांग उठाई जा चुकी है। अभी उनके संबंध में जो घोषणा की थी, वह संतोषप्रद नहीं है। उससे उनकी संतुष्टि नहीं होगी। उनकी ड्यूटी बड़ी सख्त होती है और रेलवेज का सारा प्रशासन भी उनके द्वारा ही चलता है। रेलवे प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिये।

अब लूप लाइनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन साथ ही रेलवे स्टेशनों और सिगनलों के बीच की दूरी भी बढ़ाई जा रही है। अक्सर सिगनल देने का लीवर एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं खींचा जा सकता। इसका प्रबन्ध भी किया जाना चाहिये कि इतनी दूर होने पर भी इन सिगनलों को एक ही व्यक्ति संचालित कर सके।

जनता एक्सप्रेस और बहुत ही बढ़िया किस्म की अन्य ट्रेनों को चलाकर रेलवे मंत्रालय ने बहुत अच्छा किया है। बढ़िया किस्म की ट्रेनों में यात्री इस लिये कम रहते हैं कि उनमें केवल बैठने भर का स्थान रखा जाता है। लोगों को कई रात की यात्रा करनी पड़ती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसीलिये, मैं कहता हूं कि यदि इनमें सोने के स्थान की व्यवस्था नहीं होती, तो इन पर पैसा बहाना व्यर्थ है।

साथ ही, इनको प्रत्येक स्टेशन पर रुकना चाहिये। प्रत्येक स्टेशन पर न रुकने के कारण, अधिकांश यात्री इनसे लाभ नहीं उठा पाते। ये गाड़ियां तो जंकशन स्टेशनों पर भी नहीं रुकतीं। इस स्टेशनों की सूची का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये।

डिवीजन बनाने की प्रणाली के संबंध में, श्री नम्बियार ने ठीक ही कहा है। पश्चिम रेलवे में भी अब यही प्रणाली चालू कर दी गई है। लेकिन, अब रतलाम में स्थानांतरित किये जाने वाले क्लर्कों को अब वहां रहने का स्थान भी नहीं मिलता। मैंने पहले ही कहा था कि डिवीजन बनाने की प्रणाली के पीछे राजनीतिक विचार काम कर रहा है और उसी के अनुसार रतलाम में प्रधान कार्यालय रखा जा रहा है। जो भी हो, इससे आर्थिक अपव्यय ही हो रहा है। प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी, यह वांछनीय नहीं है।

[श्री ड० मू० त्रिवेदी]

रेलवे अधिकारी भी इस परिवर्तन से संतुष्ट नहीं हैं। पहले तो जिला स्तर पर, उन्हें फाइलें आदि ढूंढने में कठिनाई नहीं पड़ती थी, लेकिन अब इस संबंध से उनकी कठिनाइयां बढ़ गई हैं। इससे रेलवे प्रशासन की कार्य कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अब, रेलवेज के कार्यक्रम को लीजिये। उसमें कहा गया है कि अजमेर के कारखाने की क्षमता बढ़ाई जायेगी। हमने अजमेर कारखाने की मशीनें चितरंजन में भेजकर बड़ी गलती की है। अजमेर में १९१८ में 'पी' श्रणी के ४५ इंजिन प्रतिदिन तैयार किये जाते थे। अब पता नहीं अजमेर में लोको खाते की क्षमता बढ़ाई जायेगी या नहीं। रेलवेज को अजमेर में शीघ्र ही 'पी' श्रेणी के इंजिन निर्मित करना आरम्भ कर देना चाहिये। ये इंजिन पहले भी बड़े उपयोगी सिद्ध हुए थे। नये 'वाई पी' श्रेणी के इंजिन इतने अच्छे नहीं हैं। पुराने इंजिनों में इतनी लागत भी नहीं लगती थी।

कार्यक्रम में कहा गया है कि गोधारा स्टेशन की इमारत को नये नमूने पर बनाया जायेगा। यह तो अच्छी बात है, पर हमें ऐसे अन्य स्टेशनों की इमारतों को भी नये नमूने पर बनाने का विचार करना चाहिये जिन तक पहुंचने के लिय रेलवे चौकियां पार करनी पड़ती हैं, जैसे कि शामगढ़ और गरोठ आदि स्टेशन हैं। गरोठ में ट्रेनें केवल दो मिनट रुकती हैं, इसलिये रेलवे चौकी पार करके एक मील और आगे स्टेशन तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। शामगढ़ स्टेशन भी ऐसे स्थान पर बनाया गया है, जिस तक पहुंचने के लिये रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है और वहां कोई पुल भी नहीं है।

इसलिये, शामगढ़ में या तो धरती के नीचे जाने वाला मार्ग या ऊपर के पुल का मार्ग बनाना चाहिये। धरती के नीचे का मार्ग ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। एक रेलवे चौकी और एक सड़क ऐसी बनाई जानी चाहिये जिससे होकर गाड़ियां और तांगे आदि स्टेशन तक पहुंच सकें। या फिर, स्टेशन की इमारत गांव की तरफ बनाई जाये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि अब भी बिना टिकट यात्रा बहुत होती है और प्रशासन उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा है।

इसमें कठिनाई यह है रेलवे प्रशासन स्वयं ही ईमानदारी नहीं बरत रहा है। तमाम स्टेशनों पर यात्रियों को टिकट नहीं दिये जाते हैं, और टिकट मांगने वाले इंस्पैक्टर लोग, अधिकारियों को दिखाने के लिये, बिना टिकट वाले यात्रियों से रुपया इकट्ठा करते हैं, अब जनता बिना टिकट यात्रा कम करने लगी है।

इस प्रकार टिकट इंस्पैक्टर लोग बिना टिकट यात्रा को बढ़ावा देते हैं। वे इस तरह झूठा संग्रह दिखाते हैं। कहीं कहीं स्टेशन मास्टर भी उनके साथ सहयोग करते हैं, और पूरा टिकट नहीं देते। इससे यात्रियों को अधिक दूरी की यात्राओं के कम किरायों का भी लाभ नहीं होता। इसे बन्द करना चाहिये।

श्री जांगड़े (विलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान संसद् का यह अन्तिम अधिवेशन है और हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो चुकी है। रेलवे भारत सरकार का एक बहुत बड़ा महकमा है जिस में कि कोई ११ लाख कर्मचारी काम करते हैं। गत पांच वर्षों में रेलवे मंत्रालय ने जो कुछ किया है वह अत्यन्त सराहनीय है। स्वराज्य प्राप्ति के पहले मैंने देखा है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों में नौकरशाही की भावना थी जो हमारे आजाद होने के बाद सेवा भावना में परिणत हो चुकी है। मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ कमजोरियां

अब भी देखी जा सकती हैं और कमजोरियों का बना रहना मनुष्य का स्वभाव है और कमजोरियों को दूर करता हुआ ही मनुष्य आगे बढ़ता है।

रेलवे मंत्रालय तृतीय श्रेणी के पैसेंजर्स (यात्रियों) की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसे देख कर खुशी ही होती है। परन्तु इतने बड़े देश में कहीं न कहीं पर कोई न कोई गलती हो ही जाती है और उस गलती को मान लेना और उसे दूर करना हमारा परम कर्तव्य होता है। मैं आपके सामने रेलवे कर्मचारियों की कुछ एक शिकायतों को रखना चाहता हूं। रेलवे कर्मचारी जोकि रेलवे बोर्ड में काम करते हैं, वे चाहते हैं कि अपने प्रासपैक्ट्स (भविष्य) को उज्जवल बनायें तथा तरक्की वाले पदों को प्राप्त करें। वे प्रतिस्पर्द्धा वाली परीक्षाओं में बैठने के भी इच्छुक होते हैं जोकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (संघ लोक सेवा आयोग) द्वारा ली जाती हैं या किसी दूसरी संस्था द्वारा ली जाती हैं। परन्तु रेलवे बोर्ड न जाने उनको इन परीक्षाओं में बैठने की क्यों अनुमति नहीं देता है। आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासन सेवा) की जो परीक्षा पिछले दिनों हुई थी उसमें बैठने के लिए भी इन कर्मचारियों ने अनुमति मांगी थी, परन्तु न जाने क्यों उनको अनुमति प्रदान नहीं की गई। इसका एक कारण यह हो सकता है कि रेलवे मंत्रालय को एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) कर्मचारियों की आवश्यकता है और एक कर्मचारी जब पांच दस वर्षों तक एक जगह पर काम कर लेता है तो वह उसमें दक्ष हो जाता है, इसलिए रेलवे मंत्रालय उसको छोड़ना नहीं चाहता। परन्तु जो क्लेरिकल स्टाफ है या जो लिपिक है वह तो टैक्नीकल कर्मचारी नहीं होता है और इन कामों को कोई भी आदमी कर सकता है। हां जो टैक्नीकल कर्मचारी हैं उन पर यह बात लागू हो सकती है। तो ऐसे लोगों को परीक्षाओं में न बैठने देना, जिन में बैठ कर और जिन को पास करके वे ऊंचे स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं, और उनसे लिपिक का ही काम सारी उम्र भर लेते जाना, उचित नहीं है। इस वास्ते अगर उनको कोई तरक्की मिलती हो और वे ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए तथा अपने प्रास्पेक्ट्स को उज्जवल बनाने के लिए प्रतिस्पर्द्धा वाले पदों के लिए परीक्षाओं में बैठना चाहें तो उनको इसका अवसर दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि रेलवे बोर्ड में जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं वे तो क्लर्क से डायरेक्टर (निदेशक) तब बन सकते हैं और जीवन की महत्वाकांक्षायें रख सकते हैं परन्तु रेलवे बोर्ड के सिवाय रेलवे मंत्रालय के विभिन्न महकमों में, विभिन्न सब-आफिसिस में जो क्लर्क काम करते हैं, उन की बहुत दुर्दशा होती है। २० साल काम करने के बाद भी वे अधिक से अधिक अगर कुछ बन सकते हैं तो हैडक्लर्क बन सकते हैं और सौ रुपया तनख्वाह, या दो सौ रुपये या तीन सौ रुपये तनख्वाह ही पा सकते हैं। फिर वे चाहे ग्रेजुएट हो जायें या एम० ए० हो जायें उनके लिए कोई चैनल्स आफ प्रोमोशन (पदोन्नति के मार्ग) नहीं हैं। रेलवे बोर्ड के जो एम्पलायीज (कर्मचारी) हैं, उनके वास्ते तो कई अवसर हैं लेकिन सब-आफिसिस में जो कार्य करते हैं उनके लिए कोई एवेन्यूस (सम्भावनायें) नहीं हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय हैडक्लर्क से आगे कल चलें।

इस के पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २७ मार्च, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २६ मार्च, १९५७]

पृष्ठ

निधन सम्बन्धी उल्लेख २६५

अध्यक्ष ने श्री सत्यप्रिय बनर्जी के, जो पुरानी केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया। उसके पश्चात्, सदस्य सम्मान प्रकट करने के लिए एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २६५

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या १२क, १८क, ४५क, ५३क, ५४क, ६३क, ६९क, ८३क, १०२क, १०३क, १०३ख, १०४क और १०४ख तथा निदेश संख्या २ और ५४ के संशोधनों कीएक एक प्रति।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अधीन दिल्ली गहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली ४ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० की एक प्रति।

राज्य-सभा से सन्देश २६६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेशों की सूचना दी कि राज्य सभा २५ मार्च, १९५७ की अपनी बैठक में निम्न विधेयकों से, लोक सभा द्वारा १९ मार्च, १९५७ को पारित किये गये रूप में, सहमत हो गई है :—

(१) समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५७।

(२) विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक, १९५७।

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित हुआ . . २६६

सत्ताइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन २६६

अड़तालीसवां और अठ्ठावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . २६६–६७

श्री राधा रमण ने २३ मार्च, १९५७ को विनय नगर के रेलवे फाटक पर हुई दुर्घटना की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

रेलवे तथा परिवाहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

पृष्ठ

अनपस्थिति की अनुमति २६८

चार सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई।
एक सदस्य की अनुपस्थिति माफ कर दी गई।

एक सदस्य द्वारा पद-त्याग २६८

अध्यक्ष ने बताया कि श्री म० दो० रामस्वामी ने, २५ मार्च, १९५७ को (मध्यान्ह पश्चात्) लोक सभा के अपने पद से त्याग पत्र दे दया है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ २६८–७९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से संबन्धित प्रस्ताव पर और आगे चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लेखानुदान की मांगें २७९–३००

वर्ष १९५७–५८ के लिये लेखानुदान की सभी मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

विधेयक पुरःस्थापित किया गया . . . ३०१

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित किया गया।

विधेयक पारित हुआ ३०१–०३

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री ने वित्त विधेयक, १९५७ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्ड-वार विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ।

रेलवे आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ३०३–०९

वर्ष १९५७–५८ के लिये रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

नियम समिति का प्रतिवेदन ३०६

नवां प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया।

बुधवार २७ मार्च, १९५७ के लिये कार्यावलि

बिनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७ पर विचार, रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा और रेलवे आय-व्ययक से संबन्धित लेखानुदान की मांगों पर मतदान।